Friday, 10 May, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

चौथा सत्र

Fourth Session

Preservation
Fumigated
On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

खंड 17 में अंक 51 से 61 तक हैं

Vol. XVII contains Nos. 51 to 61

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 61 शुक्रवार, 10 मई, 1968/20 वैशाख 1890, (शक)

No. 61—*Friday, May* 10, 1968/*Vaisakha* 20, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions**	
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos. **विषय**	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1767 हल्दिया में 'कन्टेनर बर्थ'	Container Berth at Haldia .	1483-85
1769 अमरीकी क्लब	American Clubs . .	1485
1770 दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी गिराने की योजना	Jhuggi Jhonpri Demolition Scheme in Delhi .	1485-87
1771 आसाम का कोयला लाने के बारे में कनाडा के कोयला विशेषज्ञ का सुझाव	Canadian Coal Expert's suggestions rehaulage of Assam Coal . .	1487-88
1773 कामोत्तेजन विज्ञापन	Advertisements verging on sex suggestions . .	1488-91
1776 उच्चतम न्यायालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Supreme Court . . .	1491-97
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या		
Short Notice Question		
35 आदिम जाति सम्प्रदाय के लोधा लोगों पर अत्याचार	Atrocities on Lodha Tribal Community . . .	1497-1501
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1768 हैदराबाद में आदिवासियों से चीन में बने गोला-बारूद का पकड़ा जाना	Seizure of Chinese made ammunitions from Tribals in Hyderabad . .	1501
1772 अन्तर्राष्ट्रीय कला त्रि-वार्षिकी	International Art Triennale	1501-2
1774 1968-69 के लिये दिल्ली वार्षिक योजना	Annual Plan for Delhi for 1968-69 . . .	1502
1777 संसद् सदस्य, श्री मधु लिमये पर हमला	Assault on Shri Madhu Limaye, M.P. . .	1502

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1778	डलहौजी-चम्बा-भदरवाह पर्यटन सर्किट	Dalhousie-Chamba-Bhadrawah Tourist Circuit .	1502-3
1779	आगरा-बम्बई राजपथ पर मोटलस और विश्राम-गृह	Motels and Rest Houses on Agra-Bombay Highway .	1503
1780	दल बदलने सम्बन्धी विधान	Legislation on Defections .	1503
1781	विजयवाड़ा में पीटे जाने से हरिजन की मृत्यु	Harijan beaten to death in Vijaywada .	1503-4
1782	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा	Trivandrum Airport .	1504-5
1783	नजरबन्दियों के साथ मिजो लोगों के सम्पर्क	Mizos' Contacts with Detenus . .	1505
1784	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए नये विमान	New Planes for I.A.C.	1505-6
1785	गंगा और रामगंगा पर सड़क एवं रेल का पुल	Road-*cum*-Rail Bridges over Ganga and Ramganga .	1506
1786	दिल्ली पुलिस	Delhi Police . .	1506-7
1787	मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में खोज	Discoveries in Ujjain District in M.P. . .	1507
1788	ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा लोगों का धर्म परिवर्तन कराना	Conversions by Christian Missionaries . . .	1507
1789	पं० दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की छानबीन करने वाला केन्द्रीय जांच ब्यूरो का अधिकारी	C.B.I. Officer Investigating the Murder of Pandit Din Dayal Upadhyaya .	1507
1790	कच्चाटीबू द्वीप तथा भारतीय पत्तनों के बीच नौका सेवा	Boat Service between Kacachativu Islands and Indian Ports . . .	1508
1791	ग्राम्य इंजीनियरिंग सेवा	Rural Engineering Service	1508-9
1792	केन्द्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश के लिये नियतन	Allocation to Madhya Pradesh from Central Road Fund	1509
1793	विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (रोक) अधिनियम	Unlawful Activities (Prevention) Act . . .	1509-10
1794	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और केरल हिन्दी प्रचार सभा द्वारा दिये गये डिप्लोमे	Diplomas awarded by Dakshina Bharata Hindi Prachara Sabha and Kerala Hindi Prachar Sabha	1510

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1795	ईसाई मिशन	Christian Missions . .	1510
1796	जिला मजिस्ट्रेट और सीनियर सुपरिन्टेण्डेंट आफ पुलिस, इलाहाबाद	District Magistrate and S.S.P., Allahabad .	1511
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.			
10321	राजनैतिक पेंशन	Political Pensions . .	1511-12
10322	भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा	I.A.S. and I.P.S. . .	1512
10324	केन्द्रीय संस्कृति विद्यापीठ, तिरुपति में नियुक्तियां	Appointments in Central Sanskrit Vidyapeeth, Tirupati	1512
10325	दिल्ली में एक महिला को पीटे जाने की घटना	Beating up of woman in Delhi	1513
10326	बुन्देलखण्ड के अलग राज्य की मांग	Demand for Separate Bundelkhand State . .	1513
10327	गौहाटी में सैनिक कर्मचारियों पर हमला	Attack on Army Personnel in Gauhati . . .	1514
10328	केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था	Central Road Research Institute . .	1514-15
10329	आशुलिपिक	Stenographers . . .	1515
10330	गांवों में खेलों को प्रोत्साहन	Encouragement of Games in Villages . . .	1515-16
10331	चण्डीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र में व्यावसायिक कर का हटाया जाना	Abolition of Professional Tax in Chandigarh Union Territory . . .	1516
10332	विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Universities . . .	1516
10333	झुग्गीवासियों के साथ भेंट	Meeting with Jhuggi Dwellers	1516-17
10334	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission . . .	1517
10335	मद्रास में तमिल सेना	Tamil Army in Madras .	1517-18
10336	नागा तथा मिजो लोगों के साथ मुठभेड़	Clashes with Naga/Mizos .	1518

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10337	विस्थापित तकनीकी अधिकारी	Displaced Technical Officers	1518
10338	सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमें	Cases in Supreme Court	1519
10339	उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश	Judges in High Courts	1519
10340	न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Courts	1519-20
10341	रांची में दंगे	Ranchi Disturbances	1520
10342	काश्मीर में पर्यटन कारोबार अधिनियम लागू करना	Enforcement of Tourist Trade Act in Kashmir	1520
10343	एयर इण्डिया के लिए टी० यू०-134 विमानों का क्रय	Purchase of T.U.-134 Planes for AIR India	1521
10344	चीन तथा पाकिस्तान रेडियो से भारतीय घटनाओं का प्रसारण	Broadcast of Indian events by Radios of China and Pakistan	1521
10345	होम गार्ड्स	Home Guards	1521-22
10346	सान्ता क्रुज हवाई अड्डे पर लावारिस ढोर	Stray Cattle at Santa Cruz Airport	1522
10347	दिल्ली में दुर्घटनाएं	Accidents in Delhi	1523
10348	दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा	Administrative Set-up of Delhi	1523
10349	दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक	Lecturers in Delhi University	1523-24
10350	पश्चिम दिल्ली में स्त्रियों के लिए कालिज	Women's Colleges in West Delhi	1524
10351	आगरा-बम्बई राजपथ	Agra-Bombay Highway	1524-25
10352	परिवहन निर्देशक दिल्ली	Director of Transport, Delhi	1525-26
10353	आगरा-बम्बई सड़क पर डाके	Dacoities on Agra-Bombay Road	1526
10354	कलकत्ता-गोदी हड़ताल	Calcutta Dock Strike	1526
10355	पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence Courses	1526-27
10356	हरिजनों का धर्म परिवर्तन	Conversions of Harijans	1527
10357	इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Allahabad	1527-28
10358	सेवा-निवृत्ति की आयु	Retirement Age	1528
10359	रूपनगर दिल्ली में कार चोरी करने वालों की गिरफ्तारी	Apprehension of Car Lifters in Roopnagar, Delhi	1528

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10360	केन्द्रीय स्कूल	Central Schools	1529
10361	केरल में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	I.A.S. and I.P.S. in Kerala .	1529
10362	श्रीलंका द्वारा मांगी गई हिन्दी की पुस्तकें	Hindi Books asked for by Ceylon . . .	1529-30
10363	कोसी बांध तक राष्ट्रीय राजपथ	National Highway to Kosi Dam . . .	1530
10364	बिहार के इंजीनियर	Bihar Engineers . .	1530-31
10365	उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं के अन्तरीक्षकों (इन्विजीलेटर) पर हमला	Attack on Invigilators in U.P. Examinations .	1531
10366	सहायकों के ग्रेड में भर्ती	Recruitment to Assistant's Grade . . .	1531-32
10367	राजभाषा के रूप में उड़िया	Oriya as Official Language	1532
10368	मन्त्रालयों द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन	Reports Prepared by Ministries .	1532
10370	पार्लियामेंट असिस्टेंट	Parliament Assistants	1533
10371	भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	I.A.S. and I.P.S. Officers	1533
10372	गृह-कार्य मंत्रालय में नियन्त्रणाधीन औद्योगिक उपक्रम	Industrial undertakings under Ministry of Home Affairs . . .	1533
10373	बी० टी० सी० प्रशिक्षण	B.T.C. Training . .	1534
10374	शिक्षा मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन औद्योगिक उपक्रम	Industrial undertakings under Ministry of Education	1534
10375	ऋषिकेश (उत्तर प्रदेश) में महर्षि महेश योगी का आश्रम	Maharishi Mahesh Yogi's Ashram at Rishikesh .	1534
10376	फ्रांस सरकार की विशेष प्रशिक्षण छात्रवृत्ति	French Government Special Training Scholarship .	1534-35
10377	हल्दिया पत्तन	Haldia Port . .	1535
10378	कोचीन शिपयार्ड	Cochin Shipyard . .	1535-36
10379	राष्ट्रीय अपराध निरोध सप्ताह	National Crime Prevention Week	1536
10380	दिल्ली के शिक्षा निदेशालय में नियुक्ति	Appointment in Education Directorate, Delhi . .	1536-37

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10381	नक्सलवाड़ी	Naxalbari . . .	1538
10382	दिल्ली में साम्यवादी दल की सार्वजनिक बैठक	Public Meeting of Communist Party in Delhi .	1538
10383	अण्दमान और निकोबार द्वीपसमूहों का मुखायुक्त	Chief Commissioner of Andaman and Nicobar Islands . . .	1538-39
10384	अण्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	Andman and Nicobar Islands . . .	1539
10385	निकोबार निवासियों के लिए होम फण्ड	Nicobarese Home Fund .	1539-40
10386	वाराणसी में हथियार फैक्टरी	Arms Factory in Varanasi .	1540
10387	उत्तर प्रदेश में खुदाई	Excavations in U. P. . .	1540-41
10388	काकोरी कांड में शहीद श्री राम प्रसाद बिस्मिल की बहन को पेंशन	Pension to the sister of Shri Ram Prasad Bismil—The Martyr of Kakori Case . . .	1541
10389	विदेशी धर्म प्रचारक	Foreign Missionaries .	1541-42
10390	दिल्ली में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां	Activities of Christian Missionaries in Delhi . .	1542
10391	उत्तर प्रदेश पुलिस के स्वर्गीय श्री महावीर सिंह के परिवार को वित्तीय सहायता	Financial help to the Family of Late Shri Mahabir Singh of U.P. Police .	1542
10392	कन्याकुमारी में विवेकानन्द स्मारक	Vivekanand Memorial at Kanayakumari . .	1542
10393	जमशेदपुर में हथियार पकड़े जाना	Seizure of Arms in Jamshedpur . . .	1543
10394	इंजीनियरिंग स्नातक	Engineering Graduates .	1543
10395	अखिल-भारतीय चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य सेवा	All-India Medical and Public Health Service . .	1543-44
10396	सड़कों के निर्माण के लिए निधि	Funds for Road Building .	1544
10397	महाराष्ट्र की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भारतीय पुलिस सिविल सेवा, भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	I.C.S., I.A.S. and I.P.S. Officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Maharashtra . .	1545

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10398	मध्य प्रदेश में हरिजनों के खलिहानों को जलाने की घटना	Barns of Harijans burnt in Madhya Pradesh . .	1545
10399	मध्य प्रदेश में प्राचीन स्मारक	Ancient Monuments in M.P.	1545
10400	केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी	M. P. Government Employees on Deputation to Centre . . .	1546
10401	मध्य प्रदेश के राजनैतिक पीड़ित	Political sufferers of M.P. .	1546
10402	दिल्ली में शस्त्र निर्माण कारखाना	Arms Factory in Delhi .	1546-47
10403	राष्ट्रीय राजपथों के अनिर्मित टुकड़े	Missing Links in National Highways . . .	1547
10404	देश में बम विस्फोट की घटनायें	Bomb Explosions in the Country . . .	1547-48
10405	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को घाटा	Loss suffered by I.A.C. .	1548
10406	बिहार में 1967 में अकाल के दौरान आदिम जातियों को ईसाई बनाना	Conversion of Tribes into Christianity during 1967 Bihar Famine .	1549
10407	परिवहन सम्बन्धी सुविधायें	Transport Facilities .	1549
10408	ईसाई धर्म प्रचारक	Christian Missionaries .	1549-50
10409	कच्छ में सत्याग्रह	Kutch Satyagrah .	1550
10410	अपराध का पता लगाने वाले अभिकरणों को स्काटलैण्ड यार्ड की सहायता	Scotland Yard's Help to Crime Detecting Agencies	1551
10411	पर्यटन केन्द्र	Tourist Centres . .	1551-52
10412	भारतीय जहाजों को राज सहायता	Subsidy to Indian Ships	1552
10413	जम्बो जैट विमान	Jumbo Jets . . .	1552-53
10414	समुद्री मार्ग द्वारा कोयला लाना-ले जाना	Movement of Coal by Sea	1553-54
10415	अन्तर्देशीय जलमार्ग	Inland Waterways .	1554-55
10416	उत्तरी बंगाल में पाकिस्तानियों द्वारा छापे	Pak Raids in North Bengal	1555
10417	पश्चिमी बंगाल में साम्प्रदायिकता के आधार पर राजनैतिक अभियान	Political Campaign on Communal Lines in West Bengal	1556

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10418	चौघुले शिपिंग कारपोरेशन द्वारा समय सारणी में परिवर्तन	Change in Time Table by Choughule Shipping Corporation . . .	1556-57
10419	पश्चिमी बंगाल में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों को रिहा किया जाना	Release of Detenus under Preventive Detention Act in West Bengal . .	1557
10420	नेशनल फिटनेस कोर के महा-निदेशक	Director General, National Fitness Corps .	1557-58
10421	नेशनल फिटनेस कोर में भर्ती सम्बन्धी नियम	Recruitment Rules for National Fitness Corps .	1558
10422	नेताजी विद्या मन्दिर, कूच-बिहार नगर को अनुदान	Grant to Netaji Vidya Mandir, Cooch-Behar Town . . .	1558-59
10424	कूच-बिहार में मकानों आदि के ढांचों को गिराया जाना	Demolition of Structures in Cooch-Behar . .	1559
10425	कूच-बिहार के स्कूल में धोखाधड़ी का मामला	Fraud in Cooch-Behar School	1560
10426	तिब्बती स्कूल सोसायटी	Tibetan Schools Society .	1560-61
10427	कच्छ संघर्ष समिति द्वारा प्रायोजित सत्याग्रह	Satyagrah a sponsored by Kutch Action Committee	1561
10428	इंजीनियरी कालेज, उज्जैन	Engineering College Ujjain	1561
10429	विदेशी पर्यटकों द्वारा मन्दिर देखने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Foreign Tourists for seeing Tamples . . .	1561-62
10430	राजसहायता देकर चलाये जाने वाले इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के हवाई मार्ग	Subsidized Air Routes of the I.A.C.	1562
10431	इलाहाबाद में बम जैसी वस्तु की बरामदगी	Recovery of bomb like object in Allahabad .	1562
10433	तूतीकोरिन पत्तन परियोजना	Tuticorin Port Project .	1562-63
10434	दाहेज पत्तन का एक बड़े पत्तन के रूप में विकास	Development of Dahej as a Major Port .	1563
10435	नये नौवहन समवाय	New Shipping Companies .	1563-64
10436	दिल्ली में कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग करना	Separation of Judiciary from Executive in Delhi	1564

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10437	दिल्ली उच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार	Original Jurisdiction of Delhi High Court .	1564
10438	मालवाहक तथा यात्री जहाज	Cargo-cum-Passenger Ships	1564-65
10439	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	Scheduled Castes and Scheduled Tribes . .	1565-66
10440	भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी	Staff of Archaeological Survey of India . .	1566
10441	दिल्ली में मकान गिरने की घटना	House Collapse in Delhi .	1567
10442	सरकारी क्षेत्र के होटल	Hotels in the Public Sector	1567-68
10443	बांदा जिला (उत्तर प्रदेश) में सड़क	Road in Banda District, U.P.	1568
10444	उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सड़क	Road in Banda District, U.P. . . .	1568
10445	व्हीलर समिति का प्रतिवेदन	Wheeler Committee Report	1568-69
10446	धर्म परिवर्तन पर विधान	Legislation on Conversion .	1569
10447	शस्त्रास्त्र अधिनियम	Arms Act . . .	1569
10448	हैदराबाद के निजाम के भाई	Brother of Nizam of Hyderabad . . .	1569
10449	विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़	Encounter with Naga Hostiles	1570
10450	विद्रोही नागाओं द्वारा हमला	Raids by Naga Hostiles .	1570
10451	त्रिपुरा में महिलाओं की शिक्षा	Women's Education in Tripura . .	1571
10452	त्रिपुरा को शैक्षिक अनुदान	Educational Grants to Tripura .	1571
10453	ढेबर आयोग	Dhebar Commission . .	1571-72
10454	त्रिपुरा में नक्सलबाड़ी जैसे उपद्रव	Naxalbari Type unrest in Tripura . .	1572-73
10455	त्रिपुरा तथा नेफा में भूतपूर्व सैनिकों का बसाया जाना	Settlement of ex-Servicemen in Tripura and NEFA .	1573
10456	दिल्ली नगर निगम की समितियों के चुनाव	Election to Councillors of D.M.C. . .	1573-74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10457	बांदा जिले (उत्तर प्रदेश) में सड़कें	Roads in Banda District (U.P.)	1574
10458	दिल्ली प्रशासन के जांच अधिकारियों की सुनवाई का रिकार्ड	Hearings of Inquiry Officers of Delhi Administration	1574
10459	केन्द्रीय स्कूलों म शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in Central Schools . .	1574-75
10460	माडल वूलन मिल्ज, चण्डीगढ़ के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Workers of Model Woollen Mills, Chandigarh	1575
10461	ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन केन्द्र	Tourist Centres of Historical Importance . .	1575-76
10462	परिवहन व्यवस्था का विकास	Development of Transport System . . .	1576
10463	पालम हवाई अड्डे के जलपानगृह प्रबन्धक	Palam Airport Caterer .	1576-77
10464	सरकारी नियुक्तियां	Government Appointments	1577
10465	बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय के लिए निधियां	Funds for Banaras Hindu University . . .	1577
10466	दिल्ली म विषाक्त भोजन के कारण मृत्युएं	Deaths due to food poisoning in Delhi . . .	1578
10467	शस्त्रास्त्र अधिनियम के मामले	Arms Act Case . .	1578
10468	मनीपुर के राज परिवार की भू-सम्पत्ति	Landed Property of Manipur Royal Family .	1578-79
10469	भारतीय वन सेवा	Indian Forest Service .	1579
10470	मनीपुर के एक भूतपूर्व मंत्री के विरुद्ध आरोप	Allegation against an ex-Minister of Manipur	1579-80
10471	किशोर युवक-युवतियों में अपराध वृत्ति	Crimes among the Teenagers	1580
10472	इलाहाबाद के दंगे	Allahabad Riots .	1581-82
10473	जम्मू तथा काश्मीर	Jammu and Kashmir .	1582-83
10474	कलकत्ता की गोदियों में दुर्घटना	Accident at Calcutta Docks	1583
10475	उच्च अध्ययन के लिए कर्मचारियों को विदेश भेजना	Sponsoring of Employees for Higher Studies abroad . .	1583-84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10476	हरिजनों की बारात पर हमला	Attack on a Harijan Wedding Procession . .	1584
10477	बिहार पर चीन की कथित गिद्ध-दृष्टि	Reported Chinese Designs of Bihar . . .	1584
10478	गोआ, दमन और दीव में सरकारी कर्मचारी	Government employees in Goa, Daman and Diu .	1584-85
10479	आर्किटैक्टों और टाउन प्लैनरों की बेरोजगारी	Unemployment among Architects and Town Planners . . .	1585
10480	विशेष पुलिस संस्था द्वारा की जा रही जांच के दौरान अधिकारियों का तबादला	Posting of Officers in the midest of S.P.E. Enquiry	1585-86
10481	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	Andaman and Nicobar Islands . . .	1586
10482	अन्दमान द्वीपसमूह में लोगों की भर्ती	Recruitment of Persons in Andamans . . .	1586-87
10483	अंदमान विशेष वेतन	Andaman Special Pay .	1587-88
10484	अन्दमान विशेष वेतन	Andaman Special Pay	1588
10485	अन्दमान विशेष वेतन	Andaman Special Pay	1588
10486	निर्माण ठेके	Construction Contracts .	1588-89
10487	दिल्ली में मल्का गंज में ट्रक स्टेंड	Truck Stand in Malka Ganj, Delhi . .	1589
10488	साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध	Ban on Communal Organisations . . .	1589-90
10489	राजधानी में अपराध विरोध सप्ताह	Crime Prevention Week in the Capital . . .	1590-91
10490	यात्रा अभिकर्ताओं का सम्मेलन	Travel Agents' Convention .	1591-92
10491	दिल्ली में बसों की दुर्घटनायें	Bus Accident in Delhi .	1592
10492	बम्बई तथा बंगलौर में ओबराय होटल	Oberoy Hotels at Bombay and Bangalore . .	1593
10493	होटलों को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange released to Hotels . . .	1593-94
10494	दिल्ली के मुख्यायुक्त के कार्यालय के अधिकारियों द्वारा भूखंडों की बिक्री द्वारा मुनाफाखोरी	Profit-making by Officers of Chief Commissioner's Office, Delhi by Sale of Plots .	1594
10495	इन्दिरा मार्केट, दिल्ली	Indira Market Delhi . .	1594-95

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10496	पुलिस के गश्ती दल पर मिजो विद्रोहियों द्वारा हमला	Hostile Mizos Attack on Police Patrol . .	1595
10497	दिल्ली में इन्दिरा मार्केट में समाज विरोधी तत्वों द्वार सिर उठाया जाना	Rise of Anti-Social Elements in Indira Market Delhi .	1595
10498	सब्जी मंडी मार्केट, दिल्ली	Sabzimandi Market Delhi .	1596
10499	इन्दिरा मार्केट, दिल्ली	Indira Market Delhi . .	1596
10500	राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार	Correspondence with States	1596-97
10502	हिन्दी प्रशिक्षण योजना	Hindi Teaching Scheme	1597
10503	हिन्दी सलाहकार का प्रतिवेदन	Report of Hindi Adviser	1597
10504	इलाहाबाद में बमों की बरामदी	Recovery of Bombs in Allahabad . . .	1597-98
10505	संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना	Raising of Union Territories to Statehood .	1598
10506	केन्द्रीय करों में संघ राज्य क्षेत्रों का भाग	Share of Union Territories in Central Taxes . .	1598
10507	भारतीय प्रशासनिक सेवायें	Indian Administrative Service	1599
10508	दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए पृथक् बोर्ड	Separate Board for Higher Secondary Education in Delhi	1599
10509	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission . .	1599-1600
10510	उत्तर प्रदेश में पौड़ी-देव प्रयाग सड़क	Pauri-Dev Prayag Road in U.P. .	1600
10511	निवारक विरोध अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल में नजरबन्द किये गये व्यक्ति	Persons Detained in West Bengal under Preventive Detention Act . .	1600
10512	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पृथक् आयोग	Separate Commissioners for Scheduled Castes and Scheduled Tribes .	1601
10513	राजस्थान में खुदाई	Excavations in Rajasthan .	1601
10514	कोठारी आयोग की सिफारिशें	Kothari Commission Recommendations .	1601-2
10515	उदयपुर तक विमान सेवा	AIR Services to Udaipur .	1602

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10516	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी	C.S.S. Officers	1602
10517	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की चयन सूची (सिलेक्शन लिस्ट)	Select List of C.S.S. Officers	1602-3
10518	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में सहायक शिक्षा अधिकारी	Assistant Education Officer in Central Hindi Directorate . . .	1603
10519	मिडिल-ईस्ट एयरलाइन्स, बम्बई के कार्यालय पर छापा	Raid on Office of Middle-East Airlines, Bombay .	1603-4
10520	राइफल प्रशिक्षण केन्द्र	Rifle Training Centres .	1604-5
10521	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण	Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes . . .	1605-6
10523	विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक	Foreign Christian Missionaries	1606
10524	खान अब्दुल गफ्फ़ार खां	Khan Abdul Ghaffar Khan	1607
10525	कृषि स्कूल	Agriculture Schools .	1607
10526	नई दिल्ली नगरपालिका	N.D.M.C. .	1607-8
10527	दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यादेश के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय	Delhi High Court Judgement on Delhi University Ordinance . .	1608
10528	चंडीगढ़ के शिक्षकों को भत्ता	Allowances to Chandigarh Teachers . .	1608-9
10529	विधायकों द्वारा दल-बदल	Floor-crossing by Legislators .	1609
10530	सीमावर्ती सड़कें	Border Roads . . .	1609-10
10531	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम	Hindustan Shipyard Ltd., Vishakhapatnam . .	1610-11
10532	गोआ स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानी	Goan Freedom Fighters	1611
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance . .	1611-13
	उत्तर-पश्चिम बंगाल में धातु के टुकड़े का गिरना	Falling of metallic pieces in North-West Bengal .	1611-12

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे	*Re.* Motion of Privilege .	1613-15
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	1615-20
गैर-सरकारी सदस्यों के वि`यकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions .	1621
सभा की बैठकों से कार्यवाही का सारांश सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की कार्यवाही सारांश और छटा प्रतिवेदन	Committee on Absence of Members from sittings of the House Minutes and Sixth Reports .	1621
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	1621
अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence .	1621
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee .	1622
51वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Fifty-first Report and Minutes . . .	1622
नियम 357 के अन्तर्गत वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation under Rule 357 .	1622
श्री अ० कु० सेन	(Shri A. K. Sen) .	1622
विधेयक प्रस्तुत कि` गये	Bills Introduced—	
(1) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1968	(i) Companies (Amendment) Bill; and .	1622
(2) अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1968	(ii) Requisition and Acquisition of Immovable property (Amendment Bill)	1623
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference .	1623
(श्री हरेश्वर गोस्वामी, अध्यक्ष असम विधान सभा)	(Shri Hareshwar Goswami, The Speaker of Assam Legislature) . . .	1623
भावनगर जेल म कच्छ सत्याग्रहियों पर तथाकथित लाठी प्रहार	Alleged Lathi Charge on Kutch Satyagrahis in Bhavnagar Jail . .	1624
लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968	Lokapal and Lokayuktas Bill, 1968 . . .	1624
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Joint Committee . . .	1624
(श्री विद्याचरण शुक्ल)	(Shri Vidya Charan Shukla)	162 / 02

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सड़क परिवहन कराधान जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion *Re.* Final Report of Road Transport Taxation Enquiry Committee	1629-32
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	1628-30
श्री रामचन्द्र अमीन	Shri R. K. Amin	1631-32
पंजाब विनियोग अधिनियम 1968 पर पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* Punjab High Court's Judgement on Punjab Appropriations Acts, 1968 . .	1632-38
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	1632
सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of Member . .	1639
(श्री ओंकार लाल बेरवा)	(Shri Onkar Lal Berwa)	1639
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	1639-40
31वां प्रतिवेदन	Thirty-First Report .	1639
वि`यक प्रस्तुत किये गये	Bills Introduced . .	1640
(1) बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक, 1929 (धारा 2 और 3 का संशोधन) श्री दीवान चन्द शर्मा	Child Marriage Restraint (Amendment) Bill, 1929 (Amendment of Sections 2 and 3) by Shri D. C. Sharma .	1640
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक (सातवीं अनुसूची का संशोधन) श्री दीवान चन्द शर्मा	The Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Seventh Schedule) by Shri D. C. Sharma .	1640
(3) संविधान (संशोधन) वि`यक (अनुसं ान 226 का संशोधन) श्री एम० नारायण रेड्डी	The Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 226) by Shri M. N. Reddy . .	1640
अखिल भारतीय आयुर्वदिक चिकित्सा परिषद् विधेयक—चर्चा स्थगित हुई	All-India Ayurvedic Medical Council Bill—Debate adjourned by . .	1641
श्री अ० त्रि० शम	Shri A. T. Sharma .	1641
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री अ० त्रि० शर्मा	Shri A. T. Sharma .	1641

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री शिव शर्मा	Shri Shiv Sharma .	1641-42
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar .	1642
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shrichand Goel .	1642
श्री नं० सेतुरामै	Shri N. Sethuramae .	1643
श्री स० चं० सामन्त	Shri S. C. Samanta .	1643
श्री नाथू राम अहीरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	1643-44
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan .	1644
श्री नरेन्द्रसिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida . . .	1644
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray . .	1644-45
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza .	1645
श्री झारखण्डे राय	Shri Jarkhandey Rai .	1645-46
श्री शशिभूषण वाजपेयी	Shri Shashibhushan Bajpai . . .	1646
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	Shri Y. S. Kushwah .	1646
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya . . .	1646
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 74 and 163) by Shri Madhu Limaye . .	1647-48
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	1647-48
श्री रा० डी० भंडारे	Shri R. D. Bhandare .	1648
दिल्ली क्षेत्रीय योजनाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half an Hour Discussion *Re.* Zonal Plans in Delhi	
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok .	1648-49
श्री ब० सू० मूर्ति	Shri B. S. Murthi .	1651
सदस्य द्वारा निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य और इसका मंत्री द्वारा उत्तर	Statement by Member under Direction 115 and Minister's Reply thereto .	1652-54
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	1652-53
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed . .	1653-54
दक्षिण भारत में अधिवेशन से सम्बन्धित समिति की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* Appointment of Committee *Re.* Session in the South . .	1654
डा० रामसुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh .	1654

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 10 मई, 1968/20 वैशाख 1890 (शक)

Friday, May 10, 1968/Vaisakha 20, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हल्दिया में 'कन्टेनर बर्थ'

†*1767, **श्री स० चं० सामन्त :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उनके हाल के यूरोप के दौरे के दौरान हल्दिया अथवा अन्य पत्तनों पर अपने खर्चे से प्रायोगिक आधार पर एक कन्टेनर बर्थ बनाने के लिये विदेशी फर्मों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या ऐसे प्रस्ताव में एक दीर्घकालिक ठेके की व्यवस्था है जिससे कि निर्माता इन आधुनिक ढंग के बर्थ के वास्तविक प्रयोक्ताओं से पूंजीगत लागत वसूल कर सके; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता

श्री स० चं० सामन्त : नौवहन, जहाज-निर्माण और पत्तन विषय पर हुए प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या यह सिफारिश की गई थी कि पश्चिमी या पूर्वी घाट पर ऐसी बर्थ बनाई जाये ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जी, हां । यह सम्मेलन कुछ समय पूर्व हुआ था और उसमें इस बात की आवश्यकता पर विचार-विमर्श के दौरान बल दिया गया था कि हमारे बन्दरगाहों पर कन्टेनर बर्थ की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पर एक-एक कन्टेनर बर्थ की व्यवस्था लाभदायक सिद्ध होगी । इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि बम्बई पोर्ट ट्रस्ट और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने इस विषय पर तकनीकी विशेषज्ञों की समितियां नियुक्त की हैं जिनमें से बम्बई वाली समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है।

श्री स० चं० सामन्त : कंटेनर बर्थों की सुविधा से क्या लाभ होंगे और इनके लिये कितने स्थान तथा अन्य सामान की आवश्यकता पड़ेगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : नौवहन में इस एक नई व्यवस्था का सूत्रपात हाल ही में हुआ है । कन्टेनर बक्स एक आयताकार सन्दूक होता है जिसमें 10 टन से लेकर 40 टन तक सामान आ जाता है । माल भरने के पश्चात् इस डिब्बे को सील कर दिया जाता है और यह पूरा डिब्बा माल पाने वाले तक भेजा जाता है । इससे माल शीघ्र और सुरक्षित रूप में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है । एक कन्टेनर के लिये अनुमानतः 30 से 40 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी । सम्पूर्ण मामले पर विचार किया जा रहा है कि क्या हमारे देश में ऐसी सुविधा दी जाये या नहीं, किस प्रकार के कन्टेनर हमारे लिये उपयुक्त होंगे । बड़े पत्तन सम्बन्धी आयोग भी इस पर विस्तार से विचार करेगा और मंत्रालय ने भी कन्टेनर बर्थों के तकनीकी पहलुओं के अध्ययन हेतु एक विभागीय समिति नियुक्त की है।

SHRI BASWANT : May I know the suggestion made in the report of Bombay Port Committee and whether there is something about the Shalanhave potr ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : शालानवे बन्दरगाह पर ऐसी बर्थ बनाई जायेगी और वहीं पर कन्टेनर की सेवा उपलब्ध होगी ।

श्री उमानाथ : कुछ समय पहले विश्व बैंक ने एक प्रस्ताव किया था कि कुछ शर्तों के पूरा होने पर वह कन्टेनर बर्थ बनाने को तैयार है । परन्तु इससे पत्तनों पर विश्व बैंक का नियंत्रण हो जायेगा । सरकार ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार किया था । क्या सरकार अब उन विदेशी फर्मों के प्रस्ताव को भी अस्वीकार करेगी जो विश्व बैंक की प्रेरणा पर ऐसे प्रस्ताव भारत के सामने पेश कर रही हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : भारत सरकार यह नहीं चाहती कि भारतीय बन्दरगाहों पर विदेशी शक्ति का नियंत्रण हो । विश्व बैंक ने कन्टेनर बर्थ को बनाने का कभी भी प्रस्ताव नहीं किया है । हां, हल्दिया परियोजना के सम्बन्ध में तो विश्व बैंक से बातचीत की गई थी, जो सफल न हो सकी थी और हल्दिया परियोजना पर भी हम स्व ही काम कर रहे हैं । अब तक किसी भी विदेशी पार्टी ने कन्टेनर बर्थ बनाने का प्रस्ताव हमारे पास नहीं भेजा है ।

श्री समर गुह : क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने हुगली पर दूसरे पुल की योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : प्रस्तुत प्रश्न की आड़ में हुगली पर दूसरे पुल के प्रश्न पूछने के लिये मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा करता हूं । यह राज्य सरकार का विषय है । फिर भी केन्द्रीय सरकार उस पर यथोचित्त समय पर विचार करेगी ।

श्री चक्रपाणि भट्टाचार्य : हल्दिया में कन्टेनर बर्थ के निर्माण पर कितना अनुमानित खर्च आयेगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जी, नहीं ।

डा० के० कृ० दास चौधरी : क्या सरकार हल्दिया में एक अन्य बन्दरगाह की स्थापना पर विचार करेगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जी, हां, इस बात पर विचार किया जा रहा है ।

AMERICAN CLUBS

*1769. SHRI SHEOPUJAN SHASTRI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether four H-Clubs are being run by America in our country;

(b) if so, the purpose behind them and the location thereof; and

(c) the amount of foreign exchange spent on them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) According to information available with the Government no such clubs are being run by America in our country.

(b) and (c). Do not arise.

SHRI SHEOPUJAN SHASTRI : Does it mean that there are no clubs of this type in India ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Perhaps the hon. Member wants to refer to those clubs which once were run under the Community Development Programme. Under this programme some Indian farmers were used to send to America and some Americans used to visit India. There was no foreign hand in it.

SHRI SHEOPUJAN SHASTRI : Why were they closed then ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I do not know. This matter is dealt with by the Ministry of Food and Agriculture.

JHUGGI-JHOMPRI DEMOLITION SCHEME IN DELHI

*1770. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Home Minister had convened a meeting on the 10th April, 1968 of the representatives of Congress and Jan Sangh to consider the implementation of the Jhuggi-Jhompri Demolition Scheme in Delhi;

(b) if so, the names of the leaders of both the parties who were present at the said meeting and the decision taken thereat;

(c) if no decision was taken there, the reasons therefor; and

(d) the suggestions of both the parties in this connection ?

THE MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d). A copy of the minutes of the meeting, containing the necessary information, is laid on the Table of the House.

[Placed in Library. *See* No. LT-1288/68].

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : May I know whether different opinions were expressed in the said meeting and if so, the main points of difference? Secohdly, may I know the reason why the representatives of the parties other than Congress and Jan Sangh were not invited to this meeting ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Mr. Speaker, there were some differences, which were removed in the meeting. We did not invite the people on party basis but we invited those, who hold responsible posts in the Departments seized with the problem and those, who are engaged in public work or social service. So the representatives of the different Ministries, Delhi Administration, New Delhi Municipal Committee and the Members of Parliament belonging to Delhi, were invited to this meeting. If the hon. Member's party could not find place in this meeting on this basis, how can I be held responsible.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : There were the people, who were invited at the time of preparing Master Plan for Delhi's development. This time too, only they were invited. Mey I know the reason why the people who have made their place in public life of Delhi. Were not invited to it? I also want to know whether Master Plan will be changed in accordance with the changed circumstances and in view of the people's resentment over it ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I do not know the procedure followed at the time of preparing the Master Plan for Delhi. This Plan was placed before the Cabinet and they approved it. Now it can be altered only with the approval of the Cabinet. There is no such proposal before us at the moment.

श्री नाथ पाई : श्री . चव्हाण ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि भारतीय रूप के हाइड पार्क के लि` उपयुक्त स्थान दिया जायेगा । क्या इस दिशा में कोई प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : सुझाव दिया गया था और उस पर विचार करने की बात मैंने कही थी । मैं अभी उस पर विचार कर रहा हूं ।

SHRI JHARKHANDE RAI : May I know the number of squatters, who live in Jhuggi-Jhonpri in Delhi; the time the Government will take in resolving this problem and whether the land near Delhi has been acquired for their rehabilitation ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have not such figures with me at this time. I will collect and place them on the Table. Colonies like Simapuri have been allotted for them. We are trying to provide all facilities, essential for human life, at all such places. As regards the other question, no time limit can be fixed for solving this problem, as it is magnifying day by day.

SHRI BALRAJ MADHOK : The Home Minister has stated that pending discussion on the three points laid down by him, he would like to go round the areas concerned together with the Chief Executive Councillor in order to get the first hand knowledge of the problem. May I know whether he has meanwhile visited the areas concerned; if not, the time, by which he will do so ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : संसद् के सत्र के दौरान मैं ऐसा नहीं कर सका । सत्र के बाद मैं उन स्थानों का दौरा करूंगा ।

SHRI B. N. KUREEL : It becomes difficult for the squatters to attend to their work when they are rehabilitated at a far distance from the place of their work. May I know whether this aspect will be taken into consideration while rehabilitating them ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : We are taking this thing into consideration and trying to find the solution for it.

I have just received the figures of squatters in Delhi. There are about one lakh people in Delhi, who are living in jhuggis and jhonpries.

SHRI RAM SEWAK YADEV : May I know whether some definite programme has been chalked out for solving this increasing problem, if so the main features thereof ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Whenever any such scheme is prepared and when efforts are made for implementing it, the problem itself is found out of its grip because of its magnifying nature.

SHRI RABI RAI : Then what do you mean by planning ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : To find out some permanent solution this meeting was convened and some decisions were taken therein. Now we are considering the ways as how to implement them.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : It is a human problem which is very much related to the livelihood of the people concerned. May I know while solving this problem Government will take into consideration the fact that they should be rehabilitated at a place which is not very far from the place from where they are removed; all facilities essential for human beings should be made available in the new colonies meant for their rehabilitation; and the place of their work should be nearer to the new colonies ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : We always take all the facts enumerated by the hon. Member into consideration. But every time it is not possible to provide all facilities because of the peculiar nature of the problem.

आसाम का कोयला लाने के बारे में कनाडा के कोयला विशेषज्ञ का सुझाव

*1771 श्री हिम्मत सिंहका :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के एक कोयला विशेषज्ञ, डा० एन० बरकोविट्ज हाल में केन्द्रीय अनुसंधान संस्था, धनबाद में गये थे तथा उन्होंने पाइप लाइन के जरिये आसाम के कोयले को लाने के कार्य को मितव्ययी बता कर उस आशय का एक सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसने क्या निश्चित सुझाव दिये थे; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) डा० एन० बरकोविट्ज ने कोई सुझाव नही दिया था किन्तु उन्होंने विद्यमान पाइप लाइन के जरिये असम के कोयले को भेजने की सम्भावना का अध्ययन करने का

प्रस्ताव किया था, यदि कभी असम के कोयले को पाइप लाइन के जरिए असम से भारतीय प्रायदीप को भेजना अभीष्ठ हो ।

(ग) फिलहाल असम के कोयले को भारतीय प्रायदीप को भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई बाजार नहीं दिखाई देता ।

श्री हिम्मत सिंहका : क्या मंत्री महोदय को पता है कि अत्यधिक परिवहन खर्च के कारण आसाम की कई कोयला खानें बन्द हो चुकी हैं तथा कुछ बन्द होने जा रही हैं । उनकी सहायता के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डा० त्रिगुण सेन : चूंकि इस प्रश्न का सम्बन्ध शिक्षा मंत्रालय से नहीं है इसलिये मैं उसक उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI : May I know whether the economic aspect of the transportation of the coal through pipe line has been studied by Government if so, whether it is economical in comparison to its transportation by Railways; and whether this system of transportation will be introduced during fourth Plan period ?

डा० त्रिगुण सेन : अलबर्ट की अनुसंधान परिषद् में तेल के साथ ठोस वस्तुओं के परिवहन की एक नई विधि का विकास किया गया है और उस पर अभी अनुसंधान जारी है । प्रयोगशालाओं में उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रयोग भी किये हैं । डा० एन० बरकोविट्ज यहाँ आये और उन्होंने कहा कि यदि यहां ऐसा करना सम्भव हुआ तो वह इसका पता लगायेंगे । परन्तु ऐसा उस स्थिति में सम्भव होता है जबकि तेल और कोयला एक ही क्षेत्र में उपलब्ध हों और वे एक ही स्थान को भेजे जायें । चूंकि भारत में इस पर प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इस पर रेलवे की तुलना में कम परिवहन खर्च आयेगा ।

श्री समर गुह : बड़ा बेहूदा विचार है कि आसाम से कोयल तेल पाइप लाइन के द्वारा भेजा जाये ।

कामोत्तेजक विज्ञापन

†*1773. **श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे कुछ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ विज्ञापनों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, जो कामोत्तेजक प्रकार के होते हैं और जो निश्चय ही नैतिकता के विरुद्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विज्ञापनों को बन्द करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार का ध्यान इस प्रकार के किसी विज्ञापन की ओर नहीं दिलाया गया है, फिर भी केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि सभी प्रकार के अश्लील प्रकाशनों के उत्पादन बिक्री और परिचालन को रोकने के लिये वे कानून के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करें ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि भारतीय समाचार पत्र-पत्रिकाओं में जो विज्ञापन प्रकाशित होते हैं वे अमेरिकन विज्ञापनों के प्रतिरूप होते हैं ? क्या चलचित्र सेंसर बोर्ड जैसी कोई मशीनरी अब विद्यमान है जो पत्र-पत्रिकाओं में ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगाये; यदि नहीं तो, ऐसी कोई मशीनरी स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सामान्यत: इस विषय का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। यदि कोई अश्लील विज्ञापन हमारी नजर में आयेगा या किसी ऐसे विज्ञापन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जायेगा तो हम अवश्य ही उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। हालांकि कोई ऐसा मामला हमारी जानकारी में नहीं लाया गया है फिर भी हमने राज्य सरकारों से इस दिशा में प्रभावकारी कदम उठाने का अनुरोध किया है।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सरकार का ध्यान ऐसे किसी भी विज्ञापन की ओर नहीं दिलाया गया है। मैं ऐसे एक नहीं, अनेक विज्ञापन प्रस्तुत कर सकता हूं जो अश्लील हैं। एक नारी पारदर्शक साड़ी में चित्रित की गई है और उसका शीर्षक दिया गया है "अवगाहन कीजिये" (टेक ए पलंज)। एक अन्य विज्ञापन है जिसमें फोम रबड़ की चटाई पर पेट के बल लेटी हुई नारी के एक मोड़ पर लिखा है "सुविधा हेतु मोड़ी गई" (मोल्डिड फार कम्फर्ट)। यहां प्रश्न उठता है, क्या मोड़ी गई ? चटाई अथवा कोई अन्य वस्तु। इस प्रकार के विज्ञापनों से लोगों का नैतिक स्तर गिरता है। सरकार ने ऐसे विज्ञापनों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की है ? राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी को टालना उचित नहीं है क्योंकि ऐसे विज्ञापनों से युक्त पत्र-पत्रिकाएं सम्पूर्ण भारत में परिचालित होती हैं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : माननीय सदस्य की बात ठीक हो सकती है। परन्तु अश्लीलता का प्रश्न तो व्यक्ति सापेक्ष है। माननीय सदस्य को जो बात अश्लील दिखाई देती है वह दूसरे के लिये अश्लील नहीं है।

श्री मनुभाई पटेल : आबराय इन्टरनेशनल होटल के सामने एक बड़ा एयर इंडिया का विज्ञापन लगा है जिसमें 13 महिलाओं के चित्र हैं तथा उसका शीर्षक है "इनमें से किसी को भी लंदन ले जाइये"। यह प्रतीकात्मक विज्ञापन हो सकता है परन्तु यह द्वयर्थक भी है। सरकार इसे किस वर्ग में रखती है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : एयर इंडिया के विज्ञापन अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञापन हैं जिन्हें विश्व में सर्वोत्तम माना जाता है। एयर इंडिया के विज्ञापनों के सम्बन्ध ऐसी कोई शिकायत हमें नहीं मिली है।

श्री कृ० मा० कौशिक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अश्लीलता का प्रश्न व्यक्ति सापेक्ष है क्या सरकार भारतीय दंड संहिता में अश्लीलता की परिभाषा व्यापक करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभा के सामने इस विषय पर एक गैर-सरकारी विधेयक विचार के लिये आने वाला है जिसके कानून बन जाने के पश्चात् अश्लीलता की परिभाषा और स्पष्ट हो जायेगी और उसके आधार पर हमारे लिये इस दिशा में कार्य करना सुगम हो जायेगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये जो सौन्दर्य भावना को ठेस पहुंचाते हैं। प्रत्येक विज्ञापन के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। श्लील और अश्लील साहित्य में क्या अन्तर है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : न्यायालय ही इस अन्तर को स्पष्ट कर सकती है क्योंकि ऐसे मामले वहीं पर तय किये जाते हैं।

श्री स० कंडप्पन : श्री दी० चं० शर्मा के गैर-सरकारी विधेयक पर प्रवर समिति में विचार किया जायेगा और भारतीय दंड संहिता में संशोधनों के सम्बन्ध में निर्णय किये जायेंगे। प्रत्येक राज्य सरकार की अश्लीलता आंकने की कसौटी भिन्न होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस समिति को व्यापक रूप देने पर विचार करेगी ; और निर्णय लेने से पूर्व क्या सरकार सब राज्यों और इस समस्या से सम्बद्ध सभी लोगों से उनकी राय प्राप्त करने का प्रयास करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह विधेयक प्रवर समिति के समक्ष नहीं है। यह विधेयक 1962 में पेश किया गया था फिर इस पर लोकमत जानने के लिये परिचालित किया गया था। इसे राज्य-सभा ने पारित कर दिया है और अब लोक-सभा में श्री दी० चं० शर्मा ने उसे प्रस्तुत किया है। अभी यह सभा के विचाराधीन है।

श्री स० कंडप्पन : मेरा प्रश्न यह नहीं था। मेरे प्रश्न का तात्पर्य यह था कि यदि पुलिस जैसे अन्य संगठनों से, जो अश्लीलता के विषय से सम्बद्ध हैं, निर्णय करने से पूर्व राय ली जायें तो अच्छा होगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : रायें एकत्र कर ली गई हैं। माननीय सदस्य उन्हें संसद् पुस्तकालय में देखने का कष्ट करें। विभिन्न राज्यों में अश्लीलता की कसौटी भिन्न-भिन्न नहीं है।

SHRI O. P. TYAGI : French blue films alongwith some other obscene literature are being smuggled into India, which leave damaging effect on children here. On the other hand, photos taken of seductive pictures from Khajurao and Puri temples are also being openly sold in the market. May I know whether Government are aware of all this; if so the action taken by them to put a check on it ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Our world famous temples are manifestation of art in its different forms. The pictures engraved or manufactured there cannot be termed as objectionable, unless they debase the taste of the people.

श्री समर गुह : केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की परामर्शदातृ समिति में अश्लीलता के दुष्प्रभाव पर सविस्तार विचार किया गया था और यह राय प्रकट की गई थी कि जो चलचित्र, भद्दे विज्ञापन विद्यार्थियों के नैतिक स्तर पर प्रहार करें वे अश्लील माने जायेंगे। उस समिति में शिक्षा मंत्री से यह अनुरोध किया गया था कि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का एक आयोग बनाया जाये जो इस बात का अध्ययन करे की अश्लील साहित्य, भद्दे विज्ञापनों और चलचित्रों का विद्यार्थियों के अनुशासनहीनता पर किस हद तक प्रभाव पड़ता है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि यदि सम्भव हो तो चलचित्रों तथा अन्य साहित्य को सेंसर करने का काम शिक्षा मंत्रालय को सौंपा जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर सम्बद्ध विधेयक पर विचार करते समय ध्यान में रखा जायेगा, और उस पर निर्णय किया जायेगा।

USE OF HINDI IN SUPREME COURT

*1776. SHRI SWAMI BRAMHANANDJI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to take any steps to start using Hindi in the Supreme Court;

(b) if so, when; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) In order to maintain the unified judicial administration of the country, it is necessary that the Supreme Court and all the High Courts should have a common language. As at present English is being used in all the High Courts, it is necessary that English should continue to be used in the Supreme Court also.

SHRI SWAMI BRAHAMANAND : Mr. Speaker, Hindi has been adopted as a national language in our constitution. But Hindi is not used being afraid of people of Madras and the people who are educated in English. Thus this Government is not following the path of Gandhi, Tilak and of those who sacrificed their all for the nation.

अध्यक्ष महोदय : जब प्रश्न ही नहीं पूछा गया है तो फिर उत्तर क्या दिया जाये।

श्री क० नारायण राव : हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि उच्चतम न्यायालय की रिपोर्टों को हिन्दी में प्रकाशित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। क्या ऐसा करना संविधान के अनुरूप होगा अथवा इसके लिये संविधान में संशोधन करना होगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं इस बारे में पता करूंगा और माननीय सदस्य को यथास्थिति बता दूंगा।

SHRI KANWARLAL GUPTA : May I know the time by which case law and regulations of the Supreme Court will be got translated into Hindi; whether it is a fact that the Home Ministry has issued a circular to all offices giving instruction that Hindi numerals should not be used; if so the reasons therefor ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : When High Courts will begin using Hindi in their proceedings and there will be great demand for Hindi version of case laws or court proceedings, the question of their translation will be considered.

As far as the use of international numerals is concerned, we have decided to adopt the Indian form of international numerals. They have been given official recognition.

SHRI KANWARLAL GUPTA : But how did they issue such an order which is contrary to the constitution because the constitution provides for the use of both kinds of numerals ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The Government have decided to do so.

श्री शंकर सूपकार : क्या उच्चतम न्यायालय से इस बारे में सम्मति मांगी गई है कि पूर्ण रूपेण हिन्दी अपनाने में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अभी वह स्थिति नहीं आयी है जबकि ऐसी राय का लिया जाना आवश्यक हो ।

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : Last time one suggestion was given to the Home Minister that after 1965 Bills in Parliament should be introduced in both languages. Till now after 1965 though Hindi has become the official language, but Bills in Hindi are not accepted in the Parliament. Therefore I would like to know the time by which Bills in both languages will be brought in Parliament and both will be treated as authenticated ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : It is going to be finalized shortly.

SHRI BIBHUTI MISHRA : Our Constitution guarantees that every body will get social justice; but social justice is denied to them who do not know English, because they cannot understand the proceedings of the court. May I know whether Government will make such an arrangement as will allow the judge and the lawyers of the court in Hindi if the plaintiff belongs to Hindi speaking area ?

श्री तेनेट्टि विश्वनाथम : हमारे देश के उच्च न्यायालय अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषा को कार्यवाही के लिये अपना सकते हैं । क्या इस समय सब उच्च न्यायालय के लिये भारतीय भाषाओं को अपना लेना उचित होगा ? क्या इस बारे में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय की राय मांग ली गई है ? क्या उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई गई जाने वाली भाषाएं भिन्न होंगी या वे सब एक ही भाषा अपनायेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मूल आवश्यकता तो इस बात की है कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की भाषाओं में अनुरूपता हो । आजकल यह भाषा अंग्रेजी है । कुछ वर्ष पूर्व इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधिपति ने सरकार से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या वह न्यायालय में हिन्दी में बहस करने की अनुमति दे सकता है अथवा नहीं । उसे अनुमति दे दी गई थी । किसी अन्य उच्च न्यायालय ने अभी तक इस प्रश्न को नहीं उठाया है । इसलिये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है ।

SHRI RAM SEWAK YADAV: May I know whether any State Government particularly the U.P. Government have sought the permission of the President to use the language of the State in the High Court; if so, the orders of the President in respect thereto.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I far as I know the Government have received no such letter from any state.

SHRI SHIV CHARAN LAL : A number of times, I have written to the hon. Minister that he should send all the letters and information to me in Hindi, but this is not being done. It causes harassment to me because somebody else has to read it for me.

RAM SEWAK YADAV : May I know whether the information etc. sent to the Members of Parliament, is sent in their mother tongue ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : We send replies in Hindi to those letters received by us in Hindi. We always try to make all kinds of correspondence in Hindi with the people of Hindi speaking area.

SHRI RAM SEWAK YADAV : May I know whether the letters or circulars sent to MPs. by Government on its own accord are also sent in Hindi ?

श्री कन्डप्पन : अंग्रेजो और हिन्दी दोनों ही मेरी मातृभाषा नहीं है ।

श्री कृ० गु० देशमुख : मैं समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही व निर्णय को हिन्दी में लाने के लिए कुछ समय लगेगा। लेकिन तब तक क्या यह सम्भव नहीं है कि जो वकील हिन्दी में बहस करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने दिया जाय ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : स्पष्टता यह अव्यावहारिक होगा अगर हर कार्यवाही अंग्रेजो में हो और केवल वाद-विवाद हिंदी में करने दिया जाय तो इससे बहुत कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। फिर भी इसके देखने का कार्य भारत के मुख्य न्यायाधीश का है ।

श्री नाथ पाई : प्रश्न के भाग (क) में पूछा गया है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय में हिन्दी के व्यापक प्रयोग के लिए क्या कदम उठा रही है। मंत्री महोदय को मालूम होगा कि एक राजभाषा आयोग बना हुआ है जहां तक हम जानते हैं कि अभी विधानों के 33,000 पन्ने अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने हैं। उच्च न्यायालय स्तर तक हिन्दी व अन्य भाषा शुरू करने से पहले यह अत्यावश्यक है, अभी तक केवल 2,200 पन्ने इंग्लिश से हिन्दी में अनुवाद हुए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार गंभीरता से ऐसे कौन से कदम उठा रही है जिससे कि सब सम्बद्ध विधान अच्छी और विश्वसनीय हिन्दी में उपलब्ध हो सकें इससे पहले कि हम पर्याप्त स्तर तक हिंदी का प्रयोग करें ।

श्री कण्डप्पन : इसमें बहुत अधिक व्यय होगा ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह ठीक है, इस कार्य को राजभाषा विधान आयोग कर रहा है परन्तु दुर्भाग्यवश इसके कार्य में बहुत अधिक गति नहीं रही है और जितनी हम को आशा थी उतना वह कार्य नहीं कर पाई है। हाल ही में हमने राजभाषा विधान आयोग को पुनर्गठित किया है और इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की है ताकि कार्य में तेजी लाई जा सके। हमें आशा है कि आने वाले वर्षों में इसके कार्य में काफी गति आयेगी ।

SHRI SARJOO PANDEY : Many judges of the Supreme Court and the High Court have expressed their opinions that the work of Courts cannot be done in Hindi. I would like to know the reaction of the Government and the steps taken in this Direction. Some of the Judges are of the opinions that work of the Courts can take place in Hindi then whether the Government is taking any special steps for it.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The opinion of the Government is clear. There is a provision in the Constitution that the language of Supreme Court and other High Court will be Hindi. The question is what to do till it does not take place. It is apparent that English will be used for the work of court till it is not possible. As has been stated in reply to Shri Nath Pai's question that we are all trying that the work of different High Courts and Supreme Court may be conducted, smoothly in Hindi. It is difficult to say how much time it will take.

श्री नायनार : विधि मंत्री ने प्रेस में वक्तव्य दिया है कि केरल के उच्च न्यायालय में मलयालम के प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं है और सरकार इस पर विचार कर रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि उच्च न्यायालयों में प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने में सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस पर संसदीय समिति राजभाषा पर बिठाई गई थी जिसने इस पर विचार किया, उनकी राय थी कि अपने-अपने राज्यों में न्याय के क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग का पूरा-पूरा अवसर होना चाहिए। और उन्होंने यह सिफारिश की कि निर्णय डिगरी, आदेश आदि के लिए हिंदी या अन्य राज्य की राजभाषा के प्रयोग में विकल्प होना चाहिए। परन्तु यह राष्ट्रपति से पूर्व सहमति से ही होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जब कभी भी उचित अवसर आयेगा तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस सत्य की ओर दिलाया गया है कि प्रशासन में काम आने वाले मुख्य शब्दों का हिन्दी में अभी तक मानकीकरण नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए 'प्रधान मंत्री' और 'मंत्री' शब्दों को ही लीजिये। अखिल-भारतीय कांग्रेस समिति में 'मंत्री' का अर्थ 'सचिव' से होता है और संसद् में मंत्री का अर्थ मंत्री (Minister) से होता है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों का हिन्दी में मानकीकरण नहीं किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय में हिन्दी का प्रयोग करने से उत्पन्न परिणामों पर उन्होंने विचार किया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह कहना गलत होगा कि सरकारी पारिभाषिक शब्दावली का मानकीकरण नहीं किया गया है, यह देखना हमारा काम नहीं है कि कौनसी संस्था हमारी मानकीकरण पारिभाषिक शब्दावली को कैसे और किस रूप में प्रयोग करती है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है हमने मानकीकृत पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया है जिसे हम उत्तरोत्तर प्रयोग में ला रहे हैं।

श्री जेवियर : राजभाषा संशोधन अधिनियम और प्रस्ताव के पारित हो जाने से विशेष कर अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के लोगों ने आन्दोलन किया है कि इस प्रस्ताव और अधिनियम से उन पर मुसीबतें आई हैं। अहिन्दी भाषी लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा विचार है कि इस प्रस्ताव और राजभाषा अधिनियम को लागू करने में राष्ट्र का मत लेना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं कि इन परिस्थितियों में वर्तमान अधिनियमों को अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने की क्या आवश्यकता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह राष्ट्र की राजभाषा का प्रयोग करने के लिए तैयार करने का प्रश्न है इसलिए आवश्यकता है कि हम उन कानूनों का जो पहले ही पारित हो चुके हैं और अब हो रहे हैं, उनका अनुवाद करते जायें, ताकि जब हम इन भाषाओं का प्रयोग न्यायालयों में करें तो हमें इसके लिए सामग्री तैयार मिले और किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

श्री क० लकप्पा : देश में भाषा के मामले ने वाद-विवाद उत्पन्न कर दिया है, इस बात को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दी को सर्वोच्च न्यायालय में प्रयोग

करने से पूर्व सरकार अखिल-भारतीय परिषद् संस्था से परामर्श लेगी जिसने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि देश में फूट और विवाद को देखते हुए हिंदी के प्रयोग में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए । बार परिषद् संस्था के इस पारित प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने अपने मुख्य उत्तर में यह बतला दिया था कि हम जल्दी में नहीं हैं । हम इस मामले में जल्दीबाजी नहीं करना चाहते, हम कोई कार्य करने से पूर्व उसके लिए उचित आधार बनाना चाहते हैं ।

SHRI SHINKRE : Before the independence of Goa, the proceedings of the Court of Goa was conducted in Portuguese and French languages, which were used before the independence of Pondicherry. But in Goa, it was switched over to English within a six years and it was done smoothly. I would like to know whether the Government is prepared to take opinion poll to fix the time limit for the use of Hindi in the Supreme Court.

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि क्या हम कुछ उच्च न्यायालयों में हिन्दी अपना सकते हैं । मैं पहले ही कह चुका हूं कि एकरूपता के लिए हम और कुछ नहीं करना चाहते ।

श्री सेझियान : अभी मंत्री महोदय ने राजभाषा पर बिठाई गई संसदीय समिति की उस निर्णय की ओर संकेत किया है जिसमें कहा गया है कि प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग उच्च न्यायालय में वांछनीय है । उस बात को और श्री नाथपाई द्वारा कुछ अधिनियमों का हिंदी में अनुवाद करने के प्रश्न के उत्तर को देखते हुए, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वही प्रयत्न हिन्दी को तुलना में अधिनियमों का दूसरी राष्ट्र भाषाओं में अनुवाद करने के लिए किया जा रहा है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : केन्द्रीय राज्य भाषा आयोग विधि सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली बना रहा है जो लाभदायक हो सकती है और सब राष्ट्रीय भाषाओं के प्रयोग में लाई जा सकती है । यही कारण है कि राजभाषा अधिनियम आयोग में हमने उन सब प्रतिनिधियों को स्थान दिया है जो देश में प्रत्येक भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

श्री सेझियान : मेरा कहना यह है कि कुछ अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है, श्री नाथपाई ने कहा है कि 2,200 पन्नों का अनुवाद किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि उतना ही कार्य दूसरी भाषाओं में भी हुआ है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : केन्द्रीय राजभाषा आयोग केवल पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कर रही है जो प्रत्येक भाषाओं के प्रयोग में लाई जायेगी । **(व्यवधान)**

श्री राजाराम : आपने 2,200 पन्ने हिंदी में अनुवाद किये हैं दूसरे भाषाओं के बारे में क्या स्थिति है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं स्थिति को स्पष्ट कर रहा हूं, जहां तक कानूनों का अंग्रेजी से भारतीय संघीय भाषा में अनुवाद करने का सम्बन्ध है, वह यह आयोग कर रहा है । जहां तक कानूनों का अंग्रेजी से प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने का सम्बन्ध है, यह विभिन्न राज्य सरकारें कर रही हैं । राज्य स्तर तक आयोग बने हुए हैं जो इस कार्य

को कर रहे हैं। हम केवल समान पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करके उनकी सहायता कर रहे हैं ताकि जब भारतीय भाषाओं में कार्य होने लगे तो समस्त देश में एक रूपता रहे।

श्री नारायण रेड्डी : उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायाधिकरण है। मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हिन्दी लाने का निर्णय केन्द्रीय सरकार का ही एक-तरफा निर्णय होगा या कि दूसरे अहिन्दी भाषी राज्यों की सहमति भी इसमें होगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : स्वभावत: इस प्रकार का निर्णय सब की राय से और मुख्य न्यायाधिपति की सिफारिश पर लिया जायेगा।

SHRI D. N. TIWARI : The speed of Translation in Hindi is very slow : Till now only 2,200 pages have been translated : I want to know what action Government is doing to speed up this work so that translation work may be done quickly.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have already stated in my reply to a question that our speed had been slow and it was delayed considerably. But we have formed a new Commission and more members have been included into it. I hope the work will be speeded up in future.

श्री विक्रम चन्द महाजन : इस सत्य को देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से न्यायाधीश दक्षिण के हैं और 50 प्रतिशत मामले दक्षिण से आते हैं, क्या जब तक सब राज्य हिन्दी नहीं अपना लेते तब तक सुप्रीम कोर्ट में एक भाषा हिंदी का प्रयोग सम्भव होगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह अनुमान पर आधारित प्रश्न है। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

श्री दिनकर देसाई : मंत्री महोदय ने कहा है कि अन्ततोगत्वा हिंदी ही सुप्रीम कोर्ट की भाषा होगी। अगर ऐसा है तो मैं जानना चाहूंगा कि कब हिंदी अन्ततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट की राजभाषा बनेगी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट समस्त भारत के लिए है न कि केवल हिंदी भाषी राज्यों के लिए है। मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन लेना चाहता हूं कि क्या बाद में अंग्रेजी हिंदी के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग में लाई जायेगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : स्थिति यह है, आज हिन्दी मुख्य राजभाषा है और अंग्रेजी सहायक राजभाषा है। उच्चतम न्यायालय में भी यह स्थिति होनी चाहिये।

श्री जी० विश्वनाथन : मेरे माननीय मित्र श्री वाजपाई ने बड़ा ही उपयुक्त प्रश्न पूछा है कि क्या अंग्रेजी में बने हुए अधिनियमों का विश्वसनीय हिन्दी में अनुवाद कर लिया गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या देश में अच्छी विश्वसनीय हिन्दी उपलब्ध है। अगर नहीं है तो क्या वह इसका निर्माण करने जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : हमें दूसरी भाषाओं से शब्द लेने चाहिएं।

श्री जे० एच० पटेल : (कन्नड़ में प्रश्न पूछा है)।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि जब संसद् में हमने सब भाषाओं को स्वीकार कर लिया है तो सुप्रीम कोर्ट में हम सब भाषाएं क्यों नहीं स्वीकार कर लेते।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कारण स्पष्ट हैं।

श्री नम्बियार : (तमिल में प्रश्न पूछा है)।

श्री उमानाथ : आप कृपया इसका अनुवाद कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे अनुवादक बना रहे हैं।

यह प्रश्न है कि क्या तमिल में भी इसका अनुवाद होगा। इसका उत्तर भी स्पष्ट है।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

आदिम जाति सम्प्रदाय के लोधा लोगों पर अत्याचार

अ० सू० प्र० 35 :

श्री समर गुह :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री भजहरी महतो :
श्री अ० कु० किस्कु :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 और 30 मार्च 1968 के बीच सशस्त्र भीड़ ने मिदनापुर जिले (पश्चिम बंगाल) के झाड़ग्राम सब-डिवीजन के बहुत से गांवों पर, जिनमें आदिम जाति सम्प्रदाय के लोधा लोग रहते थे, बार-बार हमला किया था, इन गांवों को जला दिया था और लूट-पाट की थी तथा बहुत से लोधों को मार दिया था;

(ख) क्या सैकड़ों आतंकित लोधों ने झाड़ग्राम सब-डिवीजन कार्यालय के कोर्ट अहाते में शरण ली है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और लोधों के गांवों पर भीड़ द्वारा किये गये हमले किस प्रकार के थे तथा इनके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई और कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(घ) आदिम जाति के सम्प्रदाय के लोधा लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने क्या कार्यवाही की है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (घ). राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार 25 मार्च और 29 मार्च 1968 के बीच मिदनापुर जिले के झाड़ग्राम सब-डिवीजन के लोधों कालोनी के गांवों जरालेटा, साटो, रूलगेटिया, पथरनाला, सुभाषा, ढोलकट, कुंडलदिही, बगहुदंग और गिरा में लाठियों, धनुषों, तीरों आदि से लैस होकर संथालों ने आक्रमण किया, 20 मार्च 1968 को लोधों द्वारा महुलबानी गांव के सम्भू सरन के घर में डकैती डालने की घटना से यह उत्तेजना फैली। घर की दो महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। संथालों ने इस सारे समाज के लिए अपमान समझा और वे बदला लेने के लिए

उत्तेजित हुए । संथालों के इस प्रतिशोधात्मक आक्रमणों से 4 लोधा मारे गये और उनकी 50 झोंपड़ियां जला दी गयीं । करीब 75 लोधा परिवारों ने झाड़ग्राम के सब-डिवीजनल आफिसर के अहाते में शरण ली । उन्हें धन और उपज राहत के रूप में दी गयी और वे अपने-अपने घरों को लौट गये । जिला अधिकारियों ने पर्याप्त रोक-थाम के उपाय करते हैं और क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी एजेंसियों की भी मदद मांगी है । लोधा और सन्थालों में फिर कोई मुठभेड़ नहीं हुई ।

राज्य सरकार की अनुसूचित जाति और आदिम जाति कल्याण विभाग भी लोधा समाज के आर्थिक पुनर्वास की समस्या पर ध्यान दे रही है ।

श्री समर गुह : जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मेरे पास दस्तावेजों का बंडल है परन्तु मैं उनको पढ़कर सुनाना नहीं चाहता ।

इस वक्तव्य में भारत के अत्यधिक गरीब समाज लोधा पर नृशंस अत्याचार करने के नीच षड्यन्त्र का वर्णन नहीं है । इसकी पृष्ठभूमि यह है । ये लोधा बहुत गरीब हैं, और उनके पास न भूमि और न कोई जीविका के साधन हैं । पहले वे झाड़ग्राम के सुरक्षित वनों से ईंधन इकट्ठा करते थे परन्तु सरकार ने इसका निषेध कर दिया यह सत्य है कि पहले लोधा समाज कुछ तरह की चोरियाँ करता था । परन्तु 15 वर्ष पूर्व हरिजन सेवक संघ के निष्ठावान गांधीवादी कार्यकर्त्ता ने एक शांतिगढ़ मावर कालोनी की स्थापना की और हरिजन सेवक संघ ने सामाजिक उद्धार के लिए भरसक प्रयत्न किया । यह पुलिस के गजट में अंकित है और चोरी व दूसरे प्रकार के अपराधों के कम हो जाने की प्रशंसा की गई है । परन्तु हुआ क्या ? अपराधी लोधों का अमीर लोग,- संथाल और स्थानीय पुलिस द्वारा शोषण किया जा रहा है । वे यह किया करते थे कि जब लोधा किसी भी प्रकार की चोरी करते थे तो उनके लूट का एक बड़ा भाग ले लिया जाता था । इससे क्या हुआ । हरिजन सेवक संघ . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इन सब बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है । वे अपना प्रश्न पूछें ।

श्री समर गुह : यह षड्यंत्र है अब मैं उस डकैती की बात कर रहा हूं । चूंकि हरिजन सेवक समाज उद्धार कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय कर रहा था इसलिये महातो समाज के कुछ अमीर लोग, कुछ संथाल और कुछ पुलिस अधिकारी एक गुप्त षड्यंत्र में शामिल हुए ताकि एक संथाल के घर पूर्व-नियोजित डकैती डालने के लिए कुछ लोधाओं को काम में लाया जाय । तब हरिजन सेवक समाज के दबाव से वे लोग, जिन्होंने डकैती डाली थी पुलिस के सम्मुख समर्पण हो गये । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं, वे अपना प्रश्न पूछें ।

श्री समर गुह : केवल दो वाक्य और कहने दीजिये ।

उन्होंने पुलिस के सामने अपने आपको समर्पण कर दिया । न्यायालय में उन्होंने चौंकानेवाली बात का रहस्योद्घाटन किया कि किसी भी महिला का बलात्कार नहीं किया

गया और मकान में डकैती डालने के लिए संथालों ने उनको नियुक्त किया और कुछ संथालों ने, जो इस षड्यंत्र के सदस्य थे, मकान का पहरा किया।

जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पुलिस द्वारा किये गये इस नृशंस अत्याचार के पीछे एक षड्यंत्र है। मैं जानना चाहता हूं कि जब 25 से 29 मार्च तक लोधाओं पर बड़े पैमाने के साथ अत्याचार किये जा रहे थे तो क्या पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि लोधा समाज के एक महाजन द्वारा 27 तारीख को जिला न्यायाधीश को एक तार भेजा गया था परन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। केवल जब यह खबर कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका में छपी थी तब पुलिस उस उपद्रवी क्षेत्र में गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस षड्यंत्र की नीच कहानी को ध्यान में रखते हुए इस समस्त मामले की न्यायायिक जांच नहीं करवायेगी जिसमें कि लोधा समाज पर किये गये अत्याचार और षड्यन्त्र करने वालों को दण्ड दिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या सरकार न्यायायिक जांच करवायेगी।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं राज्य सरकार के पास यह प्रस्ताव विचार के लिए भेजूंगा। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने षड्यंत्र के बारे में कहा है मुझे ऐसी सूचना नहीं मिली है। (**व्यवधान**)। मेरा विचार था कि सम्भवतः माननीय सदस्य मेरे से सूचना चाहते थे परन्तु वे मुझे सूचना दे रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। परन्तु अगर वे यह सूचना लिखित रूप में दें तो निश्चय ही मैं इसकी जांच-पड़ताल करूंगा।

श्री समर गुह : अनुसूचित जाति और आदिम जाति का सामाजिक-आर्थिक उद्धार करना एक विशेष कार्य है जिसकी व्यवस्था समस्त राष्ट्र में की गई है। इस सत्यता को देखते हुए मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के अध्यक्ष श्री निर्मला घोष को पश्चिमी बंगाल में लोधा समाज के आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों और समस्त कार्य-कलापों की जांच करने के लिए भेजने में सहमत होगी। और लोधा समाज की उन्नति के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ सहयोग से एक दीर्घकालीन परियोजना का निर्माण करेगी।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह भी एक प्रस्ताव है। परन्तु मैं जांच कराने का यह प्रस्ताव नहीं रखता जबकि ये मामले स्थानीय अधिकारियों द्वारा देखे जा रहे हैं। जहां तक स्थानीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के अधिकारियों के प्रयत्नों का सम्बन्ध है, हम निश्चय ही उन्हें इस मामले में आवश्यक सहयोग देंगे।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मैं मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये प्रश्न और वक्तव्य में कोई सम्बन्ध नहीं पाता हूं।

वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया कि 25 और 29 मार्च के बीच यथा पांच दिन कुछ उपद्रवी घटनाएं घटीं, परन्तु प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि जब संथालों और लोधाओं के दो दलों में मुठभेड़ हुई तो सरकार ने क्या कार्यवाही की, वक्तव्य में यह भी स्वीकार किया गया कि 25 मार्च से पहले कुछ घटनाएं घटीं और एक दल ने कुछ करने के लिए पूर्व-नियोजित तैयारी की। एक बात की यहां चर्चा नहीं की

गई परन्तु उसका हमें ज्ञान है। 25 मार्च की घटना के बाद किसी माधव लोधा ने तुरन्त ही जिला न्यायाधीश को एक तार दिया जिसमें कहा गया कि इस प्रकार के समस्त मुठभेड़ों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। परन्तु लोगों को तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब जिला न्यायाधीश ने कोई भी कार्यवाही करने की परवाह न की। 30 या 31 मार्च को जिला न्यायाधीश ने कार्यवाही की ओर वह भी तब जैसे कि मेरे माननीय मित्र समर गुह ने कहा है कि जब यह खबर अमृत बाजार पत्रिका में छपी थी तब ही वे कार्यवाही करने के लिए आगे आये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन पथ-भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार करती है।

दूसरा, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन के बाद उचित प्रशासन के अभाव में ये घटनाएं घट रही हैं। इसका जिम्मेवार कौन है। क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय इस कांड की जिम्मेवारी लेंगे।

तीसरा, सरकार इन निर्दोष आदिम जाति लोगों के मन में विश्वास फिर से लाने के लिए क्या कर रही है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : निश्चय ही मैं अपनी जिम्मेवारी से बचना नहीं चाहता विशेषकर इस मामले में जबकि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन है। इस मामले में पहला कदम यह लिया जा सकता है कि जो अपराध हुए हैं उनकी जांच-पड़ताल की जाय और दूसरा इस प्रकार के कदम उठाये जायें जिससे कि लोधा समाज के मन से अत्याचार के भय को दूर किया जा सके। इसके लिए उन्हें सुरक्षा की भावना देना आवश्यक है और उन्हें पुनर्वास के लिए सहायता देना है, जो कि दी जा रही हैं। लेकिन अब माननीय सदस्य मुझे कुछ और अधिक सूचना दे रहे हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे सूचना दें और मैं इसको देखने को तैयार हूं।

श्री समर गुह : हम समस्त सूचना देंगे।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मंत्री महोदय को इन सब सूचनाओं के लिए कितने और दिन की आवश्यकता होगी।

श्री अ० कु० किस्कु : मैं स्वयं उसी क्षेत्र के आदिम जाति का हूं इसलिए मुझे लोधाओं के कष्टों का अनुभव है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के लोगों में व्याप्त यह भावना है कि लोधा एक हठी जाति है जो कभी भी चोरी के मामले को स्वीकार नहीं करेगी। अगर उन पर मुकदमा चलाया जाय और तीन महीने का कठोर कारावास दिया जाय तो वे बारह महीने का कारावास मांगेंगे।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए क्या मैं गृह मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या कुछ समय से उस क्षेत्र में चोरी या डकैती का मामला चल रहा था। और 30 तारीख को झाड़ग्राम जिले के पिलगेरिया में एक सभा हुई जिसमें कि जिला न्यायाधीश, एस० डी० ओ० और एस० डी० पी० ओ० उपस्थित थे। विभिन्न सम्प्रदाय जैसे संथाल, महाटास और भगला के लोगों ने सरकार को कहा कि यह सब पुलिस की शिथिलता

और अयोग्यता के कारण और सरकारी मशीनरी का जनता को संरक्षण देने में असफलता के कारण हुआ। वे अधिकारियों को यह बताना चाहते थे कि यह आन्दोलन न केवल संथालों द्वारा बल्कि दूसरे सम्प्रदायों द्वारा भी हुआ और यह सब पुलिस के बार-बार शिकायत करने पर भी कार्यवाही न करने के कारण हुआ। दूसरी ओर पुलिस न केवल निष्क्रिय रही परन्तु उसने लोधाओं द्वारा चोरी व लूट के माल का हिस्सा लिया। इस पृष्ठभूमि में क्या मैं गृह मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वे सदन को सूचित करें कि जहां तक पुलिस मशीनरी का सम्बन्ध है क्या इस प्रकार की निर्दयता उस क्षेत्र में फैली हुई है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं उससे मेरी जानकारी मेल नहीं खाती परन्तु फिर भी मैं इसको देखने को तैयार हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

हैदराबाद में आदिवासियों से चीन में बने गोला-बारूद का पकड़ा जाना

*1768. **श्री अंबचेजियनं** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में आदिवासियों से चीन में बना गोला-बारूद पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि चीनी एजेंट इन आदिवासियों को हथियार तथा धन बांट रहे हैं ताकि वे सरकार के विरुद्ध अपना सिर उठा सकें; और

(ग) चीनी हथियारों की तस्करी रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही पैदा नहीं होते।

अन्तर्राष्ट्रीय कला त्रि-वार्षिकी

*1772. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय कला त्रि-वार्षिकी के एक पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री कृष्ण खन्ना ने उस पुरस्कार को वापिस कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) ललित कला अकादमी से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कृष्ण खन्ना ने ललित कला अकादमी के अध्यक्ष को लिखा है कि क्योंकि उनको दिये गये पुरस्कार के साथ कुछ शर्तें रखी गई हैं, इसलिये वह उसे अपने पास रखना नहीं चाहते।

(ग) हमें पता लगा है कि 7 मई 1968 को ललित कला अकादमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में इस मामले पर विचार किया गया था। ललित कला अकादमी ने इस मामले को अभी सरकार के पास नहीं भेजा।

1968-69 के लिये दिल्ली की वार्षिक योजना

*1774. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 के लिये दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ख) 1968-69 के वार्षिक योजना के व्यय में किन-किन परियोजनाओं के लिये धन नियत किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). संघ-राज्य क्षेत्र, दिल्ली की 1968-69 की वार्षिक योजना के लिये 23. 40 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। शीर्षवार नियतन का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा** गया। देखिये संख्या एल० टी० 1289/68 ।]

संसद् सदस्य, श्री मधु लिमये पर हमला

*1777. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 13 फरवरी, 1967 को श्री मधु लिमये, संसद् सदस्य पर किये गये हमले के बारे में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) इन व्यक्तियों पर किन आरोपों और कानून की किन धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा जा रहा है; और

(ग) यह मुकदमा इस समय किस अवस्था में है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

डलहोजी-चम्बा-भदरवाह पर्यटन सर्किट

*1778. { **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बलराज मधोक :
श्री जमना लाल : }

क्या **पर्यटन** तथा **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डलहौज़ी-चम्बा-भदरवाह आन्तरिक हिमालय में एक सुन्दर पर्यटन सर्किट है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चम्बा और भदरवाह के बीच अभी तक मोटर गाड़ियों के चलने योग्य सड़क नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि हिमाचल प्रदेश सरकार ने चम्बा से पडनी दर्रे तक मोटर गाड़ियों के चलने योग्य सड़क बना दी है, तथापि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने अभी तक भदरवाह और पड़नी दर्रे के बीच एक ऐसी सड़क नहीं बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर्यटन सर्किट को पूरा करने के लिये इस सड़क को बनाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी हां ।

(घ) जम्मू और काश्मीर सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें भारत सरकार भदरवाह से जम्मू और काश्मीर/हिमाचल प्रदेश के सीमान्त तक एक मोटर योग्य सड़क के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता की प्रार्थना की गई है । इस प्रस्ताव पर चौथी पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध वित्तीय नियतन को दृष्टि में रखते हुए विचार किया जा रहा है ।

MOTELS AND REST HOUSES ON AGRA-BOMBAY HIGHWAY

*1779. SHRI SHASHIBHUSHAN BAJPAI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state whether any scheme is being prepared by Government to construct motels and rest houses alongwith petrol-pumps within a distance of about every 100 miles for the convenience of transporters and others on Agra-Bombay highway ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : No such scheme is under consideration of the Government at present.

दल बदलने सम्बन्धी विधान

1780. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दल बदलने की समस्या पर विचार करने के लिये हाल में बनाई गई समिति ने दल बदलने सम्बन्धी विधान बनाने की आवश्यकता के बारे में कुछ स्थायी निर्णय किये हैं;

(ख) उस समिति के सुझावों का सारांश क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही पैदा नहीं होते ।

विजयवाड़ा में पीटे जाने वाले हरिजन की मृत्यु

*1781. **श्री टी० पी० शाह :**

श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री राम चरण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के निकट मणिकोंडा गांव में एक हरिजन को पीट कर जान से मारने की दूसरी घटना का समाचार मिला है;

(ख) पिछले दो वर्षों में आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार तथा दमन के ऐसे कितने मामलों की रिपोर्टें मिली हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) देश में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) राज्य सरकारों से तथ्यों की जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(ग) व्यक्तिगत मामलों में आवश्यकतानुसार कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। इन घटनाओं से उठने वाले सामान्य प्रश्नों पर दिल्ली में 19 मई 1968 को मुख्य मंत्रियों की बैठक में इसकी चर्चा की जायेगी।

विवरण

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 14-15 अप्रैल, 1968 की रात के दो बजे इन्दुपल्ली विल्सन कनीकोंडा गांव के एक लक्समैया के घर के आंगन में घुसा और ईंधन का गट्ठा ले जाने की कोशिश की। लक्समैया के लड़के, हरिनाथ बाबू जो कि शौच कर रहा था, ने उसको पकड़ने की कोशिश की। हाथा-पाई के दौरान इन्दुपल्ली विल्सन ने हरिनाथ बाबू के सिर पर पत्थर मारा जिससे खून निकलने लगा। हरिनाथ का चिल्लाना सुन कर उसके भाई और पड़ौसी उस स्थान पर आये और उन्होंने इन्दुपल्ली विल्सन को पकड़ कर डंडे से मरम्मत की। गांव का मुंसिफ और करानाम 4 बजे के करीब आये और लक्समैया के चोरी और उसके लड़के के चोट के बयान लिये तब उन्होंने विल्सन को कानकीपडु पुलिस स्टेशन रिक्शे में भेजा। जब विल्सन 9 बजे के करीब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वह बहुत ही नाजुक हालत में था। पुलिस स्टेशन में स्टेशन राइटर ने विल्सन के बयान दर्ज किये जिसमें उसने यह स्वीकार किया कि वह हरीनाथ बाबू के घर ईंधन की चोरी कर रहा था और हरीनाथ बाबू और दूसरे लोगों ने उसे मारा-पीटा। विल्सन को सरकारी अस्पताल में ले जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। भारतीय दण्ड संहिता 302 के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है। मृतक पर जो घातक मार-पिटाई की गई, उस में पांच व्यक्ति शामिल हैं। दो पकड़े जा चुके हैं और शेष को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया है कि इन्दुपल्ली विल्सन की पिटाई किसी जाति विशेष के कारण नहीं हुई।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा

*1782. **श्री मंगला थुमाडोम:** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को सब मौसम काम आने वाला हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है; और

(ख) क्या विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों से त्रिवेन्द्रम के लिये कुछ और विमान सेवाएं चलाने का प्रस्ताव किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) त्रिवेन्द्रम का हवाई अड्डा अब भी दिन के समय हर मौसम में परिचालन के लिये उपयुक्त है। इसका रात्रि परिचालन के लिये भी विकास किया जा रहा है।

(ख) त्रिवेन्द्रम इस समय विमान सेवा द्वारा कोलम्बो के अलावा मद्रास, बम्बई, हैदराबाद, मदुराई, त्रिची और कोचीन से जुड़ा हुआ है। त्रिवेन्द्रम को किसी और शहर के साथ विमान सेवा द्वारा जोड़ने का अभी तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

नजर बन्दियों के साथ मिज़ो लोगों का सम्पर्क

*1783. म० ला० सोंधी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत आसाम में हिरासत में लिये गये कुछ व्यक्तियों ने मिजों विद्रोहियों के साथ सम्पर्क स्थापित किये थे और उनसे हथियार प्राप्त किये थे;

(ख) क्या प्राधिकारियों ने गोहाटी में लाये गये हथियारों के स्रोत का पता लगा लिया है और क्या पकड़े गये व्यक्ति लचित सेना के व्यक्ति पाये गये थे; और

(ग) गोहाटी में मिज़ो लोगों द्वारा स्थानीय लोगों को हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). ऐसी शंका की जा रही है कि हाल ही में शिलांग में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये कुछ व्यक्तियों ने मिज़ो विद्रोहियों से सम्पर्क स्थापित किये हैं। कुछ व्यक्तियों को जिन्हें गोहाटी में हुए दंगों के सम्बन्ध में 26 जनवरी को गिरफ्तार किया था, के बारे में भी यह शंका की गई है कि उनका लचित सेना की गतिविधियों से सम्बन्ध रहा है। शस्त्रों के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है।

(ग) जिन व्यक्तियों पर मिज़ो विद्रोहियों के साथ सम्बन्ध बनाये रखने का सन्देह है, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। विद्रोही मिज़ो द्वारा जनता के दूसरे वर्गों को अस्त्र सप्लाई किये जाने से रोकने के लिये लगातार सतर्कता बरती जातीहै।

NEW PLANES FOR I.A.C.

*1784. SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI :
SHRI S. KUNDU :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation of officials of the Indian Airlines Corporation went to Russia and U.K. recently to purchase new planes to replace old ones;

(b) if so the main features of the report submitted by them; and

(c) the decision taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) Yes, Sir. A team of officers was recently deputed by the Indian Airlines to the USSR and the U.K. to assess the suitability of the aircraft manufactured in these countries. Earlier, a similar team had been deputed to the United States.

(b) The team is finalizing it's report and will submit it to the Indian Airlines.

(c) The report of the team, along with the recommendation of Indian Airlines will be considered by Government when received.

ROAD-CUM-RAIL BRIDGES OVER GANGA AND RAMGANGA

*1785. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the need for constructing a rail-*cum*-road bridge over Ganga and Ramganga between Farrukhabad and Shahjahanpur;

(b) whether it is a fact that Government sanctioned six crores of rupees in the Third Five Year Plan for this Project, out of which 25 lakhs of rupees were given to the Government of Uttar Pradesh to start the work;

(c) whether it is also a fact that the Government of Uttar Pradesh has not taken any action in this regard so far; and

(d) whether Government propose to direct the State Government to start the said work and get it completed by giving the amount sanctioned for this purpose; and if so, when ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) and (b). No, Sir.

(c) and (d). The State Government have approached the Government of India for loan assistance to meet 50% of the cost of constructing independent road-bridges over the Ganga and the Ramganga rivers near Farrukhabad. This request is under consideration.

दिल्ली पुलिस

1786. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने प्राधिकारियों द्वारा पुलिस कर्मचारियों के तंग किये जाने के विरोध में 5 अप्रैल, 1968 को एक बड़ा प्रदर्शन किया था;

(ख) क्या यह सच है कि यह प्रदर्शन केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री के निवास-स्थान के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन किये जाने के एक वर्ष बाद तथा राष्ट्रीय अपराध-निरोध के अवसर पर किया गया था;

(ग) क्या उन्होंने यह मांग की है कि प्रदर्शन के बाद गत वर्ष मुअत्तिल किये गये सभी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापिस लिया जाये तथा जिनको बर्खास्त किया गया था, उनको पुन: नौकरी पर रख लिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। परन्तु यह समाचार मिला है। कि कुछ बर्खास्त किये गये पुलिस कर्मचारियों ने दिल्ली में 15 अप्रैल, 1968 को एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था, राष्ट्रीय अपराध निरोध सप्ताह 16 से 21 अप्रैल, 1968 तक मनाया गया था। गृहमन्त्री के निवास-स्थान पर गत वर्ष 14 और 15 अप्रैल को प्रदंशन किये गये थे।

(ग) और (घ). बर्खास्त किए गये पुलिस कर्मचारियों की एक मांग यह भी थी। मुअत्तिल या बर्खास्त किये गये पुलिस कर्मचारियों के विरुध मामले न्यायाधीन हैं।

DISCOVERIES IN UJJAIN DISTRICT IN MADHYA PRADESH

1787. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some important ancient remains were discovered sometime back by the Archaeological Department during excavations in District Ujjain, Madhya Pradesh;

(b) if so, the period to which they belong; and

(c) whether Government have proposals under consideration to initiate excavation at some other places on the request of the Archaeological Department of the Vikram University ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) The excavation was not conducted by the Archaeological Survey of India but jointly by the Vikram University, Ujjain, and the Deccan College Post-graduate and Research Institute, Poona.

(b) A culture sequence extending from about 2000 B.C. to about the medieval times has been obtained. A detailed report on the finds has not yet been received from the excavators.

(c) No such proposal has been received or is under consideration.

CONVERSIONS BY CHRISTIAN MISSIONARIES

*1788. SHRI RAM GOPAL SHALWALE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the increasing number of conversions made by Christian Missionaries by offering allurements in Assam and other backward border areas;

(b) the number of persons converted in these areas during the last three years, and

(c) the action taken by Government to check such conversions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) There have been reports of foreign missionaries trying to extend their activities in certain border areas including Assam.

(b) There is no law providing for the registration of conversions from one religion to another. The information asked for is, therefore, not available.

(c) In view of reply to part (a), does not arise.

C.B.I. OFFICER INVESTIGATING THE MURDER OF PANDIT DIN DAYAL UPADHYAYA

*1789. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Officer of the Central Bureau of Investigation who was investigating into the case of the murder of Pandit Din Dayal Upadhyaya has been called back and another officer has been entrusted with the work; and

(b) if so, the reason therefor ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) No. Sir. (b) Does not arise.

कच्चाटीबू द्वीप तथा भारतीय पत्तनों के बीच नौका सेवा

1790. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चाटीबू द्वीप में सेंट ऐंथनी के उत्सव के समय मार्च में कच्चाटीबू द्वीप और उसके निकट के भारतीय बन्दरगाह शामिल है, कितनी नौकाएं चली थीं और वे कितने यात्रियों को ले गई थीं;

(ख) इनमें से कितनी नौकाओं को उचित सुरक्षा उपकरणों के न होने अथवा अन्य कारणों से रोक लिया गया था; और

(ग) उन्हें कितने समय तक रोका गया था और बाद में किन परिस्थितियों में उन्हें जाने दिया गया था ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) मार्च में तूतीकोरिन और कच्चाटीबू द्वीप के बीच कोई नाव नहीं चलाई गई। परन्तु रामेश्वरम और अन्य स्थानों से जिनके बाबत सूचना प्राप्त नहीं है, कई नावें चलाई गईं। ज्ञात हुआ है कि मत्स्य ग्रहण के लिये सरकार द्वारा दिये गये 20 लांचों को इस यातायात के लिये प्रयुक्त किया गया और अनुमान है कि लगभग 2,000 यात्रियों को इनके द्वारा ले जाया गया होगा।

(ख) और (ग). इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। परन्तु प्राप्त सूचना से मालूम होता है कि ये जहाज़ नियमों की पूर्ण तौर पर उपेक्षा करके चलाये गये और इन यात्रियों को 22-3-1968 की सुबह से तट पर के विभिन्न स्थानों से ले गये।

ग्राम्य इंजीनियरिंग सेवा

*1791. **श्री प्र० र० ठाकुर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंजीनियरी के हज़ारों स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों की बढ़ती जा रही बेरोज़गारी को दृष्टि में रखते हुए उनका सर्वेक्षण करने के लिये एक ग्राम्य इंजीनियरिंग सेवा बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अब तक बनाये गये प्रस्तावों तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समस्या को युक्तियुक्त तथा स्थायी आधार पर हल करने के सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक कार्यक्रम तथा प्रस्ताव हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). यद्यपि कोई पृथक ग्राम्य इंजीनियरिंग सेवा की स्थापना करने का विचार नहीं है, फिर भी एक सुझाव दिया गया है कि ग्राम्य विकास कार्य के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये इंजीनियरी स्नातकों को काम पर लगाया जाये।

(ग) विचाराधीन उपायों में ये बातें सम्मिलित हैं। सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिये विस्तृत जांच, समस्त संगठनों में रिक्त पदों को भरना, लघु उद्योगों

की स्थापना करने में इंजीनियरी के स्नातकों की सहायता करना और इंजीनियरी के स्नातकों के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ताकि वे नौकरी के लिये अधिक उपयुक्त हो सकें।

केन्द्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश के लिये नियतन

1792. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में पेट्रोल की बिक्री की मात्रा के अनुपात में केन्द्रीय सड़क निधि से राशि सब राज्यों में बांटी जाती है और इस सिद्धान्त के अनुसार मध्य प्रदेश को वर्ष 1958-59 तक उसका समूचित अंश मिलता रहा, लेकिन 1959-60 से 1965-66 तक की अवधि में परिवहन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश का समुचित अंश न तो उसके नाम जमा किया और न ही उसके लिये नियत किया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के लिये उसकी इस बकाया राशि का नियतन करने का है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब कार्यवाही की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). केन्द्रीय सड़क निधि के वार्षिक राजस्व का अस्सी प्रतिशत राज्य सरकारों और केन्द्रीय क्षेत्रों को वितरण करने के लिये उपलब्ध है। यह उनके अपने क्षेत्रों में विमानन स्प्रिट के अलावा मोटर स्प्रिट के उपयोग के आधार पर किया जाता है। 1968-69 तक मध्य प्रदेश सहित सब राज्यों और केन्द्रीय क्षेत्रों को मिलने वाला आवंटन या भाग उन्हें सूचित कर दिया गया है। 1965-66 तक बाद के समय के लिये सब राज्यों और केन्द्रीय क्षेत्रों को देय आवंटन निकाल लिया गया है और गणना की जांच वित्त मंत्रालय कर रहा है। उनका अनुमोदन प्राप्त होते ही मध्य प्रदेश सहित सब राज्यों को उनका आवंटन सूचित कर दिया जायेगा। बजट की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यों पर व्यय के लिये मध्य प्रदेश सहित सब राज्यों तथा केन्द्रीय क्षेत्रों को आवश्यक धन वर्ष में दे दिया जाता है।

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (रोक) अधिनियम

*1793. **श्री दीवीकन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (रोक) अधिनियम का ठीक तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या शेख अब्दुल्ला का हाल का भाषण, जिसमें उसने भारत द्वारा काश्मीर पर बलात कब्ज़ा किये जाने के लिये भारत सरकार को चुनौती दी है और भारत सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिये काश्मीर के मुसलमानों को ललकारा है और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा विएटनाम में विएटकांग छापामार युद्ध पर फिल्म दिखाया जाना विधि विरुद्ध क्रियाकलापों के अन्तर्गत आते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (रोक) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत किसी संस्था को गैर-कानूनी घोषित करने तथा मुकदमा करने की मंजूरी देने की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित है। अतः राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों का उचित ढंग से उपयोग न करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) और (ग). शेख अब्दुल्ला के बारे में मैंने सरकार का रवैया 26 मार्च को स्पष्ट कर दिया था। छापामार युद्ध के बारे में अप्रमाणित फिल्म दिखाये जाने के बारे में राज्य सरकार से पूछताछ की जा रही है ।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और केरल हिन्दी प्रचार सभा द्वारा दिये गये डिप्लोमें

*1794. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और केरल हिन्दी प्रचार सभा द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति के लिये एक अर्हता के रूप में दिये जाने वाले डिप्लोमों की मान्यता समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केरल सरकार ने हिन्दी के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये कोई अपनी व्यवस्था कर रखी है अथवा वहां हिन्दी की शिक्षा को समाप्त करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) जी हां। 1968-69 के शैक्षिक वर्ष से ।

(ख) और (ग). केरल सरकार ने रामावर्मापुरम तथा त्रिवेन्द्रम में पहले ही दो हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज स्थापित कर दिये हैं । राज्य सरकार महसूस करती है कि केरल में सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रशिक्षित हिन्दी अध्यापकों की आवश्यकताओं को इन दो सरकारी प्रशिक्षण कालेजों से पूरा किया जा सकेगा और दोनों सभाओं द्वारा चलाये जाने वाले प्रचारक पाठ्यक्रमों की मान्यता को जारी रखना अब आवश्यक नहीं है ।

ईसाई मिशन

*1795. **श्री कार्तिक आरांओं** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने हमारे देश में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में काम कर रहे ईसाई मिशनों को विकास कार्यों के लिये अनुदान देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

जिला मजिस्ट्रेट और सीनियर सुपरिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस, इलाहाबाद

1796. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री हेम बरुआ :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री लत्फल हक :
श्री बदरुदद्दजा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला मजिस्ट्रेट और सीनियर सुपरिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस के कार्यों और आचरण पर इलाहाबाद के कुछ लोगों ने आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इसमें से एक अधिकारी एक राजनीतिक दल की राज्य समिति के प्रधान का सम्बन्धी है और कहा जाता है कि उसका दंगों में हाथ था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) राज्य सरकार को कुछ लोगों से ज्ञापन मिले है जिनमें आरोप लगाया गया है जिला प्रशासन ने स्थिति का ठीक ढंग से सामना नहीं किया ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने इलाहाबाद की घटनाओं के कारणों तथा घटनाक्रम की जांच करने के लिये राजस्व बोर्ड के सदस्य श्री एम० लाल को नियुक्त किया है ।

अतारांकित प्रश्न
Unstarred Question

राजनैतिक पेंशन

†10321. **श्री मुरासोली मारन:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें राजनैतिक पेंशन मिल रही है, उन्हें प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि मिल रही है, तथा उन्हें यह पेंशन देने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार इस राशि में कमी करने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ब्रिटेन की सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भूतपूर्व शासकों के परिवारों को राजनीतिक पेंशन देने की स्थिति का विवरण (i) संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी०** 1290/68] ऐसे पेंशन अभी भी कुछ लोगों को दी जा रही है । यद्यपि यह पेंशन केन्द्रीय आय में से दी जाती है, परन्तु इसका संचालन हर अनुदान की शर्तों के अनुसार विभिन्न राज्यों द्वारा होता है । आवश्यकता पड़ने पर हरेक पेंशन भोगी को दी जाने वाली राशि का विवरण राज्य सरकारों से मंगा कर एकत्रित की जायेगी । राजनीतिक पेंशन दिये जाने के मुख्य कारण विवरण (ii) में संलग्न हैं । अतारांकित प्रश्न संख्या 2625, दिनांक 8 जून, 1962 के उत्तर में दिये हुए आश्वासन के अनुसार 21 अगस्त, 1963 को सूचना सभा-पटल

पर रखी गई थी जिसमें 3683 राजनीतिक पेंशनभोगी व्यक्तियों और दिये गए धन का विवरण था ।

(ख), (ग) और (घ). राजनीतिक पेंशन के प्रश्न पर अभी पूरी तरह से विचार नहीं हुआ है । 1952 में जब स्थिति का पुनर्विचार किया गया था, में यह वार्षिक व्यय 27.5 लाख रुपये था । 1968-69 की व्यवस्था में व्यय 19 लाख रुपये से कम है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा

†10322. **श्री मुरासोली मारन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950 से वर्ष 1968 तक भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के लिये चु। गये व्यक्तियों की राज्यवार/वर्षवार संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 1950 से वर्ष 1968 तक भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा परीक्षाओं के लिये परीक्षार्थियों की राज्यवार/वर्षवार संख्या कितनी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ((श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना के लिये चार विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1291/68 ।]**

APPOINTMENT IN CENTRAL SANSKRIT VIDYAPEETH TIRUPATI

10324. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some applicants for the post of Lecturers and Readers in Central Sanskrit Vidyapeeth, Tirupati (Andhra Pradesh) were interviewed on the 22nd April, 1967;

(b) whether some of the applicants were selected by the Chairman of the Selection Board for interview;

(c) whether it is a fact that instead of appointing the applicants on the basis of that interview or promoting distinguished Acharyas working in the Vidyapeeth, new persons are to be appointed as Readers and Lecturers respectively;

(d) if so, whether Government have looked into the legality and propriety of the decisions for these appointments; and

(e) if so, the result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) Yes, Sir.

(b) The candidates were selected by the Selection Committee and not by the Chairman alone.

(c) The Selection Committee unanimously recommended the names of candidates for the post of Reader and Lecturer solely on the basis of merit and appointments were offered to them. The applications of the employees of the Vidyapeeth were also considered and some of them were called for interview.

(d) and (e). Do not arise.

BEATING UP OF WOMAN IN DELHI

10325. SHRI RAM SINGH AYARWAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a pregnant woman was beaten by some goondas in Majnu-ka-Tila Colony, Delhi on the 14th January, 1968 as a result of which the child which she was carrying died;

(b) if so, whether Government have received any complaint from Majnu-ka-Tila Colony, Khaybar Pass, Delhi, in this regard; and

(c) if so, the action taken by Government against the goondas ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). A statement is attached.

STATEMENT

On 14th January, 1968, the Delhi Police received information about the liklihood of breach of peace at Majnu-ka Tila Colony due to a fight between two parties. The persons involved were arrested by the local police u/s 107/151 Cr. P.C. In this connection a complaint was also received by Delhi Police from a resident of Majnu-ka-Tila Colony.

During the medical examination of the persons involved, the doctor observed that one of them was pregnant. He therefore directed that she should be referred to the Irwin Hospital. However, the husband of the woman gave a statement that he did not want his wife to be medically examined and the woman did not turn up for medical examination.

On 4-2-1968 the woman got herself admitted to the Irwin Hospital. No reference was made by her then, to the Hospital authorities about the above incident. Subsequently in the hospital she had an abortion.

The case registered in connection with the scuffle is *subjudice*.

बुन्देलखण्ड के अलग राज्य की मांग

10326. **श्री स० चं० सामंत** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 24 तथा 25 फरवरी को सागर में हुए मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पच्चीस जिलों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भारतीय संघ राज्य के भीतर पृथक बुन्देलखंड राज्य बनाने की मांग को गैर-कानूनी तथा गैर-जिम्मेदार लोगों की मांग बताया था और उन्होंने इस संबंध में प्रेस को वक्तव्य जारी किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मैंने एक प्रेस सम्मेलन में एक वक्तव्य दिया था कि बुन्देलखंड का एक अलग राज्य बनाने की मांग "अनुत्तरदायित्वपूर्ण" है और राष्ट्र के हित में ऐसी मांग नहीं की जानी चाहिये । मैंने इस मांग को "गैर-कानूनी" नहीं बताया था ।

(ख) सरकार का विचार है कि ऐसी मांग न्यायसंगत नहीं है ।

ATTACK ON ARMY PERSONNEL IN GAUHATI

10327. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether his Ministry have received a report to the effect that some army personnel were attacked by mob in Gauhati (Assam) some days back;

(b) whether it is a fact that the Assam police did not make any attempt to save them from this attack;

(c) whether the Central Government have called for a written or verbal explanation from the Assam Government in order to reassure the Army in this connection; and

(d) the reaction of the Assam Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Government have received information regarding an incident in Gauhati on 27th March, 1968 in which the driver of an army truck was assaulted.

(b) The Deputy Commissioner himself is reported to have visited the scene of incident as soon as he received information and brought the situation under control.

(c) and (d). The Central Government and the State Government have reviewed the relevant circumstances and are in agreement that while persons found at fault should be dealt with suitably, there should be complete understanding and cooperation between the army personnel and the civil authorities.

केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था

०10328. **श्री० सी० दास :**
श्री श्रद्धाकर सूपाकर } क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अन्तर्गत केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था के निदेशक अपने वर्तमान पद पर अब भी काम कर रहे हैं जबकि उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु पूरी हुए बहुत समय बीत चुका है; और

(ख) क्या यह स्नातकोत्तर अनुसंधान उपाधि प्राप्त नहीं है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 है, जिसे एक-एक वर्ष के आधार पर 63 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अपवाद रूप से सर्वोत्कृष्ट मामलों में इसे 65 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

उन्हें 16 फरवरी, 1955 को पंजाब सरकार से 'विदेशी सेवा शर्त' पर नियुक्त किया गया था । 20 अगस्त, 1960 को 55 वर्ष की आयु होने पर पंजाब सरकार से सेवा-निवृत्त होने पर उन्हें उसी तारीख से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा पुन: सेवा में रखा गया था और 19 अगस्त, 1968 तक जिस तारीख को वे 63 वर्ष की आयु पूरी करेंगे सेवा की अवधि को बढ़ाया गया था ।

(ख) उन्होंने 1927 में थौम्सन इंजीनियरिंग कालेज, रुड़की से सिविल इंजीनियर के रूप में योग्यता प्राप्त की । वे एम० आई० सी० ई० (इंगलेंड), एम० आई० ई० (भारत)

और एफ० एन० आई० (भारत) है। उनकी शैक्षिक योग्यताओं और सेवाओं के विवरण की एक प्रति संलग्न है। **पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1292/68।

आशुलिपिक

10329. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये आरक्षित आशुलिपिकों के रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) संघ लोक सेवा के माध्यम से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कितने प्रतिशत आशुलिपिक भर्ती किये जायेंगे;

(ग) गत पांच वर्षों में इन पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार रिक्त स्थानों को भरने के लिये संघ लोक सेवा के माध्यम से इन आशुलिपिकों की विशेष परीक्षा लेने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आशुलिपिकों को भर्ती करते समय $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत रिक्त पद अनुसूचित जातियों तथा 5 प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित किये जाते हैं। आरक्षित रिक्त पद अगले दो उत्तरकालीन भर्ती वर्षों में भी ले जाये जाते हैं, बशर्ते कि किसी विशेष वर्ष में ऐसे अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्त पद उस विशेष वर्ष में भरे गये कुल रिक्त पदों की संख्या के 45 प्रतिशत से अधिक न हों। प्रशासन की कार्य कुशलता को बनाये रखते हुए संघ लोक सेवा आयोग, योग्यता सूची में उनके स्थान को ध्यान में न रखते हुए आरक्षित पदों के लिये अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित आदिम जाति के उन अभ्यर्थियों के लिये सिफारिश करती है, जिनको यह आशु-लिपिक परीक्षा के परिणाम निकलने पर नियुक्ति के लिये योग्य समझती है। इस प्रकार इनके लिये एक छूट प्राप्त स्टैंडर्ड प्रयोग में लाया जाता है।

(ग) इस छूट-प्राप्त स्टैंडर्ड के होते हुए भी पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ENCOURAGEMENT OF GAMES IN VILLAGES

10330. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to encourage healthy youngmen and women living in rural areas to participate in national and international games;

(b) whether Government have drawn a scheme to develop play grounds in villages also; and

(c) if so, when this work is likely to be started ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) Youngmen and women from rural areas can compete in sports events at the District and State levels and on the basis of their

performance in those meets they are considered for participation in National events. Selection for participation in International events is made on the basis of the performance in National meets.

(b) and (c). The matter primarily concerns the State Governments. However the Government of India will favourably consider, funds permitting, schemes drawn up by various State Governments for such rural sports centres for financial assistance.

चंडीगढ़ संघ क्षेत्र में व्यावसायिक कर का हटाया जाना

10331. **श्री श्रीचन्द्र गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में व्यावसायिक कर समाप्त करने के बारे में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार को चण्डीगढ़ के प्रशासन पर काफी खर्च करना पड़ता है और जब कि अन्य राज्यों में सम्पत्ति-कर है, लेकिन चण्डीगढ़ में कोई सम्पत्ति-कर लागू नहीं किया गया है । अतः व्यावसायिक कर को जारी रखना युक्ति संगत है ।

विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

10332. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 1962 से मार्च, 1968 तक की अवधि में मध्य प्रदेश में सागर और जवलपुर विश्वविद्यालयों की ओर से वित्तीय सहायता और अनुदान के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में इनमें से प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितनी-कितनी राशि दी गई; और

(ग) 1967-68 में विक्रम विश्वविद्यालय को कितना अनुदान और वित्तीय सहायता दी गई ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

(ख) सागर 87,75,623 रुपये 30 पैसे। जबलपुर 49,28,266 रुपये 1 पैसा ।

(ग) 15,17,401 रुपये 2 पैसे ।

झुग्गिवासियों के साथ भेंट

10333. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में झुग्गीवासियों की समस्या के सम्बन्ध में झुग्गीवासियों के कुछ नेताओं ने हाल में गृह-कार्य मंत्री से भेंट की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ क्या बातचीत हुई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कई संसद सदस्यों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को गृह मंत्री के साथ, दिल्ली में झुग्गीवासियों

की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा करने के अवसर प्राप्त हुए हैं। सहमंत्री महोदय ने हमेशा उन झुग्गीवासियों की कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति दिखाई जिनको राजधानी दिल्ली के विकास से सम्बन्धित योजना को कार्यान्वित करने के परिणाम स्वरूप अन्य स्थानों पर भेज दिया गया है। उन्होंने वचन दिया है कि वे उन शिकायतों की जांच करेंगे जो विस्थापित व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करने से सम्बन्धित होंगी।

प्रशासनिक सुधार आयोग

10334. **श्री गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्यों को कारें देने तथा उनके कार्यालयों की सजावट पर कितनी राशि व्यय हुई; और

(ख) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग का एक कार्यालय बंगलौर में खोला गया है और यदि हाँ, तो उस पर कितनी राशि व्यय हुई है और उसकी उपयोगिता क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग के लिए चार स्टाफ कारें खरीदने पर 67,923 रुपये खर्च हुए। स्टाफ कारें न केवल आयोग के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं बल्कि आयोग के कार्य के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा भी उपयोग में लाई जाती हैं। आयोग के सदस्यों के जिस में सभापति भी शामिल हैं कार्यालयों की सजावट में व्यय राशि लागभग 78,000 रुपये है।

(ख) जी नहीं। फिर भी, कृषि प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन दल के सभापति को जो मैसूर राज्य के एक गैर-सरकारी व्यक्ति थे बंगलौर में छोटा कार्यालय खोलकर अपना हेडक्वार्टर बनाने की अनुमति दी गई थी। इस कार्यालय पर लगभग 8,000 रुपये का व्यय आया जिसमें किराया, बिजली और टेलीफोन आदि का खर्च भी शामिल है और इसने 1 जुलाई, 1966 से लेकर 30 सितम्बर 67 तक कार्य किया। अध्ययन दल के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् इसे बन्द कर दिया गया।

मद्रास में तमिल सेना

10335. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि डी० एम० के० सरकार ने मद्रास में तमिल सेना की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस राज्य में तैनात स्थल सेना से अनुरोध किया गया है कि वह जनता को तमिल सेना में भर्ती होने में मदद करे तथा इनमें आने वाले नये आगुन्तकों को प्रशिक्षित करे और क्या उसने इसे मान लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या मद्रास स्थित स्थल सेना ने प्रस्तावित इस तमिल सेना के लिये हथियारों तथा गोला-बारूद की व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन मामलों में जांच की है; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में मद्रास स्थित स्थल सेना ी यूनिट को कोई निदेश जारी किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) सरकार ने तमिल सेना के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पढ़े हैं, राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तमिल सेना का संगठन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकारों ने बताया है कि तमिल सेना ने स्थल सेना से कोई मदद अथवा पशिक्षण के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ग) (घ) और (ङ) . प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

नागा तथा मिजो लोगों के साथ मुठभेड़

10336. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च तथा अप्रैल, 1968 के दौरान भारतीय सुरक्षा दल के सैनिकों और मिजो तथा विद्रोही नागाओं के बीच कई मुठभेड़ें हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और विद्रोही तथा भारतीय सुरक्षा दल के कितने-कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) ौर (ख) मार्च और अप्रैल, 1968 के दौरान भारतीय सुरक्षा दल के सैनिकों की मिजो विद्रोहियों के साथ 26 मुठभेड़ें हुई और 18 मुठभेड़ें नागा विद्रोहियों के साथ, इन मुठभेड़ों में सुरक्षा दल के 38 सैनिक मारे गये और 47 सैनिक घायल हुए। मार्च, 1968 के दौरान विद्रोहियों के लगभग 10 व्यक्ति मारे गये और 10 घायल हुए और अप्रैल 1968 में विद्रोहियों के कितने व्यक्ति हताहत हुए इस बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है।

Displaced Technical Officers

10337. SHRI ONKAR LAL BERWA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6450 on the 5th April, 1968 and state:

(a) whether the retirement age of 60 years will be applicable to all displaced technical officers and employees of the Central and State Governments and working in other semi-Government concerns; and

(b) if not, the categories of employees and officers to whom the age of retirement referred to above applies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b). The reply to unstarred question No. 6450 referred to displaced teachers who were allowed to continue in service after the normal age of retirement, upto 60 years on a year to year basis.

In regard to the age of compulsory retirement of Central Government employees, no special consideration is given to displaced Government servants (whether technical or non-technical); they are governed by the same rules as are applicable to other employees. Under the existing rules, the age of compulsory retirement of Central Government employees (other than Class IV employees) is 58 years. For such of the Ministerial Government employees who are governed by Fundamental Rule

56(c), the age of compulsory retirement is 60 years. For Class IV employees, the age of compulsory retirement is 60 years.

The age of compulsory retirement of employees working under State Government and semi-Government organisations is regulated by the rules framed by such State Government and semi-Government organisations.

Cases in Supreme Court

10338. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of case filed in the Supreme Court of India from January, 1959 to date;

(b) the number of cases out of them on which judgments have been given by the Supreme Court; and

(c) the number of cases still pending with the Supreme Court?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) The number of cases filed in the Supreme Court of India from January, 1959 to 31st December, 1967 was 35,125.

(b) The number of cases disposed of by the Supreme Court during the same period was 32,514.

(c) The number of cases pending in the Supreme Court on 1-2-1968 was 5,526.

Judges in High Courts

10339. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of High Court and Supreme Court Judges in the country;

(b) the number of High Court Judges appointed in States during the last three years; and

(c) the number of Judges retired during the last five years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Supereme Court—11

High Courts—253.

(b) The number of Judges appointed during the last three years i.e. from 1st May, 1965 to 30th April, 1968 is 106.

(c) The number of Judges who retired during last five years i.e. from 1st May, 1963 to 30th April, 1968, is 52.

Use of Hindi in Courts

10340. SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the progress made in the matter of doing work in Hindi in place of English at various levels in courts in the country;

(b) the number of States in which work is being done in Hindi in courts at present in the country;

(c) the time by which the remaining courts will also switch over to Hindi; and

(d) the steps taken for making Hindi the medium of law education?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The position in regard to the use of Hindi and/or English in courts at various levels is as follows :—

Supreme Court and High Courts : At present all proceedings in the Supereme Court and the High Courts are in the English language. Only in the Allahabad High Court the use of Hindi has been permitted for arguments in civil and criminal cases.

District & Subordinate Courts : In the States of Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan and U.P., Hindi is largely used for proceedings in the District, Sessions and Subordinate Courts. For judgements etc. both Hindi and English are used.

(c) The language to be used in the District and Subordinate Courts in a State is solely within the jurisdiction of the State Government and the High Court concerned.

(d) The question of production of law text-books in Hindi for LLB. classes in the Universities of Hindi-speaking States is proposed to be discussed by the Ministry of Law in a conference of the Deans of Faculties of Law of the concerned universities to be convened shortly.

RANCHI DISTURBANCES

10341. SHRI SHASHIBHUSHAN BAJPAI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that leaders of some Trade Unions had a hand in the disturbances that occurred in Ranchi some days back and they helped in spreading these disturbances; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government against the said leaders so that they may not be able to work in these Unions in future ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) and (b). Facts are being ascertained.

काश्मीर में पर्यटन कारोबार अधिनियम लागू करना

10342. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने काश्मीर में पर्यटन कारोबार अधिनियम को कठोरतापूर्वक लागू करने के उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी ऐसे ही उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा 1962 में पारित किया गया पर्यटक व्यापार अधिनियम उक्त राज्य सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इसी प्रकार के अधिनियम बनाने के प्रश्न पर विचार करना अन्य राज्य सरकारों पर निर्भर है।

PURCHASE OF T.U.-134 PLANES FOR AIR INDIA

10343. SHRI KAMESHWAR SINGH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that T.U.-134 has got more effecient engine than BAC-1-11;

(b) whether the engine is more economical in fuel consumption than BAC-1-11;

(c) whether Government are purchasing this aircraft; and

(d) if so, the total number of such aircraft to be purchased ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b) A team of officers was deputed by the Indian Airlines recently to visit Moscow and London to examine the suitability of the aircraft manufactured in the USSR & the U.K. for use on Indian Airlines' routes. The team has not yet submitted its report, and no estimate can, therefore, be made at this stage of the relative efficiency of the two types of aircraft referred to.

(c) and (d). There is no proposal for purchase of TU-134 aircraft by Air-India. The question of their purchase by the Indian Airlines will be considered after the team has submitted its report.

चीन तथा पाकिस्तान रेडियो से भारतीय घटनाओं का प्रसारण

10344. **श्री समर गुह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे अनेक अवसर हुए हैं जब चीन और पाकिस्तान रेडियो ने भारत में राजनैतिक तथा सांप्रदायिक दंगों के समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किये जाने अथवा भारतीय समाचारपत्रों द्वारा प्रकाशित किये जाने से पहले प्रसारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन और पाकिस्तान द्वारा इन पूर्व प्रसारणों से ये संकेत मिलते हैं कि भारत में इन देशों की गुप्त सेवाओं के एजेन्ट हैं और जिनके पास ट्रांसमिशन मशीनें हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारत में चीन और पाकिस्तान की गुप्त सेवाओं का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं। इस सम्बन्ध में लोकसभा में 24 अप्रैल, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8380 के बारे म प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

होम गार्डस

10345. **श्री बाबूराव पटेल : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य होम गार्ड यूनिटों के कमानडेंटों के सम्मेलन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं और सामान्य सुरक्षा महानिदेशक द्वारा किन सिफारिशों का अनुमोदन किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा किन-किन सिफारिशों को निकट भविष्य में लागू किये जाने की संभावना है; और

(ग) तीसरी सुरक्षा लाइन की स्थापना के उद्देश्य से सरकार कितने पूर्णतः सशस्त्र होम गार्ड तैयार करना चाहती है और कब तक ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सम्मेलन की प्रमुख सिफारिशें प्रशिक्षण की वर्तमान अवधि को बढ़ाने, वर्दी-मान, उपकरण तथा सवेतन कर्मचारी-वर्ग और परिवहन तथा होमगार्ड्स के लिए कल्याणकारी उपायों आदि नये मदों के उपबन्ध से सम्बन्धित हैं।

(ख) सभी सिफारिशें अभी भी विचाराधीन हैं।

(ग) यह निर्णय किया गया है कि "बार्डर विंग होम गार्ड्स" के 10 "बटैलियन" तैयार किये जायं जो पंजाब और राजस्थान के सीमान्त ज़िलों में पूर्णतः सशस्त्र रहेंगे। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे योजना को शीघ्र कार्यान्वित करें। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सामान्य नगरीय और ग्रामीण होम गार्ड्स को भी प्रतिशत के आधार पर सशस्त्र किया जाता है।

सान्ता क्रूज हवाई अड्डे पर लावारिस ढोर

10346. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 फरवरी, 1968 को बम्बई में सान्ता क्रूज हवाई अड्डे में असैनिक उड्डयन अधिकारियों ने दो विदेशी विमानों को 45 मिनट तक आकाश में ही रहने का आदेश दिया था, जब तक कि धावन-पंथ से लावारिस ढोरों को हटा नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण थे कि हवाई अड्डा अधिकारी ढोरों को हवाई अड्डे से बाहर रखने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिये पक्के तथा दोष रहित पूर्वोपाय नहीं कर सके थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यबाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। एक अलितालिया के और एक ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन्स के विमान को क्रमशः 41 और 35 मिनटों के लिये आकाश में रहने के लिये कहा गया था, क्योंकि क्रैश टैण्डर कर्मियों ने सान्ता क्रूज हवाई अड्डे पर धावन-पथ की पार्श्व पट्टी (साइड-स्ट्रिप) पर कुछ लावारिस घूम रहे पशुओं की आशंका की थी। परन्तु पूरी तरह निरीक्षण से पता चला कि ऐसे कोई पशु वहां नहीं थे तथा विमानों को उतरने दिया गया।

(ख) और (ग) कई कदम उठाये गये हैं, जिन में परिचालन क्षेत्र के चारों और मौजूदा तार की बाड़ की मरम्मत, गश्त की सुविधा के लिये जीप-ट्रैक का निर्माण, दिन-रात लावारिस मवेशियों पर निगरानी रखने के लिये मवेशी-स्क्वैड का संगठन, तथा सर्च-लाइट और आर/टी से सज्जित जीप द्वारा गश्त शामिल हैं। परन्तु परिचालन क्षेत्र में लावारिस मवेशियों के घुस आने का ख़तरा अब भी बना हुआ है, क्योंकि तार की बाड़ कभी कभी आस-पास के ग्रामवासियों द्वारा काट दी जाती है। परिचालन क्षेत्र के चारों ओर एक ईंटों की दीवार बनाने का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है।

दिल्ली में दुर्घटनायें

10347. **श्री बाबूराव पटेल : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप पता लगा है कि दिल्ली में घातक दुर्घटना ग्रस्त हुए चालकों में से 70 प्रतिशत चालकों की आंखें खराब थीं;

(ख) क्या चालकों की कड़ी जांच तथा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षा करने की योजना है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) और (ग) : दिल्ली प्रशासन ने अभी हाल ही में मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 11 और 12 में संशोधन करने का सुझाव दिया है। यह इस तथ्य को निर्धारित करने की दृष्टि से किया गया है कि सार्वजनिक सेवा की गाड़ियों के चालकों को, गाड़ी चलाने के लाईसस के पुनर्नवीकरण के लिये आवेदन करते समय नवीन डाक्टरी प्रमाण पत्र पेश करने चाहिये। मामले की परीक्षा की जा रही है।

दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा

10348. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बलराज मधोक :
श्री जमना लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के संघ राज्य क्षेत्रों के लिये नियुक्त अध्ययन दल ने दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया है, जिससे राजधानी में एक एकीकृत प्रशासन लागू हो सके; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) संघ राज्य क्षेत्रों के लिये नियुक्त अध्ययन दल ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक

10349. **ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बलराज मधोक :
श्री जमना लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्व विद्यालय संघ ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें यह मांग की ईग है कि सहायक प्राध्यापकों और प्राध्यापकों के बीच अन्तर

को समाप्त किया जाना चाहिये और सब प्राध्यापकों को समान वेतनमान दिये जाने चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने 28 जनवरी, 1968 की अपनी आम सभा की बैठक में और बातों के साथ-साथ एक संकल्प पास किया था जिसमें विश्वविद्यालय से सहायक प्राध्यापक के पदों का दर्जा बढ़ा कर प्राध्यापक कर देने और अध्यापकों के सभी वर्गों के लिये एक ही वेतनमान अपनाने के लिये अनुरोध किया गया था।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय इस मामले पर विचार कर रहा है।

पश्चिम दिल्ली में स्त्रियों के लिए कालिज

10350. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री बलराज मधोक :

श्री जमना लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम दिल्ली की नजफ़गढ़ रोड कालोनियों में जिनकी आबादी लगभग पांच लाख है, स्त्रियों के लिये कोई कालिज नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रैगड़पुरा, करोलबाग में एक हाई स्कूल के भवन में इस समय एक कालिज चल रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसकी इमारत बनाने के लिये नई जगह ढूंढनी पड़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या नजफगढ़ रोड कालोनियों में रह रहे लोगों द्वारा बहुत समय से की जा रही मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, नजफ़गढ़ रोड क्षेत्र में उस कालिज के लिये एक भवन निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) नजफ़गढ़ रोड पर कीर्ति नगर में एक सह-शिक्षा कालेज है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। आनन्दपर्वत क्षेत्र की क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत कालेज की इमारत बनाने के सम्बन्ध में भूमि देने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार को कहा गया है।

(घ) जी, नहीं।

AGRA-BOMBAY HIGHWAY

10351. **SHRI SHASHIBHUSHAN BAJPAI** : Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether Government are making any arrangement to double the tract of road from Khalghat to Sendhua on the Agra-Bombay Road and whether they have

formulated any scheme to straighten the bend on the said tract of this road in the meantime;

(b) the thickness of the layer of the said road;

(c) whether the construction work of the said road has been entrusted to some private contractor or it is being done by the Central or the State Government;

(d) whether drinking water is not available on the said road; and

(e) if so, whether Government propose to dig wells at the different places on the said road for convenience of the passengers ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) This stretch of the road has already a two-lane carriage-way. There are proposals to straighten the bends and they will be finalised, when the allocations under the Fourth Five-Year Plan for National Highways are known.

(b) to (e). The requisite information has been called for from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the table of the Sabha, when received.

परिवहन निदेशक, दिल्ली

10352. **श्री शशिभूषण वाजपेयी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्तमान परिवहन निदेशक को उसी पद पर रहने देने के क्या कारण हैं जबकि वह 3 वर्ष की अवधि समाप्त कर चुके हैं;

(ख) परिवहन निदेशक, दिल्ली को दो अतिरिक्त पदों पर अर्थात् परिवहन विभाग के सचिव के रूप में तथा राज्य परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष के रूप में काम करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय ने दिल्ली परिवहन विभाग को एक आदेश जारी किया है कि परिवहन विभाग के निदेशक को राज्य परिवहन प्राधिकार का अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिये;

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली परिवहन प्राधिकार में फिएट कार के मामले में बम्बई के एक प्रमुख साप्ताहिक द्वारा प्रकाशित समाचार की ओर भी दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली के वर्तमान परिवहन निदेशक को उनके वर्तमान पद पर रहने दिया जा रहा है क्योंकि उनकी सेवा की अपेक्षाएं हैं।

(ख) परिवहन विभाग के सचिव दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव हैं न कि परिवहन निदेशक। निदेशक परिवहन विभाग के केवल विशेष सचिव हैं। फिर भी, परिवहन निदेशक हमेशा राज्य परिवहन प्राधिकार के **पदेन** अध्यक्ष रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) साप्ताहिक के बारे में विशेष ब्यौरे के अभाव में कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आगरा-बम्बई सड़क पर डाके

10353. **श्री शशि भूषण वाजपेयी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा-बम्बई सड़क पर बस यात्रियों पर डाले गये डाके के बारे में उन्हें कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार एक योजना बनाने का है जिससे यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था हो सके; और

(ग) आगरा-बम्बई सड़क पर किन स्थानों पर सबसे अधिक डाके पड़ते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाना राज्य सरकारों ने बताया है कि वर्ष 1968 के दौरान आगरा-बम्बई सड़क पर बस यात्रियों पर कोई डाके नहीं डाले गये मध्य प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में उत्तर मिलने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

कलकत्ता गोदी हड़ताल

10354. **श्री श्रद्धाकर सूपाकर :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1968 के प्रथम सप्ताह में कलकत्ता गोदी में हुई हड़ताल में सरकार को कुल कितनी हानि हुई ?

परिवहन तथा नौवहन मत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : 29 मार्च, से 3 अप्रैल 1968 तक कलकत्ता पत्तन में हड़ताल हुई थी। यह सूचना कि सरकार द्वारा भाटकित पोतों के देरी के कारण सरकार को क्या कुछ हानि हुई थी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी। यह सूचित कर दिया जाता है कि कलकत्ता पोर्ट कमिश्नरों ने रेल के डिब्बों के रोके जाने के लिये अतिरिक्त किराया अदा किये जाने के और विभिन्न खर्चों के रूप में लगभग 50,000 रुपये की हानि उठाई है।

CORRESPONDENCE COURSES

†10355. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister of State in the Ministry of Education, while inaugurating the programme of correspondence courses recently, stated that it was a radical step in the field of education;

(b) if so, the advantages envisaged through this course;

(c) whether Government propose to start such correspondence courses in other parts of the country also; and

(d) the expenditure likely to be incurred on the payment and the outline as to how these courses would be conducted ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) While inaugurating the Delhi University Correspondence Courses Teachers' Association, the Ministry emphasised the importance of correspondence education in the face of limited resources, and physical facilities like accommodation, equipment, etc.

(b) The main advantage of the scheme is that education can be imparted to such persons who by force of circumstances, cannot attend regular classes. Further, education through correspondence allows the student to 'earn while learn' and reconciles the demand for higher education with the limitations imposed by resources.

(c) and (d). The University Grants Commission has agreed to the introduction of correspondence courses at the pre-University and B.A. levels in the Punjabi University, and at the pre-University (Commerce) and B.Com. levels in the Rajasthan University. The Commission will pay grants to these two Universities for a period of four years, subject to a ceiling of Rs. 5 lakhs for each University for this period, whereafter the scheme is expected to become self-supporting. The assistance to be provided in a particular year will be related to the enrolment and the income from fees.

The details of the courses are to be worked out by the Universities concerned.

CONVERSIONS OF HARIJANS

10356. SHRI T. P. SHAH :

SHRI KANWAR LAL GUPTA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the statement made by the Dy. Chief Minister of Madhya Pradesh, published in the "*Hindustan Times*" dated the 16th April, 1968 in which he made an allegation that the Central Government are adopting a neglectful attitude in preventing the forcible conversion of Harijans and that they are not giving full liberty to the State Government to prevent it; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Government have seen a press report to this effect which appeared in the 'Hindustan Times' of 16-4-1968.

(b) Facts regarding the reported statement of Shri Saklecha are being ascertained from the State Government.

इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगे

†10357. **श्री टी० पी० शाह :**

श्री कंवर लाल गुप्ता :

श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमायतुल उलेमा-ए-हिन्द की केन्द्रीय स्थायी समिति के सेक्रेटरी और केन्द्रीय न्यायाधिकरण समिति के अध्यक्ष श्री मुहम्मद अहमद जाफरी ने इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगों के कारणों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य जारी किया है जो 16 अप्रैल, 1968 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान समर्थक मुसलमान इन दंगों के लिये उत्तरदायी हैं; और

(ग) इन पाकिस्तान-समर्थक मुसलमानों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार ने 17 अप्रैल, 1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "प्रो-पाक मुस्लिम कौडस् डेली रायट्स सेज़ जमियत लीडर" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार को देखा है ।

(ग) राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

सेवा-निवृत्ति की आयु

10358. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने कर्मचारियों को यह अनुमति देने का है कि 25 वर्ष की सेवा के पश्चात् जो कर्मचारी सेवा निवृत होना चाहें वे ऐसा कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारी पूरी पेंशन तथा सेवा-निवृत्ति के अन्य लाभों के हक़दार होंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) वे कर्मचारी जो 1938 से पहले नियुक्त किये गये हैं और जिन पर असैनिक सेवा विनियमों का अनुच्छेद 465-क लागू होता है 25 वर्ष की अर्द्ध सेवा पूरी करने के बाद नौकरी से रिटायर होने के अधिकारी है और उनको उनके सेवा-काल के अनुसार पेंशन मिलता है।

APPREHENSION OF CAR LIFTERS IN ROOPNAGAR, DELHI

10359. SHRI HARDAYAL DEVGUN :
SHRI RAM AVTAR SHARMA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 935 on the 29th March, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that the car lifters who committed murder of the owner of the car in Roopnagar, Delhi on the 3rd March, 1968 have not so far been apprehended;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the details of the action taken to apprehend them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). The case registered in connection with the alleged murder of the owner of the car in Roopnagar is under investigation. One person has been arrested in the case. Vigorous efforts are being made to arrest another person who is allegedly involved in the case. The police have interrogated the suspect and scrutinised the *modus operandi* record, local enquires are also being made.

केन्द्रीय स्कूल

10360. **श्री मंगलाथुमाडोम : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और केन्द्रीय स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने स्कूल खोलने का प्रस्ताव है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) वित्तीय कठिनाई के कारण इस योजना का विस्तार बहुत सीमित रहा है। जैसे ही धन उपलब्ध होगा निलम्बित मांगों के आधार पर इस प्रकार के और स्कूल खोलने पर विचार किया जायेगा।

केरल में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

10361. **श्री मंगलाथुमाडोम : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिये कितने अधिकारी केरल सरकार की सेवा में हैं;

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण किस आधार पर किया जा रहा है; और

(ग) क्या कुछ अधिकारियों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई है कि उनकी कुछ प्रार्थनाओं पर विचार नहीं किया जा रहा है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केरल राज्य संवर्ग में 81 भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा 38 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं।

(ख) अन्तः संवर्ग तबादले की अनुमति सामान्य रूप से अत्यधिक करुणामूलक कारणों पर दो जाती है उदाहरणार्थ (1) जब दो भिन्न राज्य संवर्गों के अधिकारी विवाह करते हैं अथवा (2) जब अधिकारी अपने प्रमाणों से सरकार को सन्तुष्ट कर देता है कि जिस राज्य के संवर्ग में वह है उसकी जलवायु उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकर है।

(ग) जी नहीं। जब अधिकारियों से अनेक कारणों से अन्तः संवर्ग तबादले के विषय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो उन पर यथोचित विचार किया जाता है और उन पर गुणों के आधार पर निर्णय दिया जाता है।

HINDI BOOKS ASKED FOR BY CEYLON

10362. **SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :**

(a) whether the University of Ceylon has requested Government for supply of some Hindi books:

(b) if so, whether Government have acceded to the request; and

(c) the number and value of books supplied to the said University and the dates on which they were supplied?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) to (c). The Indian Council for Cultural Relations which administers the Programme of Book Presentation abroad has received this request in April, 1968, and is receiving the Council's attention.

During the past five years ending 1967-68, the Council supplied books valued at Rs. 13,000 to the University of Ceylon.

National Highway to Kosi Dam

10363. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no road link between Raxaul on the National Highway and the Kosi Dam near Birpur;

(b) whether the area between Raxaul and Birpur, which is adjacent to the Nepal border and falls in the Districts of Champaran, Muzaffarpur and Darbhanga is difficult to travel for want of this road link;

(c) whether Govt. have examined the construction of the link road between Raxaul and Western Kosi embankment to facilitate direct movement on the border; and

(d) if so, the details thereof and steps taken in that direction?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) to (d). The proposed road between Raxaul and the Kosi Dam near Birpur would be a State road. The Govt. of Bihar are, therefore, primarily concerned with its construction. Some time back, they submitted a scheme for Central financial assistance for the construction of a road from Bhainsalotan (Balmikinagar) to Powakhali *via* Raxaul, which would connect Raxaul with the Western embankment of the Kosi Dam. The Govt. of India considered the State Govt.'s request, but were unable to accede to it. On their part, the Govt. of India are already developing a 1000-mile long lateral road from Bareilly in U.P. to Amingaon in Assam to meet the needs of the area.

बिहार के इंजीनियर

10364. **श्री भोगेन्द्र झा :** : क्या गृह-कार्य मंत्री 5 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1096 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा स्टोर की जांच तथा लेखा-परीक्षा का काम पूरा लिया गया है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति तथा कथित स्टोर की जांच तथा लेखा-परीक्षा में विलम्ब करना चाहते हैं ताकि करोड़ों रुपयों के गबन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बचाया जा सके;

(घ) यदि हां तो क्या सरकार विशेष लेखा-परीक्षा के काम को पूरा करने अथवा साथ-साथ केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच शुरु करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ङ) जैसा कि 29-11-67 को लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2280 के उत्तर में बताया गया था और यह महसूस किया गया था कि अपराधिक जांच आरम्भ करने से पहले स्टोर की जांच तथा लेखा-परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करना वांछनीय होगा। बिहार सरकार ने बताया है कि स्टोर की जांच का कार्य पूरा हो चुका है और एक विशेष लेखा-परीक्षा का कार्य अभी चल रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Attack on Invigilators in U.P. Examinations

10365. SHRI M. L. SONDHI:
SHRI K. M. MADHUKAR:
SHRI PRAKASH VIR SHASTRI:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that five Invigilators were killed and 50 hurt in the recent U.P. examinations;

(b) whether it is also a fact that the examinees and their supporters had used daggers and lathis in their attack on teachers at various places;

(c) whether these incidents happened when Invigilators tried to check mass copying attempts by the examinees and that Invigilators boycotted their work in view of inadequate protection; and

(d) how Government propose to meet this situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) No, Sir. Only three received some injuries out of a total of 21 cases of assault attempted by the examinees.

(b) At some places sticks and knives were used.

(c) No, Sir. These cases do not relate to mass copying. No invigilators boycotted invigilation work.

(d) Adequate security arrangements were made at the examination centre and the State Government has appointed a Committee to enquire and suggest ways to check such incidents.

सहायकों के ग्रेड में भर्ती

10366. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1967 में हुई सहायक संवर्ग की परीक्षा के आधार पर केवल 33 उम्मीदवार चुने गये थे, जबकि अनेक रिक्त पद उपलब्ध थे;

(ख) क्या फरवरी 1967 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की नामिका बनाने का कोई प्रस्ताव है ताकि उस सूची में से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो 1967 की सूची में से कितने और उम्मीदवारों को नियुक्त किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां । केन्द्रीय सचिवालय सेवा में, सहायक संवर्ग में सहायकों के फालतू हो जाने का पुर्वानुमान था अतः फरवरी 1967 में हुई सहायक संवर्ग परीक्षा में से सहायकों की नियुक्ति पर अधिक-से-अधिक प्रतिबन्ध लगाना पड़ा जिससे कि फालतू सहायकों को जगह मिल सके ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजभाषा के रूप में उड़िया

10367. श्री रवि राय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अधिसूचना के माध्यम से उड़ीसा सरकार ने यह निर्णय किया है कि 14 अप्रैल 1968 से उड़िया राजभाषा होगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा सरकार ने कुछ विभागों को इस अधिसूचना के क्षेत्राधिकार से विमुक्त रखा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) जी हां, राज्य सरकार ने यह अधिसूचित किया है कि उड़िया भाषा पर प्रयोग विभागाध्यक्षों के कुछ कार्यालयों को छोड़कर तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों तथा रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जिलाधीश के कार्यालयों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों को छोड़कर समस्त सरकारी कामकाज में किया जायगा ।

Reports Prepared by Ministries

10368. SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of the reports which are prepared regularly by various Ministries, Departments and Offices of Government of India;

(b) the names of such Reports out of them as are being prepared and published in Hindi also; and

(c) the arrangements made for preparing Hindi editions also of the reports which are not prepared in Hindi in accordance with Official Language Act ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The collection of this data will involve time and labour which may not be commensurate with the results to be achieved.

(c) Administrative instructions for the implementation of provisions of the Official Language (Amendment) Act 1967 are being issued shortly.

PARLIAMENT ASSISTANTS

+10370. SHRI MOLAHU PRASAD : Will the Minister of EDUCATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Questions Nos. 2238 and 7687 on the 23rd November, 1966 and 2nd August, 1967 respectively and state :

(a) whether Government have since considered the question of appointing Parliament Assistants by rotation; and

(b) if so, the decision taken in this regard ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) and (b). Appointment to the post of Parliament Assistant is made with reference to the instructions contained in Ministry of Home Affairs Memorandum dealing with the rotation of staff holding certain categories of posts. As stated earlier in reply to Unstarred Question No. 7687 answered in the Lok Sabha on the 2nd August, 1967, changes are affected as and when considered necessary in the interest of disposal of work.

I.A.S. AND I.P.S. OFFICERS

10371. SHRI MOLAHU PRASAD : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the Department-wise number of such I.A.S. and I.P.S. Officers who are working in the same Department for the past three years or more and the names and designations of those officers; and

(b) the reasons for not transferring them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) The information is given in Annexures I, II, and III. (Placed in Library, *See* No. LT-1293/68).

(b) There is no such decision that I.A.S./I.P.S. officers should be transferred from one Department to another after every three years.

INDUSTRIAL UNDERTAKINGS UNDER MINISTRY OF HOME AFFAIRS

10372. SHRI MOLAHU PRASAD : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the name of industrial undertakings, State-wise, which are functioning under the control of his Ministry and the amount invested in each;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring *at par* with other States the backward economy of Uttar Pradesh; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) There are no industrial undertakings functioning under the control of the Ministry of Home Affairs.

(b) The Ministry of Home Affairs have no proposals to set up any industrial undertakings during the Fourth Plan.

(c) The Ministry of Home Affairs have no such proposal in view.

(d) Does not arise.

B.T.C. TRAINING

10373. SHRI MOLAHU PARSAD : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether Government had decided in 1967 that only fresh candidates would be enrolled for B.T.C. training in U.P., although a large number of teachers under Zila Parishads still remain untrained; and

(b) if so, whether Government have under consideration a proposal to make such arrangements, whereby at least 25 per cent of the trainees are enrolled from amongst senior untrained teachers to that all untrained teachers might be trained gradually?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) and (b). In 1967, 10% seats were reserved for untrained working teachers of local bodies. From this year, the declared policy of the Government of U.P. for untrained working teachers of local bodies is to give B.T.C. training for a period of three years to all untrained teachers below 30 years of age. Teachers above 30 years are eligible for inservice training.

INDUSTRIAL UNDERTAKINGS UNDER MINISTRY OF EDUCATION

+10374. SHRI MOLAHU PRASAD : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) the names of industrial undertakings, State-wise, which are functioning under the control of his Ministry and the amount invested in each;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring *at par* with other States the backward economy of Uttar Pradesh; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) to (d). There are no Industrial Undertakings under the control of this Ministry. There are no proposals to set up such Undertakings.

MAHARISHI MAHESH YOGI'S ASHRAM AT RISHIKESH

10375. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one Notice Board with the contents that entry of Indians in the Ashram for three months is banned has been placed in front of the Maharishi Mahesh Yogi's Ashram at Rishikesh, whereas the foreigners continue to go there; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) and (b) Facts are being ascertained.

FRENCH GOVERNMENT SPECIAL TRAINING SCHOLARSHIP

10376. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that candidates were called for interview by the Foreign Scholarship Section of the Ministry of External Affairs on the 15th February, 1968 for the French Government Special Training Scholarship 1968-69;

(b) whether it is also a fact that Shri Ram Krit Singh replied all the questions in Hindi because of which the Chairman became angry and asked him to reply in English and on not doing so, Shri Singh was not permitted to appear in the interview for full time; and

(c) if so, whether it is not in contravention of the provision of the Constitution?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) Yes, Sir. They were, however, called by the External Scholarships Division of the Ministry of Education and not by the Ministry of External Affairs.

(b) It is not a fact that the Chairman was angry. He advised Shri Ram Krit Singh to answer the question in English so as to enable the French representative and the expert in the subject, who did not know Hindi, to assess him correctly. The knowledge of French language was an essential requirement. The French representative tested his knowledge of French and as it was most unsatisfactory he was not inclined to accept him as a scholar.

(c) Does not arise.

हल्दिया पत्तन

10377. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक हल्दिया पत्तन के निर्माण में क्या प्रगति हुई; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) हल्दिया योजना का कार्य अनुसूची के अनुसार चल रहा है। लगभग 85 प्रतिशत भूमि प्राप्त कर ली गई है। प्रस्तावित डाक और टर्निंग बेसिन की खुदाई पूरी हो गई है। डाक बेसिन और नदी में निकर्षक कार्य प्रगति पर है। तेल जेटी के निर्माण की शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की आशा है। जुलाई 1967 में डाक व्यवस्था के निर्माण के लिये ठेका दिया गया था और कार्य प्रगति पर है। रेलवे बोर्ड से 12 इंजनों के लिये आदेश दे दिया गया है। एक खनिज लादन संयंत्र और कोयला लादन संयंत्र की सप्लाई के लिय ठेका दे दिया है।

(ख) मौजूदा सूचना के अनुसार हल्दिया डाक व्यवस्था 1971 के प्रारम्भ में कार्य करने के लिये तैयार और पूर्ण हो जायगी।

कोचीन शिपयार्ड

10378. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन जापानी सहयोगियों के साथ समझौता हो गया है जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि कोचीन शिपायार्ड से सम्बन्धित निर्माण योजना के मूल प्रतिवेदन को बदल दिया जाये तथा नई योजनाओं के अनुसार पूर्व-प्रस्तावित 33,000 और 53,000 टन के जहाजों के स्थान पर हर वर्ष 66,000 टन के दो जहाजों का निर्माण किया जाये;

(ख) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि 1,00,000 टन के जहाजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मरम्मत अनुभाग खोला जाये; और

(ग) यदि हां, तो उस समझौते का ब्योरा क्या है तथा यदि सुझावों की जांच हो चुकी है तो उसका क्या परिणाम रहा ;

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) मेसर्स एम० एच० आई० ने अपनी परियोजना रिपोर्ट में मालवाहकों और तेलवाहकों के दो आकारों अर्थात् 33,000 और 53,000 डी० डब्ल्यू० टी० के निर्माण का प्रस्ताव दिया है । विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने कोचीन शिपयार्ड में 66,000 डी० डब्ल्यू०टी० के मालवाहक और 85,000 डी० डब्ल्यू० तक के पोतों के ठहरने के लिये पोत मरम्मत गोदी बनाने का निश्चय किया है । परियोजना के पुनरीक्षित क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए मेसर्स एम० एच० आई० ने जिनके साथ तकनीकी सहयोग की शर्तों पर समझौता करने का प्रस्ताव था, एक शिपयार्ड का रूपान्तरित अभिन्यास भेजा है। इस अभिन्यास में 1,00,000 डी० डब्ल्यू० टी० के पोतों के लिये पोत मरम्मत गोदी की व्यवस्था की गई है। अभिन्यास की परीक्षा कर ली गई और जैसी एम० एच० आई० की इच्छा थी । परियोजना में पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट और तकनीकी सहयोग की तैयारी के लिये पारस्परिक स्वीकृत समझौते को अन्तिम रूप देने की दृष्टि से अभिन्यास तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव किया गया है।

National Crime Prevention Week

10379. SHRI RAM CHARAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the "National Crime Prevention Week" is being observed in Delhi; and

(b) if so, the expenses incurred by Government on buntings, posters, staff, cloth and printing in this connection and whether the said expenses have proved useful ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The National Crime Prevention Week was observed in Delhi from 16th to 21st April, 1968. The expenses incurred in this connection are being worked out by the Delhi Administration.

दिल्ली के शिक्षा निदेशालय में नियुक्ति

10380. श्री राम चरण : क्या शिक्षा मंत्री 23 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1716 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1968 को समाप्त होने वाले पिछले छः महीने में दिल्ली के शिक्षा निदेशालय में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के श्रेणीवार कुल कितने अभ्यार्थियों ने आवेदन-पत्र दिये, उनमें से कितने को बुलाया गया और कितनों को चुना गया ;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के जो अभ्यार्थी चुने न जा सके, उनके नाम और उनकी अर्हताएं क्या हैं;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के अध्यापकों के लिये सुरक्षित स्थानों को भरने और उनको पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिये विभाग का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) अध्यापकों के लिये निर्धारित सुरक्षित स्थानों को कब तक भरा जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों की कुल संख्या :

वर्ग	जिन्होंने अभ्यावेदन भेजे रोजगार कार्यलय द्वारा भेजे गये	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये	चयन किये गये
1	2	3	4
स्नातकोत्तर अध्यापक	33	इन पदों के लिये अब तक साक्षात्कार	
भाषा अध्यापक	2	नहीं किया गया अतः इन पदों के लिये अभ्यर्थियों के चयन करने का प्रश्न हीं नहीं उठता)	
प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक	1	1	1
शिल्प अध्यापक	1	1	1
व्यायाम शिक्षक	1	1	1
पुस्तकाध्यक्ष	2	2	2
चतुर्थ श्रेणी	106	106	20

(ख) एक सूची संलग्न है।

(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1294/68।)

(ग) (1) आरक्षित रिक्त स्थानों में नियुक्ति लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम भेजने के लिये रोजगार कार्यालय से अनुरोध किया जाता है।

(2) उपयुक्त अभ्यार्थी न मिलने की दशा में प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में रिक्ति स्थानों के विज्ञापन दिये जाते हैं।

(3) उपयुक्त अभ्यार्थी भेजने के लिये सुप्रसिद्ध संस्थाओं/संगठनों से भी सम्पर्क स्थापित किया जाता है।

(घ) सुरक्षित स्थानों में नियुक्तियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर निर्भर करती है, अतः कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती।

नक्सलबाड़ी

10381. श्री हिम्मतसिंहका : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष नक्सलबाड़ी के आन्दोलनों में भाग लेने के कारण कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है उनमें से कितने व्यक्तियों को सजा दी गयी अथवा बरी कर दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है।

Public Meeting of Communist Party in Delhi

10382. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a public meeting was held by the Communist Party of India on the 22nd March, 1968 near Prasad Nagar, Delhi to protest against Government policy of removing Shanties;

(b) if so, whether one member of Parliament also addressed the meeting apart from others;

(c) whether the C.I.D. was taking notes of his speech as also of other speeches; and

(d) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) This was done in the course of normal discharge of duties.

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूहों का मुख्यायुक्त

10383 श्री गणेश : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायालय का अवमान किये जाने के लिये अंदमान और निकोबार द्वीपसमूहों के मुख्यायुक्त को सजा दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या-क्या आरोप लगाये गये थे ;

(ग) क्या मुख्यायुक्त कलकत्ता उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार भी है ; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) सरकार के इस निर्णय पर कि नानकावरी ट्रेडिंग कम्पनी के लाइसेंस को 30-9-67 के आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो उल्लिखित कम्पनी ने सितम्बर 1967,

को कलकत्ता उच्च न्यायालय से अन्तरिक व्यादेश प्राप्त कर लिया जिसके अनुसार अंदमान और निकोबार प्रशासन कम्पनी के व्यापार और कार्य में हस्तक्षेप पर रोक लगा दी गई। तथापि उन द्वीप समूहों में लोगों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए अंदमान और निकोबार प्रशासन ने कुछ सिविल सप्लाई स्टोर्स खोले थे। मैसर्स नानकाबरी ट्रेडिंग कम्पनी ने न्यायालय द्वारा जारी किये हुए आदेश का अवमान किये जाने के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया जिसमें प्रशासन को कहा गया कि वह जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक अपने स्टोर्स बंद कर दे। बाद में न्यायालय ने अपना आदेश निर्बाध मानकर मुख्य आयुक्त और उप-आयुक्त पर पचास-पचास रुपये जुर्माना कर दिया जो बाद में महा-न्यायाभिकर्त्ता के मौखिक क्षमा याचना पर माफ कर दिया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अपीलिय विभाग में अपील दायर कर दी गयी है।

अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य आयुक्त अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार भी हैं। सरकार अपील के परिणाम की प्रतिक्षा कर रही है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह

10384. श्री गणेश : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 के दौरान तथा चालू वर्ष में मार्च, 1968 तक अंदमान तथा निकोबार प्रशासन के कितने अधिकारियों ने मुख्य भू-भाग पर सरकारी कार्य से नई दिल्ली और अन्य स्थानों का दौरा किया तथा उन अधिकारियों के पदनाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक अधिकारी से उनके दौरों के उद्देश्य, उनके ठहरने की अवधि, उनके दौरों का व्यय तथा उनके द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता कितना कितना है ; और

(ग) किये गये व्यय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 1295/68।)

(ग) इस तथ्य को देखते हुए यह व्यय आवश्यक हैं कि अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह बहुत दूर और पिछड़े क्षेत्र है तथा वहां के प्रशासन को समय-समय पर अपने अधिकारियों को परामर्श के लिए तथा अन्य सरकारी कामों के लिए मुख्य भू-भाग में भेजने की आवश्यकता पड़ती है ताकि कार्य सुचारु रूप से चल सके।

निकोबार निवासियों के लिये होम फण्ड

10385. श्री गणेश : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकोबार के आदिवासियों के कल्याण के लिये निकोबार होम फंड कब बनाया गया था ;

(ख) इस फंड की स्थापना कितनी राशि से की गई थी और प्रत्येक वर्ष इसमें कितनी राशि जमा की गई ;

(ग) इस फंड के आरम्भ किये जाने के बाद प्रत्येक वर्ष होने वाले खर्चे का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस फंड का प्रबन्ध किस प्राधिकार के हाथ में है और क्या खातों का कोई लेखा परीक्षण किया गया है ; और

(ङ) क्या प्रशासन के पास कोई आदिवासियों के कल्याण की योजना है और इस मद के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत योजनाओं के लिये कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1947 में।

(ख) और (ग) अनुबन्ध एक में एक विवरण संलग्न है। (पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1296/68।)

(घ) मार्च 1, 1966 तक उप-आयुक्त द्वारा इस फंड का प्रबन्ध किया जा रहा था। इसके बाद यह कार्य अतिरिक्त उप-आयुक्त कार निकोबार को सौंप दिया गया। इस फंड की कोई लेखा परीक्षण नहीं की गई।

(ङ) अनुबन्ध दो में एक विवरण संलग्न है। (पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1296/68।)

Arms Factory in Varanasi

10386. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during April the police unearthed an Arms Factory being run unlawfully in Varanasi;

(b) if so, the type of arms and the quality thereof recovered from the said factory;

(c) whether Government suspect a foreign hand in regard to the arms recovered therefrom; and

(d) whether it is also a fact that the bombs recovered therefrom bore foreign markings ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) During April 68, Varanasi Police arrested two persons illegally engaged in the manufacture of crude type pistols and crackers.

(b) Material used in their manufacture and some crude pistols and crackers were recovered.

(c) No Sir.

(d) The crackers were crude and of indigenous make, and did not bear any foreign markings.

Excavations in U.P.

10387. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the German Archaeological Department is also collaborating with the Indian Archaeological party in the excavation of a mount near village Sankh in District Mathura, U.P.;

(b) whether it is also fact that the remnants of 3000 years old articles have been found in the excavation of this mount of village Sankh; and

(c) if so, the details and importance of the articles found in the excavation according to the official information received by Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) No, Sir. The excavation at Sankh is being conducted by the Indian Art Section of the State Museum, Berlin.

(b) Yes, Sir.

(c) According to the report of the excavator, thirteen cultural phases extending from circa 1000 B.C. to almost the present times have been determined by the excavation at this site. In the earliest phase, among other finds, a class of pottery known as the Painted Grayware, ascribable to circa 1000-600 B.C. was found, and in the subsequent phases, remains including pottery, coins and terracotta figurines, metal objects, etc. of Mauryan, Sunga, Kushan, Gupta and mediaeval periods were obtained.

The cultural sequence revealed by this excavation was already known to the Survey through the excavation conducted by them in 1950-52 at Hastinapura, as also the excavations conducted by the University of Allahabad and the Aligarh Muslim University at Kausambi and Atranjikhera respectively.

PENSION TO THE SISTER OF SHRI RAM PRASAD BISMIL—THE MARTYR OF KAKORI CASE

10388. SHRI RAM AVTAR SHARMA :
SHRI SWAMI BRAMHANANDJI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sister of Shri Ram Prasad Bismil; the martyr in Kakori case, used to be given only Rs. 40 per month as pension;

(b) whether it is also a fact that she had requested Government to increase the amount of pension since she was supporting three persons;

(c) whether it is also a fact that upon her request only Rs. 5 were increased in the monthly pension; and

(d) if so the reasons for not granting her more pension ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d). The pension to the sister of Shri Ram Prasad Bismil is being paid by the Government of Uttar Pradesh. According to the information received from them, she is getting a pension of Rs. 40 per month. In addition, she is also getting an amount of Rs. 5 per month which is being given by the State Government to all political pensioners on *ad-hoc* basis since April, 1964. Her request for an increase in the pension was not accepted by the State Government in accordance with their general decision not to enhance pensions of Rs. 30 or more. However, the Government are taking up this matter with Government of Uttar Pradesh.

FOREIGN MISSIONARIES

10389. SHRI RAM GOPAL SHALWALE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of foreign missionaries propagating their religions in the country at present along with the names of their respective countries;

(b) whether Government are aware of any centres having been established in the said countries to propagate Indian religions;

(c) if not, whether Government propose to impose restrictions on the activities in regard to conversion of religion by foreign missionaries in India, and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Two statements showing the number of registered—

(i) foreign missionaries as on 1-1-1967, and

(ii) Commonwealth missionaries as on 1-6-1967,

are attached. (Placed in Library. *See* No. LT-1297/68.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

ACTIVITIES OF CHRISTIAN MISSIONARIES IN DELHI

10390. SHRI RAM GOPAL SHALWALE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Christian Missionaries have intensified their activities in regard to conversions in colonies across Jamuna in Delhi;

(b) whether the attention of Government has been drawn to the appeal made by Hindus living across Jamuna as published in "Vir Arjun" dated the 7th March, 1968; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir.

(b) No item of this nature appears to have been published in "Vir Arjun" dated the 7th March, 1968.

(c) Does not arise.

FINANCIAL HELP TO THE FAMILY OF LATE SHRI MAHABIR SINGH OF U.P. POLICE

10391. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to give some financial assistance to the family and monthly pension for the subsistence of the wife of late Shri Mahabir Singh, a Police Officer who was killed while some bus passengers were being kidnapped by dacoits near Agra;

(b) if so, when a decision in this regard is likely to be taken; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). It is reported by the Government of Uttar Pradesh that a sum of Rs. 1500 has been sanctioned as financial assistance to the dependants of the deceased. A proposal regarding grant of extraordinary pension to the family of the deceased is under their consideration and a decision in this regard will be taken soon.

VIVEKANANDA MEMORIAL AT KANYA KUMARI

10392. SHRI NIHAL SINGH : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state the amount contributed by the Central Government for the construction of Vivekananda Memorial at Kanya Kumari ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : Thus ministry have made no contribution towards meeting the cost of construction of Vivekananda Memorial at Kanya Kumari.

SEIZURE OF ARMS IN JAMSHEDPUR

10393. SHRI NIHAL SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of arms seized in Jamshedpur recently as reported in the *Patriot* of the 8th February, 1968 and the names of the countries in which they had been manufactured; and

(b) the number of persons against whom action has been taken by Government in this connection and the nature of action taken against each of them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) 2 country made pistols, 4 country made guns and some parts of guns and tools for manufacturing country made pistols.

(b) Cases under the Arms Act have been registered against seven persons. Out of these, six persons have been arrested and one is absconding. They are being proceeded against in accordance with the law.

इंजीनियरिंग स्नातक

10394. श्री प्र० रं० ठाकुर : : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पहली योजना के आरम्भ से लेकर अब तक वर्ष वार कितने इंजीनियरिंग स्नातक उत्तीर्ण हुए :

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अलग-अलग उत्तीर्ण होने वाले स्नातकों की संख्या क्या है ; और

(ग) सरकार ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिये क्रमशः वर्षवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां/वजीफे दिये ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) एक विवरण संलग्न है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1298/68)

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

अखिल भारतीय चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य सेवा

†10395. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सेवा शीघ्र ही अन्तिम रूप से बनाई जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां तो इस सेवा के गठन के प्रारम्भ में इसमें श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी होगी ;

(ग) क्या इसके प्रारंभिक भर्ती के विनियमों में तथा पदालि नियमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व का कोई उपबन्ध होगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा को यथा संभव शीघ्र गठित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ मामला अभी विचारधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में भर्ती के वर्तमान नियमों में इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था है । इस सेवा की प्रारम्भिक गठन अवस्था में उन लोगों को भरती किया जाता है जो पहले से ही नौकरी में हैं और वरीयता सूची में उनका स्थान है। इसलिये भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के प्रारंभिक गठन की अवस्था में भरती के समय और अधिक आरक्षण उचित नहीं है।

सड़कों के निर्माण के लिये निधि

10396. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण देश में सड़कों के निर्माण और उनकी देखभाल के काम की प्रगति रुक गई है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में इस कार्य के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ; और

(ग) इस कार्य के लिये अपेक्षित धन की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) अनुमानत: माननीय सदस्य का तापर्य देश के राष्ट्रीय मुख्यभागों के निर्माण विकास और देखरेख से है जिस के लिए भारत सरकार प्रशासनिक तथा वित्तीय तौर से जिम्मेदार है। वित्तीय कमी के कारण राष्ट्रीय मुख्यामार्गों के मूल तथा देखरेख के निर्माण-कार्यों के लिए सीमित धन राशियों का आवंटन किया गया है।

1968–69 के बजट में केवल निम्नलिखित व्यवस्थाएं शामिल की गयी हैं :—

	(रुपये लाखों में)
राष्ट्रीय मुख्य मार्ग (मूल) निर्माण-कार्य	1176.00
राष्ट्रीय मुख्य मार्गों की देख रेख तथा मरम्मत	720.00

अब तक जो धन उपलब्ध हुआ है वह चालू निर्माण-कार्यों की आवश्यकता के लिए अपर्याप्त है अत: देश के राष्ट्रीय मुख्य-मार्गों के नये निर्माण-कार्यों को मंजूर करना संभव नहीं हो सका है सिवाय अनिवार्य निर्माण-कार्य के। धन की कमी का प्रभाव राष्ट्रीय मुख्य-मार्गों के देखरेख पर भी पड़ा है। और अधिक धन राशि के उपलब्ध होने पर स्थिति के सुधरने की आशा है। फिर भी कम से कम चालू निर्माण-कार्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पुर्ति के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध करने का पूरा प्रयत्न किया जाता रहेगा।

I.C.S., I.A.S. AND I.P.S. OFFICERS BELONGING TO S.C. AND S.T. OF MAHARASHTRA

10397. SHRI DEORAO PATIL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes of Maharashtra in the I.C.S., I.A.S. and I.P.S. along with their dates of appointment, respectively; and

(b) their present employment position in various other trades ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) A statement is enclosed. (Placed in Library. *See* No. LT-1299/68).

BARNS OF HARIJANS BURNT IN MADHYA PRADESH

10398. SHRI DEORAO PATIL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the caste Hindus have recently burnt down the barns of thirty-five Harijans in village Tipri-Pipariya in Madhya Pradesh in Broad daylight;

(b) whether the incidents of inhuman atrocities on backward classes by the Caste Hindus in Madhya Pradesh are on the increase; and

(c) if so, the action taken by Government to check them ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) No such incident has come to the notice of the State Government.

(b) and (c). Facts are being ascertained from the State Government.

ANCIENT MONUMENTS IN M.P.

10399. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether attention of Archaeological Department has been drawn to the neglected state of ancient monuments in Madhya Pradesh; and

(b) if so the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) A complaint about the poor state of preservation of certain monuments in Vidisha District of Madhya Pradesh, has been received from a resident of Vidisha, and the matter has been referred to the Archaeological Survey of India for examination and a report to the Ministry.

(b) There are 313 centrally protected monuments/sites in Madhya Pradesh, and there have been practically no other complaints about their state of preservation or maintenance. The Archaeological Survey of India; however, arranged a special inspection of the Vidisha monuments recently, and necessary action will be taken on the findings in the inspection report and the report on the complaint from a resident of Vidisha. Besides the expenditure on the routine maintenance of the monuments in the State, about Rs. 1 lakh is proposed to be spent during the current financial year on special repairs, chemical preservation and horticultural operations at the monuments where these are needed.

M.P. Government Employees on Deputation to Centre

10400. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Madhya Pradesh Government employees category-wise, at present on deputation to the Central Government;

(b) the number of said employees who returned to their posts in the State during the last three years and whether they went back after the lapse of the maximum period of deputation or before that;

(c) whether the employees who went back before the lapse of the maximum period did so due to some reasons; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) 542 as in June, 1967.

The information relating to various categories of deputationists as in June, 1967 to the Central Government is as under :

(i) Number of Madhya Pradesh Government employees who were holding Class I (Gazetted) posts under the Central Government—91

(ii) Number of such employees as were holding Class II posts under the Central Government—56*

(iii) Number of such employees as were holding non-Gazetted posts under the Central Government—395

(b) to (d). The information is not readily available.

Political Sufferers of M.P.

10401. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any financial assistance in the form of grant or loan has been given by the Central Government to the Government of Madhya Pradesh for giving assistance to the political sufferers in Madhya Pradesh so far;

(b) if so, the extent thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). The relief and rehabilitation of political sufferers are primarily the responsibility of State Governments, who have their own schemes for the purpose. The Government of India do not give any financial assistance to the State Governments for this purpose. In individual cases of hardship, assistane is given to political sufferers in the shape of non-recurring cash grants from Home Minister's Discretionary Grant.

दिल्ली म शस्त्र निर्माण कारखाना

10402. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 अप्रैल, 1968 को दिल्ली में पिस्तौल, बन्दूक और अन्य हथियार बनाने वाले एक शस्त्र निर्माण कारखाने का पता लगा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) क्या इस कारखाने में शस्त्र निर्माण में किसी बाहर के देश का हाथ है ;

*Note-- This may also include a few non-Gazetted posts about which separate figures are not readily available.

(घ) यदि हां, तो किस देश का ; और

(ङ) क्या कोई जांच की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 16 अप्रैल, 1968 को पुलिस ने एक व्यक्ति से दो देसी पिस्तौल और .12 के तीन कारतूस बरामद किये। उसके निवासस्थान की तलाशी लेने पर पिस्तौल के बैरल में प्रयोग में लाई जाने वाली 3 लोहे की पाइप, 6 पिस्तौल के कुन्दे, एक दर्जन बोल्ट और नट भी बरामद किये गये।

(ख) जी हां, एक व्यक्ति को गिरफतार किया गया था और शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है।

(ग) से (ङ). प्रारम्भिक जांच-पड़ताल से यह पता चला कि अपराधी खुद ही शस्त्रों का निर्माण कर रहा था। जांच अभी जारी है।

राष्ट्रीय राजपथों के अनिर्मित टुकड़े

10403. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां-जहां राष्ट्रीय राजपथ नहीं हैं, उन्हें पूर्ण करने के लिये अभी 17 बड़े पुल बनाने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय राजपथों पर 250 मील के क्षेत्र पर सड़कें नहीं बनी हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में सड़कों का निर्माण धन न होने के कारण रुका पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो धन की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). जी हां। उपलब्ध साधनों में सड़कों के लिये सरकार यथाशक्ति सब कुछ कर रही है।

देश में बम विस्फोट की घटनायें

10404. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967 और जनवरी, अप्रैल 1968 में देश में बम विस्फोटों की घटनायें बढ़ गई थीं तथा गत वर्ष की तुलना में उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कलकत्ता में बम विस्फोटों की संख्या सर्वाधिक थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश मामलों में विदेश निर्मित बमों की संख्या अधिक थी ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे बम विस्फोट करने वाले गिरोहों का पता लगाने के लिये तथा विस्फोटों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) कितने मामलों में जांच की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ङ) इस अवधि में आंध्र प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, नेफा, हिमाचल प्रदेश, गोआ लक्कादीव और मिनीकाय द्वीपसमूह और चंडीगढ़ में कोई बम विस्फोट नहीं हुआ। दूसरे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को घाटा

10405. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की वर्ष 1967-68 की पहली छमाही में दो करोड़ रुपये की हानि को, अगस्त, 1967 से बढ़ाये गये किराये के परिणामस्वरूप कहां तक पूरा कर लिया गया है तथा वर्ष 1967-68 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की कुल अनुमानित हानि अथवा लाभ कितना है और पिछले ऐसे ही आंकड़ों की तुलना में ये कम हैं अथवा अधिक ;

(ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को एक लाभकारी उद्यम बनाने के लिये पिछले वर्ष क्या उपाय किये गये तथा वर्ष 1968-69 में क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) 1-8-1967 से लागू की गयी किरायों में वृद्धि के परिणामस्वरूप 1967-68 की पहली छमाही में होने वाली 2 करोड़ रुपये की अनुमानित हानि में काफी कमी हो गयी है। 1967-68 के पुनरीक्षित प्राक्कालनों के अनुसार 26.30 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है। पिछले तीन वर्षों में लाभ/हानि के तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :

	(लाख रुपयों में)
1964-65	133.01 (लाभ)
1965-66	32.33 (लाभ)
1966-67	423.50 (हानि)

(ख) किरायों और माल भाड़ों की दरें 1-8-67 से बढ़ायी गयी थीं। अधिक कार्य-दक्षता तथा खर्चों में अधिक किफायत हासिल करने के लिये नयी क्रियाविधियां निकालने की दृष्टि से कारपोरेशन ने विभिन्न प्रकार के अध्ययन कार्य भी प्रारंभ किये हैं। इसके अलावा कारपोरेशन मुख्य मार्गों पर यात्री-धारिता में वृद्धि, तथा अलाभप्रद विमानों को बदल कर उनके स्थान पर नये विमान लेने द्वारा विमान बेड़े के आधुनिकीकरण, पर भी विचार कर रही है।

बिहार में 1967 में अकाल के दौरान आदिम जातियों को ईसाई बनाना

10406. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 की अकाल अवधि के दौरान बिहार में पालामऊ जिले के महोतनर थाने के अनेक गावों में बड़ी संख्या में आदिम जातियों को ईसाई बनाया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि आदिम जातियों को परम्परागत धार्मिक रस्मोरिवाज के अनुसार पहले से विवाहित व्यक्तियों का ईसाई धर्म के रस्मोरिवाज के अनुसार पुनः विवाह कराया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, फिर भी कुछ धर्म परिवर्तन की सूचनाएं मिली हैं।

(ख) इस प्रकार की सूचना सरकार को नहीं मिली है। ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवहन संबंधी सुविधायें

10407. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन के क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करने की दृष्टि से परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने के बारे में सरकार की कोई निश्चित नीति है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है छोटा नागपुर और संथाल परगना के भीतरी क्षेत्रों में परिवहन की उचित सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ग) क्या सरकार का बिहार राज्य के छोटा नागपुर और संथाल परगना के पिछड़े क्षेत्र में परिवहन को पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। परिवहन नीति और समन्वय समिति की नियुक्ति योजना आयोग द्वारा की गई थी। उसने अन्य बातों के अलावा सिफारिश की है कि देश में कुछ बड़े क्षेत्र, जो परिवहन सुविधाओं की दृष्टि से स्पष्टता अर्ध विकसित हैं में समूचे राज्य की परिवहन योजना के ढांचे में समेकित क्षेत्रीय परिवहन योजना बनाना वांछनीय है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखदी जायेगी।

ईसाई धर्म प्रचारक

10408. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे विभिन्न ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा विदेशों से भारी राशि के अनुदान प्राप्त किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो (एक) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में विभिन्न ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा कुल कितनी राशि के अनुदान प्राप्त किये गये ; (दो) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व की अवधि में इन धर्म प्रचारकों द्वारा कुल कितनी राशि के अनुदान प्राप्त किये गये ; और (तीन) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात छोटा नागपुर और सन्थाल परगना क्षेत्रों और नागालैंड और आसाम के पहाड़ी जिलो में काम करने वाले विभिन्न धर्म प्रचारकों द्वारा कुल कितनी राशि के अनुदान प्राप्त किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) (1) और (2) 1958 से 1967 के वर्षों के दौरान (जनवरी से मार्च) व्यक्तियों, धर्म प्रचारकों और धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त धन की राशि का विवरण, जिसकी सूचना उपलब्ध है, सभा पटल पर रखी जा रही है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1300/98) 1958 वर्ष के पूर्व प्राप्त धन के आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं है। सूचना ईकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) (3) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कच्छ में सत्याग्रह

10409. **श्री शिवचन्द्र झा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ निर्णय के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिये लोगों के जत्थे कच्छ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने और वे किन-किन दलों के थे ; और

(ग) सरकार द्वारा यदि उनको कोई सुविधाएं दी गई है, तो वे क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां :

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल, 1968 से 2 मई, 1968 तक 1297 व्यक्तियों ने छोटी 2 दलों में सत्याग्रह किया। उनका ब्यौरा इस प्रकार है। भारतीय जनसंघ—719, संयुक्त समाजवादी दल—255, प्रजा समाजवादी दल—159, हिन्दु महासभा—8, विद्यार्थी—148 तथा निर्दलीय—8। उनमें से 351 व्यक्ति वम्बई पुलिस अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये तथा उसी दिन मुक्त कर दिये गये थे। 12 व्यक्तियों को तुरन्त मुक्त कर दिया गया था। शेष 934 को गिरफतार किया गया तथा उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 145 तथा 188 के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाया गया तथा विभिन्न अवधियों के लिये सजायें और जुर्माने किये गये।

राज्य सरकार ने यह भी बताया कि पीने का पानी उपलब्ध करने के लिये समुचित प्रबन्ध किये गये थे। निरुद्ध किये गये लोगों को मुक्त करने या फिर गिरफतार किये गये लोगों को अदालती हिरासत के हवाले किए जाने तक खावदा में खाद्य सामग्री प्रदान करने के भी प्रबन्ध किये गये थे। खावदा के स्थान, पर, कच्छ के रण में मौसम की खराब हालत के कारण कुप्रभावित व्यक्तियों के लिये आपतकालीन राहत के रूप में चिकित्सा सुविधायें भी तैयार रखी गई।

अपराध का पता लगाने वाले अभिकरणों को स्काटलैण्ड यार्ड की सहायता

10410. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अन्दर अपराधों का पता लगाने में भारत को स्काटलैंड यार्ड तथा अन्य विदेशी अपराध खोज अधिकरणों से सहायता मिलती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संघ का जिसे प्रायः इन्टरपोल कहते हैं, सदस्य है। इसके संविधान के अनुसार, सदस्य देशों में से प्रत्येक ने राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करने के लिये एक एजेंन्सी नामनिर्देशित कर रखी है, जो कि एक तो अन्य देशों के राष्ट्रीय ब्यूरों के साथ तथा दूसरे, अपने देश में पुलिस के अतिरिक्त विभिन्न विभागों से सम्पर्क रखती है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो का नाम बदलकर भारत का राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो कर दिया गया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो स्काटलेंड यार्ड अथवा दूसरे देशों की अपराध खोज एजन्सियों के साथ सीधा पत्र व्यवहार नहीं करता । आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित देशों के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो के माध्यम से जांच की जाती है, जो अपनी जांच एजन्सियों की सहायता से जांच करके जांच के प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो को भेज देते हैं। साधारणतया अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये अन्य देशों के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरों से सम्पर्क किया जाता है।

पर्यटन केन्द्र

10411. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन-किन पर्यटन केन्द्रों में विदेशी पर्यटक सब से अधिक जाते हैं ;

(ख) पिछले वर्ष इन स्थानों में कितने विदेशी पर्यटक आए थे ;

(ग) उपरोक्त अवधि में इन स्थानों में आये पर्यटकों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(घ) विदेशी पर्यटकों के लिए इन स्थानों में क्या विशेष व्यवस्था की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख). चूंकि आने वाले पर्यटकों की संख्या के बारे में आंकड़े स्थान-वार नहीं बल्कि अखिल भारतीय आधार पर रखे जाते हैं इसलिए यह सूचना कि पर्यटक रुचि के प्रत्येक स्थान की कितने पर्यटकों ने यात्रा की, उपलब्ध नहीं है। विदेशी पर्यटकों का आम रुख भारत में मुख्यतया ऐसे स्थानों की यात्रा करना रहता है जो कि विश्ववर्त्ती विमान मार्गों पर पड़ते हैं और इसीलिये जो विमान-किरायों में सम्मिलित किये जा सकते हैं। ऐसे स्थान बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, जयपुर और वाराणसी हैं । मद्रास के, एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा तथा बन्दरगाह होने के कारण काश्मीर की तरह वहां भी काफी अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं।

(ग) पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय का भी अखिल भारतीय आधार पर हिसाब लगाया जाता है। 1967 में मोटे तौर पर 25.23 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है।

(घ) आवास, परिवहन तथा अन्य सुविधाओं के बारे में पर्यटकों की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए पर्यटन के आधार-भूत उपादानों को परिपुष्ट करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है। विकास के लिए चुने हुए स्थानों पर पर्यटकीय आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद चौथी योजना की अवधि में इन प्रयत्नों को और अधिक बढ़ा दिया जायेगा।

भारतीय जहाजों को राज सहायता

10412. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की है न कि निर्यातकों द्वारा अधिक दरों पर भाड़ा दिये जाने के स्थान पर सरकार को भारतीय जहाजों को उतनी राज सहायता देनी चाहिये ;

(ख) क्या बोर्ड ने यह सुझाव भी दिया है कि जहां तक संभव हो अयस्क के निर्यात का ठेका लागत और भाड़े के आधार पर होना चाहिये ताकि भारतीय जहाजों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके ;

(ग) क्या सरकार ने बोर्ड के दो सुझावों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) सरकार राष्ट्रीय नौवहन मंडल के सुझावों की परीक्षा कर रही है।

जम्बो जैट विमान

10413. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार एयर इण्डिया की पुरानी सेवाओं के लिये जम्बो जैट विमान खरीदने का है ;

(ख) यदि हां, तो इन विमानों को खरीदने की शर्तें क्या है ;

(ग) क्या जम्बो जैट विमान सेवा के योग्य बनाने के लिये हवाई अड्डों का समुचित पुनःनिर्माण किया गया है ; और

(घ) इन जैट विमानों को किन-किन मार्गों पर चलाया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जम्बो जैट विमान खरीदे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु एयर इंडिया दो जम्बो जैट विमान ले रहे हैं।

(ख) इन विमानों की खरीद की वित्तीय व्यवस्था ऋणों द्वारा की जायेगी जिन के बारे में एयर इंडिया संयुक्त राज्य अमेरिका के आयात निर्यात बैंक तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों से बातचीत कर रहे हैं। दो जम्बो जैट विमानों की आवश्यकता फालतू पुर्जों सहित लागत छः करोड़ डालर के लगभग होने की आशा है।

(ग) एयर इंडिया भारत में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में स्थित केवल चार हवाई अड्डों का प्रयोग करते हैं। न केवल एयर इंडिया द्वारा प्रयोग किये जाने वाले जम्बो जैट विमानों के उपयोग के लिये अपितु अन्य विदेशी हवाई कम्पनियों द्वारा भी, जोकि इन हवाई अड्डों पर अपने विमान लाती हैं, संभवतया प्रयोग किये जाने वाले विमानों के उपयोग के लिये भी उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिये इन हवाई अड्डों को पुनः डिजाइन करने के प्रश्न पर श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में एक अंतराष्ट्रीय एयर पोर्ट समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

(घ) जम्बो जैटों के एयर इंडिया को 1971 में मिलने की आशा है। जिन मार्गों पर इनका प्रयोग किया जाना है उनका उस समय चल रही संगत परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए फैसला किया जायेगा।

समुद्री मार्ग द्वारा कोयला लाना-ले जाना

10414. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री मार्ग द्वारा कोयला लाना ले जाना प्रायः बन्द हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या उपलब्ध तटीय टनभार में बहुत अधिक गिरावट आ गई है, क्योंकि पुराने एककों की मरम्मत नहीं हुई है और वे बन्द हो गये हैं तथा उनको विदेश व्यापार में लगा दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति को किस प्रकार सुधारने का सरकार का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) तटीय स्थानों को समुद्र द्वारा कोयला लाने ले जाने की मांग, दूरस्थ कोयला क्षेत्रों के खुल जाने, रेलवे के क्रमशः डीजल व्यवहार करने और उद्योगों से समुद्र द्वारा लाये गये कोयले की कम मांग होने के कारण कम पड़ गई है। फिर भी इस समय इस कम मांग की पूर्ति करना भी संभव नहीं है।

कोयला माल की निरन्तर उपलब्धता में अनिश्चय तथा विदेशी मुद्रा कठिनाइयों के कारण तटीय नौवहन विस्तार में कार्य-क्रम पुर्नस्थापन का किया जाना संभव नहीं है। और चूंकि पुराने जहाज तोड़े जा रहे हैं अतः उपलब्ध टन भार भी कम होता जा रहा है। इसके अलावा बर्मा और लंका के लिये कोयला निर्यात करने के लिये, तथा द्वि पार्श्वीय

नौवहन समझोतों के अधीन किये गये वायदों को पूरा करने के लिये जहाजों को उस ओर भेजना पड़ता है। अब स्वेज़ नहर के बन्द हो जाने के कारण इस ओर अधिक पोत भेजने पड़ते हैं। गैर सरकारी नौवहन कंपनियां भी कोयला खान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखती हैं क्योंकि उनकी भाड़ा दरें निम्न और महंगी हैं।

तटीय नौवहन की मौजूदा समस्याओं का अध्ययन करने और उसके विकास के लिये सिफारिशें करने के लिये 8-9-67 को राष्ट्रीय नौवहन मंडल ने एक अध्ययन दल स्थापित किया था। दल ने राष्ट्रीय नौवहन मंडल को 4-4-1968 को अपनी रिपोर्ट दे दी है और वह मामले पर विचार कर रही है। इस पर राष्ट्रीय नौवहन मंडल की सिफारिशें और टिप्पणी प्राप्त करने पर भारत सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी।

अन्तर्देशीय जलमार्ग

10415. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों में अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार का विचार इस विषय पर विचार करने के लिये राज्य सरकारों के अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

10 मई 1968 को लोकसभा में लिखित प्र० सं० 10415 के उत्तर में विवरण

(क) 1957—59 में अन्तर्देसी जल परिवहन समिति (गोखले समिति) द्वारा भारत में अन्तर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया गया था।

2. गोखले समिति की सिफारिशों के अनुसरण में अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिये 1965 में केन्द्र में एक अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय की स्थापना की गई थी। इसके पूर्व केन्द्रीय सरकार तथा उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल और आसाम राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयत्न से जिस गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मन्डल की स्थापना की गई थी वह इस निदेशालय से मार्च 1967 में मिला दिया गया।

3. दूसरी और तीसरी पंच वर्षीय योजनाओं में विभिन्न विकास कार्य क्रियान्वित किये गये। इनमें निम्न का उल्लेख किया जा सकता है :— पांडू (गौहाटी) में एक अन्तर्देशीय पत्तन का निर्माण, केरल में वदागरा से माही तक पश्चिम तट नहर को विस्तृत करना, दामोदर घाटी में नौचालन कार्य, गंगा और ब्रह्मपुत्र के लिये निकर्षकों और लांचों की खरीद कलकत्ते में आई० डब्ल्यू० टी० कर्मियों के लिये एक उच्चतर प्रशिक्षण स्कीम का चालू

करना, उड़ीसा में केन्द्रपारा नहर में सुधार, और गंगा तथा घाघरा में छिछले डुबाव के जलयानों से प्रायोगिक पाइलट सेवा का चलाया जाना।

4. फिर भी यह तथ्य रहता ही है कि संचार साधन के रूप में आई० डब्ल्यू० टी० ने अधिक प्रगति नहीं की है। परिवहन के एक जीवनक्षम माध्यम के रूप में, विशेषकर उन भागों में जहां खुले माल ले जाने में स्वाभाविक तौर पर लाभदायक है, अन्तर्देसी जल परिवहन के विकास को सुनिश्चय करने की दृष्टि से, भारत सरकार का विचार चुने हुए क्षेत्रों में विशिष्ट स्कीम बनाने का है जहां अन्तर्देशीय जल परिवहन समूचे क्षेत्र की सेवा करने वाले परिवहन कार्य जाल का एक संघनक अंग हो कर कार्य करें। चुने क्षेत्र में अन्तर्देशीय जल परिवहन की शक्यता का अध्ययन करने के लिये सम्बद्ध मंत्रालयों और योजना आयोग की एक संयुक्त स्टीयरिंग समिति गठित की गई है। प्रथम कदम के रूप में गंगा और ब्रह्मपुत्र में वाणिज्यिक सेवायें चलाने के लिये दो स्कीमे बनाई गई हैं और इन पर राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

5. भारत सरकार भी अन्तर्देशीय जल परिवहन की संभावनाओं की जांच करने के लिये एक समिति स्थापित करना चाहती है।

(ख) और (ग) शीघ्र ही सम्बद्ध राज्य अधिकारों से अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के प्रश्न पर विचार-विमर्श किये जाने का प्रस्ताव है।

उत्तरी बंगाल में पाकिस्तानियों द्वारा छापे

10416. **श्री समर गुह : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के महीनों में उत्तरी बंगाल के सीमावर्ती इलाकों पर पाकिस्तानियों द्वारा छापे बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन सीमांत ग्रामों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) प्रथम जनवरी, 1968 से 31 मार्च 1968 तक की अवधि में, उत्तरीय बंगाल सीमा पर अपहरण, डाका, पशुओं का उठा ले जाना, तथा सीमोल्लंघन की 43 घटनायों का पता लगा है। 4 मामले अपहरण के हुए जिनमें 4 भारतीय राष्ट्रकों को अपहृत किया गया; 12 मामले डाके के हुए जिनमें 22,102 रुपये का माल उठा ले जाया गया; 24 मामले पशुओं को उठा ले जाने के हुए जिनमें 148 पशुओं को उठा ले जाया गया, तथा 3 मामले सीमा में घुस आने के हुए। उठा ले जाये पशुओं में से 50 पशु अब तक वापस प्राप्त कर लिये गये हैं। पशुओं को उठा ले जाने सम्बन्धी एक घटना में पाकिस्तानी लुटेरों ने गोली चला दी जिससे एक भारतीय राष्ट्रक मारा गया।

सीमा सुरक्षा दल ने सारी सीमा पर अपनी गश्तें और द्रुत कर दी हैं तथा वे वहां बड़ी सतर्कता बरत रहे हैं।

पश्चिमी बंगाल में साम्प्रदायिकता के आधार पर राजनैतिक अभियान

10417. **श्री समर गुह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने हाल ही में पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद, नादिया और 24-परगना जिलों के अल्पसंख्यक वाले क्षेत्रों में कुछ राजनैतिक दलों द्वारा साम्प्रदायिक आधार पर किये जा रहे राजनैतिक अभियान पर घोर चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सब राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलाने का विचार है जिसके द्वारा राजनैतिक उद्देश्यों के लिये किये जाने वाले साम्प्रदायिक प्रचार को रोकने के लिये जनमत तैयार किया जा सके ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एम० रामास्वामी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

चौधुले शिपिंग कारपोरेशन द्वारा समय सारणी में परिवर्तन

10418. **श्री देवराज पाटिल :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौघुले शिपिंग कारपोरेशन ने जिसे बम्बई-गोआ मार्ग के तटीय क्षेत्र में जहाजरानी का लाइसेंस दिया गया है, समय सारणी में स्वयं ही परिवर्तन कर अपने मार्ग में आने वाले महत्वपूर्ण पत्तनों को समाप्त कर दिया है।

(ख) क्या इस कारपोरेशन ने किराये में वृद्धि की मांग की है;

(ग) क्या राज्य सरकार शर्तों के साथ किराये में वृद्धि करने के लिये सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो वे शर्तें क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) चौघूले स्टीमशिप कम्पनी ने समय सारिणी को पुनरीक्षित कर लिया है मगर कोई पत्तन छुटा नहीं है केवल डभोल पत्तन के मामले में प्रति सप्ताह पत्तन में पोत के जाने की संख्या 6 से तीन कर दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार जिससे केन्द्रीय सरकार ने सलाह की थी, निम्न शर्तों के अधीन कियायों में 7 प्रतिशत वृद्धि के लिये सहमत हो गई है :—

(1) स्वीकृत न्यूनतम अनुसूचियों पर वापस जाना जो सितम्बर 1967 में बनाई गई थीं।

(2) प्रत्येक वर्ष अनुसूची, पोत रुकने वाले पत्तन और प्रति सप्ताह प्रत्येक पत्तन पर जाने की संख्या नौवहन के महानिदेशक और राज्य सरकार की सलाह से तैयार की जायेगी

और इस प्रकार तैयार की गई अनुसूची की इकतरफ़ा परिवर्तन या तबदीली नहीं की जायेगी।

(3) अगले तीन वर्षों तक किराये में परिवर्तन या पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

(4) मई 1962 में लाइसेंस के लिये अपने पत्र में कम्पनी द्वारा निश्चय किया गया प्रदावों का यंत्रीकरण, और

(5) सेवा को अधिक सुदक्ष और नियमित चलाने के लिये कुछ अधिक महत्वपूर्ण पत्तनों पर आवश्यकता के आधार पर केन्द्रीय सरकार निकर्षण के लिये सहमत है।

संख्या (1) से (4) तक के मदों का परीक्षण नौवहन के महानिदेशक कर रहे हैं। जहां तक (5) का सम्बन्ध है छोटे पत्तनों के निकर्षण का दायित्व महाराष्ट्र सरकार का है यद्यपि केन्द्रीय सरकार तकनीकी सहायता देने को और अदायगी पर उपलब्ध होने की दशा में अपने निकर्षकों का उपयोग कराने के लिये तैयार है। फिलहाल कोई निकर्षक उपलब्ध नहीं है। जैसे 24–4–68 को अल्प सूचना प्रश्न संख्या 24 के उत्तर में बताया गया है केन्द्रीय सरकार ने किरायों में 7 प्रतिशत की वृद्धि के बारे में सिफारिश स्वीकार कर ली है। इस निर्णय को 6 मई 1968 से राजपत्र अधिसूचना संख्या 1603 दिनांक 2 मई 1968 द्वारा क्रियान्वित कर दिया गया है।

पश्चिमी बंगाल में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों को रिहा किया जाना

†10419. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों को रिहा करने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गये राजनैतिक व्यक्तियों की रिहाई के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात से पश्चिम बंगाल सरकार ने 34 व्यक्तियों के सिवाय 93 राजनैतिक बन्दियों को रिहा कर दिया है।

नेशनल फिटनेस कोर के महानिदेशक

10420. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फिटनेस कोर के वर्तमान महानिदेशक को नियमित रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि उन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर कब तक नियमित रूप से नियुक्ति करने का विचार है;

(ग) क्या उन्हें भर्ती नियमों तथा भर्ती की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि कोई छूट दी गई है तो क्या तथा कितनी छूट दी गई है और इसके क्या कारण थे;

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) नेशनल फिटनेस कोर का विकेन्द्रीकरण किया जाना है, इसलिये नियमित रूप से नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) और (घ). जी, हां। परन्तु इस सम्बन्ध में केवल एक बात है कि सेवा-रत कर्नल के स्थान पर, जो लगभग 50 वर्ष से कुछ कम का होगा, हाल ही में सेवा से निवृत्त कर्नल, जिसकी आयु 50 वर्ष 2 महीने थी, उसे प्राथमिकता दी गयी थी क्योंकि सरकार को इस प्रकार कम खर्च करना पड़ता था। जिस व्यक्ति का चयन किया गया है, वह सभी अर्हताएं पूरी करता है और साथ ही उनका नेशनल कैडेट कोर में सेवा का बहुत अच्छा रिकार्ड भी है। नेशनल कैडेट कोर में योजना और समन्वय के निदेशक के रूप में उनका अनुभव और राष्ट्रीय सेवा योजना के सम्बन्ध में उनके विचार राष्ट्रीय सेवा योजना तैयार करने में बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं, जिसे अनिवार्य नेशनल कैडेट कोर के विकल्प के रूप में सरकार ने हाल ही में स्वीकार किया है।

नेशनल फिटनेस कोर में भर्ती संबंधी नियम

10421. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री नेशनल फिटनेस कोर के महा-निदेशक के पद पर भर्ती सम्बंधी नियमों जैसे कि वे 1 अप्रैल, 1966 को थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके बाद इन नियमों में कोई संशोधन किये गये हैं और यदि हां, तो कब; और

(ख) क्या तथा कहां तक संशोधन किये गये हैं और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : भर्ती सम्बंधी नियमों की एक प्रति सभापटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1338/68]**।

(क) जी, हां, जुलाई, 1967 में।

(ख) अप्रैल, 1965 को निर्धारित किये गये कम वेतन-मान को ध्यान में रखते हुए भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति का स्तर ब्रिगेडियर, सेवा-निवृत्त ब्रिगेडियर या सिविलियन से घटा कर कर्नल, सेवा-निवृत्त कर्नल या सिविलियन कर दिया गया है।

नेताजी विद्या मंदिर, कूच बिहार नगर को अनुदान

10422. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सुभाषपल्ली में नेताजी विद्या मन्दिर को स्कूल के किराये के रूप में पश्चिम बंगाल से कोई अनुदान मिला था;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त स्कूल को किराये के रूप में कितने वर्ष तक अनुदान मिला तथा उसे कब से बन्द किया गया है तथा अनुदान किसे मिला था; और

(ग) क्या अनुदान स्वीकृत किये जाने से पहले कोई जांच की गई और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) से (ग). भारत सरकार के पास अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार को सम्बन्धित तथ्य तथा जानकारी देने के लिये पत्र लिखा गया है। जैसे ही वह जानकारी प्राप्त होगी, सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कूच बिहार में मकानों आदि के ढांचों को गिराया जाना

10424. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने 23 मार्च, 1968 के अपराह्न में, न्यायालय से आदेश प्राप्त किये बिना कूच बिहार टाउन के पुलिस अधिकारी, एस० एल० आर०, ओ० आई० एल० आर० ओ० के साथ सांठ-गांठ करके कोतवाली पुलिस थाने के अन्तर्गत कदमतला में बादल चन्द्र गुहा राय तथा रतिकांत सरकार के मकानों आदि के सब ढांचों को गिरा दिया था तथा हजारों रुपये की हानि कर दी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय कोतवाली पुलिस थाने ने श्री बादल चन्द्र गुहा राय व दूसरे व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायत को दर्ज करने से इंकार कर दिया था, जिसका आदेश कूच बिहार के अतिरिक्त उप-आयुक्त द्वारा दिया गया था; और

(ग) इस मामले का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिये कौन लोग उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ये तथ्य दिये गये हैं कि आम जनता की शिकायत पर कूच बिहार के अतिरिक्त उप आयुक्त ने बादल चन्द्र राय तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा रासमेला मैदान पर किये अनधिकृत अधिकार के आरोप के बारे में जांच कराई। अनधिकृत अधिकार करने का आरोप सत्य था और यह पता लगा कि श्री बादल चन्द्र गुहा राय तथा अन्य व्यक्तियों ने साथ वाली खासमहल भूमि पर अनधिकृत निर्माण कर रखा था। आगे यह भी बताया गया है कि अतिरिक्त उप-आयुक्त के आदेश पर उप-एकक भूमि सुधार अधिकारी अनधिकृत अधिकार में लिये गये स्थान पर गये तथा श्री बादल चन्द्र गुहा राय तथा श्री रतिकान्त साहा को अधिकृत निर्माण हटा देने को कहा। इस पर सम्बन्धित व्यक्तियों ने अपने ही आदमियों के साथ मिलकर अनधिकृत ढांचों को गिरा दिया।

कूच बिहार के स्कूल में धोखा धड़ी का मामला

10425. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले में बना कनालिसमानी जूनियर मदरसा के प्रधान अध्यापक इस स्कूल के तत्कालीन सचिव द्वारा जिला स्कूल निरीक्षक, कूच बिहार के कार्यालय के साथ सांठ-गांठ करके की गई धोखाधड़ी का मामला सरकार के ध्यान में लाये थे;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस स्कूल के अधिकारियों द्वारा दण्डित किये जाने की दृष्टि से उपरोक्त प्रधान अध्यापक ने उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की गारण्टी देने का सरकार से अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) से (घ). सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तिब्बती स्कूल सोसायटी

10426. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बती स्कूल सोसायटी के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) पिछले पांच वर्ष में सोसायटी को कितना अनुदान दिया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) डा० त्रिगुण सेन—अध्यक्ष (पदेन) शिक्षा मंत्री, भारत सरकार।

2. श्री जी० के० चांदीरमानी—शिक्षा सचिव, भारत सरकार। सदस्य

3. श्री ए० बी० भडकमकर, संयुक्त सचिव, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय (वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि)— सदस्य।

4. श्री एम० एस० सुन्दरा, वित्तीय सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय— सदस्य।

5. श्री एन० टी० बर्शी, 6. श्री जे० तारिंग, 7. श्री टी० लवंग—
(परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि)। सदस्य।

(ख) वर्ष	अनुदान की धनराशि (लाख रुपयों में)
1963-64	19.00
1964-65	32.50
1965-66	44.00
1966-67	43.00
1967-68	50.00

SATYAGRAHA SPONSORED BY KUTCH ACTION COMMITTEE

10427. SHRI SHIV KUMAR SHASTRI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that satyagrahis participating in the satyagraha sponsored by Kutch Action Committee in the Rann of Kutch were arrested, beaten and then left at far off places;

(b) whether it is also a fact that the Police misbehaved with female satyagrahis;

(c) whether it is also a fact that the prominent leaders of the Kutch Action Committee had assured Government of the peaceful satyagrah before starting satyagraha; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

इंजीनियरी कालेज, उज्जैन

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इंजीनियरी कालेज, उज्जैन के लिये कोई सहायता देने के लिय केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार उसे कितनी सहायता देने के लिय सहमत हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार कोई सहायता नहीं दे सकती है क्योंकि यह कालेज राज्य की पंचवर्षीय आयोजना में शामिल नहीं किया गया था और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद व केन्द्रीय सरकार की सलाह के विरुद्ध शुरु किया गया था । फिर भी संशोधित चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना के बनाते समय स्थिति का पुनरावलोकन किया जाएगा।

विदेशी पर्यटकों द्वारा मन्दिर देखने पर प्रतिबन्ध

10429. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटकों को भारत में हिन्दू मन्दिरों का भीतरी भाग देखने की अनुमति नहीं दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुरानी प्रथा को हटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि पर्यटन का विकास अच्छी प्रकार हो सके ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कुछ मन्दिर ऐसे हैं जिन में प्रवेश पर प्रतिबन्ध है, और प्रयोग में आ रहे अन्य कुछ ऐसे हैं जिनके पवित्र अन्तरंग भाग में प्रवेश पर प्रतिबन्ध हैं। ऐसे मन्दिरों में प्रवेश पर जो प्रयोग में नहीं आ रहे और जिन्हें सुरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं हैं।

(ख) पर्यटन के विकास के दृष्टिकोण से पर्यटकों के लिये, जो तीर्थयात्रियों से भिन्न कोटि के हैं, ये प्रतिबन्ध किसी बड़े महत्व के नहीं हैं, क्योंकि पर्यटक लोग मन्दिरों की वास्तु एवं मूर्ति कला में रुचि रखते हैं और ये पहलू अधिकांशतया बाहर से ही देखे जा सकते हैं।

राजसहायता देकर चलाये जाने वाले इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के हवाई मार्ग

10430. **श्री आगाड़ी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को राजसहायता देकर चलाये जाने वाले कोई हवाई मार्ग हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन मार्गों का ब्यौरा क्या है और 1964-65 से 1967-68 तक वर्षवार किन-किन साधनों से कितनी-कितनी राजसहायता दी गयी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1302/68]।

इलाहाबाद में बम जैसी वस्तु की बरामदगी

10431. **श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 अप्रैल, 1968 को पुलिस ने इलाहाबाद में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के निकट बम जैसी वस्तु बरामद की थी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि सम्मेलन के एक कर्मचारी द्वारा सूचना दिये जाने पर 19-4-1968 को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अहाते से बम जैसी तीन वस्तुएं बरामद की गयीं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच का आदेश दिया है। जांच कार्य चल रहा है।

तूतीकोरिन पत्तन परियोजना

10433. **श्री जेवियर : क्या परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना कब तक पूरी होने वाली है;

(ख) इस परियोजना के लिये वार्षिक कितने धन का नियतम किया गया है; और

(ग) क्या इसको पूरा करने का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). 24.40 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर तूतीकोरिन में एक बड़े पत्तन का निर्माण दिसम्बर 1967 से मंजूर कर लिया गया था। परियोजना के लिये धन व्यवस्था प्रत्येक वर्ष

के लिये वार्षिक योजना के बनाने के समय पर साधन परिस्थिति के प्रकाश में वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर की जायेगी। अतः अभी यह सूचित करना कि परियोजना के लिये वर्ष में कितना धन उपलब्ध किया जायेगा या उसके क्रियान्वयन और पूरा करने के लिये प्रवस्थित अनुसूची बनाना कठिन है।

औपचारिक रूप से परियोजना के अनुमोदन के पूर्व भी प्रारम्भिक कार्य और तट दूरी कार्य जैसे उत्तर और दक्षिण फनकट दीवारों का निर्माण शुरू कर लिया गया था और 1967-68 के अन्त तक परियोजना पर कुल व्यय लगभग 5.81 करोड़ रुपये हुआ था। आवश्यक नौ कार्यों के करने के लिये 1968-69 बजट प्राक्कलन में 100 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

दाहेज पत्तन का एक बड़े पत्तन के रूप में विकास

10434. **श्री राणा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भड़ौंच जिले में दाहेज पत्तन को एक बड़ा पत्तन बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नये नौवहन समवाय

10435. **श्री जुगल मंडल : क्या परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कितने और कौन कौन से नये नौवहन समवाय आरम्भ हुए हैं, और

(ख) इन समवायों की पूंजी में विदेशों की कितनी पूंजी है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) चूंकि "जहाजी कम्पनी" की कहीं परिभाषा नहीं दी गयी है अतः शायद माननीय सदस्य समुद्रपारगामी जहाजों के स्वामी और चालन करने वाली उन कम्पनियों का उल्लेख कर रहे हैं जो गत तीन वर्षों के दौरान खोली गयी। ऐसी कम्पनियों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं :—

1. डेम्पो स्टीमशिप लि०।
2. दामोदर बल्क केरियर लि०।
3. पेंट ओसीन स्टीमशिप्स कं०।
4. सुखसागर शिपिंग कं०।
5. वेस्टर्न स्टार लाइन।
6. सेवनसीज शिपिंग कं०।
7. कोचीन शिपिंग कं०।
8. युनिवर्सल शिपिंग ऐंड कोस्टल ट्रेडिंग प्राइवेट लि०।

(ख) इन कम्पनियों में से केवल एक कम्पनी अर्थात् दामोदर बल्क केरियर्स लि० की पूंजी में 40 प्रतिशत की विदेशी पत्ती है ।

SEPARATION OF JUDICIARY FROM EXECUTIVE IN DELHI

10436. SHRI R. S. VIDYARTHI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to separate Judiciary from Executive in Delhi;

(b) if so, the action taken in this connection; and

(c) the time by which Judiciary would be separated from the Executive ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A Bill to provide for the separation of Judicial and Executive functions in all the Union territories including Delhi but excluding Chandigarh was introduced in the Lok Sabha on 26th April, 1968. Government will fix a time for its enforcement as soon as the Bill is enacted into a law.

ORIGINAL JURISDICTION OF DELHI HIGH COURT

10437. SHRI R. S. VIDYARTHI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Metropolitan Council has made recommendation to raise the sums involved in suits for the purposes of original jurisdiction of Delhi High Court:

(b) if so, the nature of recommendations; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). At present, the Delhi High Court has original jurisdiction in suits the value of which exceeds Rs. 25,000. The Metropolitan Council of Delhi recommended that the original jurisdiction of the High Court should be raised to suits exceeding Rs. 1,00,000 in value.

(c) The matter is under consideration of Government.

मालवाहक तथा यात्री जहाज

10438. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच परिवहन के प्रयोजनार्थ मालवाहक तथा यात्री जहाजों की संख्या बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो कितने जहाज बढ़ाये गये हैं;

(ग) ये जहाज किन-किन देशों से खरीदे गये हैं; और

(घ) इस से कितनी आय होने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जहाजी चालानों में सरकार का सीधा भाग नहीं है। फिर भी भारतीय जहाजी कम्पनियों, जो भारत से संयुक्त राज्य अमरीका के अटलांटिक और प्रशांत तटों और कनाडा तक सामान्य माल सेवाएं चलाती हैं, ने इस रास्ते पर अपनी सेवाओं में वृद्धि की है।

(ख) से (घ), सूचना जितनी उपलब्ध हो सकेगी उतनी इकट्ठी की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

10439. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आभ्यार्थियों को उनके लिये आरक्षित रिक्त स्थान पद पर नियुक्ति तथा उन्हें स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में सरकार के कोई विशेष आदेश हैं और इस सम्बन्ध में जो प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है वह सूची में उनकी स्थिति के अनुसार होती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि मंत्रालयों/विभागों ने सरकार द्वारा निर्धारित इन आदेशों और प्रक्रियाओं का किसी प्रकार से अनुसरण नहीं किया है;

(घ) क्या श्री एम० आर० यार्डी की अध्यक्षता में नियुक्त सरकारी कार्यकारी दल ने अब यह सिफारिश की है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अब तक इस विषय पर वर्तमान सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए जो प्रक्रिया वास्तविक रूप से अपनाई गई है उसे कानूनी मान्यता दे दी जाये; और

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान आदेशों और प्रक्रिया के सन्दर्भ में उपरोक्त सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). जो नियुक्तियों के लिये रिक्त स्थान सीधी भर्ती करके भरे जाते हैं, उनके लिये नियुक्ति तथा स्थायी किये जाने के समय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित स्थानों के बारे में आदेश हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा करते समय जहां आरक्षित स्थानों की बात आती है (अर्थात् जहां श्रेणी III और श्रेणी IV की सेवायें/पद, उन पद-क्रमों में जहां सीधी भर्ती नहीं होती, सीमित विभागीय अभ्यार्थियों के चयन या प्रतियोगिता-परीक्षाओं के माध्यम से, पूरी की जाती हैं) वहां पर स्थान पदोन्नति के समय तो आरक्षित किये जाते हैं परन्तु पदोन्नत व्यक्तियों को स्थायी बनाने के समय नहीं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की नियुक्ति के रोस्टर निर्धारित करने वाले, गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 1/13/63 एस० सी० टी० (I), दिनांक 21-12-1963 की एक प्रतिलिपि तथा इस सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित करने वाले कार्यालय ज्ञापनों संख्या 31/10/63–एस० सी० टी० (I) दिनांक 27-3-1963 और 2-5-1963 की एक एक प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1303/68]।

(ग) मंत्रालय/विभाग के अधीन प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में दिये गये आदेशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। यदि इस मंत्रालय को किसी नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा इन आदेशों का ठीक पालन न किये जाने की जानकारी मिलती है, तो उनको अपनी कमी दूर करने तथा ठीक प्रक्रिया का पालन करने को कहा जाता है।

(घ) और (ङ). गृह-कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एम० आर० यार्डी की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल ने, जिसने 30 नवम्बर, 1967 को, अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया था, यह नहीं कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित स्थानों के बारे में दिये गये वर्तमान सरकारी आदेशों का किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। दल ने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने की सिफारिशें की हैं। जहां तक स्थायी करने के समय स्थानों को आरक्षित करने का सम्बन्ध है, दल ने निम्नलिखित सिफारिश की है, जो कि सरकार के विचाराधीन है :--

सिफारिश संख्या 12

"स्थायी करने के समय स्थानों का आरक्षण नहीं प्रदान किया जाना चाहिये क्योंकि इससे यह भेदभावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी कि अनुसूचित जाति के कनिष्ठ अधिकारी, जो कि बहुत बाद में सेवा में आये हैं, बहुत पहले आने वाले व्यक्तियों तथा जिनके नीचे उन्होंने कार्य किया है, उनसे वरिष्ठ हो जायेंगे। इससे कर्मचारियों के मनोबल पर कुप्रभाव पड़ेगा।

भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी

10440. **श्री एस० एस० सैयद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि सरकार ने ऐसी श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लिया है तथापि पुरातत्वीय सर्वेक्षण के हजारों कार्यभारिता कर्मचारियों को नियमों के वे लाभ तथा रियायतें नहीं दी गई हैं जो स्थायी कर्मचारियों को दी गयी हैं; और

(ख) इन कर्मचारियों को कब तक विनियमित किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) द्वितीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में सरकार के सामान्य निर्णयों के अनुसार इस सर्वेक्षण के केवल 135 कार्यभारिता कर्मचारी (जिन्हें पहरा और निगरानी कर्मचारियों तथा सफ़ाई कर्मचारियों की कोटि में रखा जाता है) विनियमित किये जा सकते हैं। शेष कर्मचारी स्मारकों सम्बन्धी कर्मचारियों, बागबानी कर्मचारियों और विविध व्यवसायों से सम्बन्धित कर्मचारियों को 1 फरवरी 1968 से निम्नलिखित लाभ दिये जा रहे हैं :--

(1) जो अस्थायी पद तीन वर्ष से अधिक अवधि से चल रहे हैं और जिनकी लम्बी अवधि तक आवश्यकता है उनके 50 प्रतिशत पदों को स्थायी बनाया जा रहा है।

(2) प्रशासन और सेवा का सुव्यवस्थीकरण अर्थात् भर्ती के नियम बनाया जाना; जहां आवश्यक हो व्यवसाय सम्बन्धी परीक्षा का स्तर निर्धारित करना; अतिरिक्त पद बनाने के सिद्धांत निश्चित करना; सेवा के उपयुक्त रिकार्ड रखना।

(3) कार्यभारित कर्मचारियों की सेवा की वही शर्तें रखना जो विनियमित औद्योगिक कर्मचारियों की रखी गयी ह या रखी जायेंगी।

दिल्ली में मकान गिरने की घटना

10441. **श्री मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अप्रैल, 1968 को दैनिक समाचार-पत्र "पैट्रियट" में प्रताप स्ट्रीट, पहाड़गंज, नई दिल्ली में एक छज्जे के गिरने के सम्बन्ध में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्ध अधिकारियों द्वारा उस इमारत की विधिवत परीक्षा की गई थी और वह रहने के लिये खतरनाक पाया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में मकान मालिक को कोई नोटिस दिया गया था; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे;

(घ) क्या सरकार का विचार सारी इमारत को गिराने का है अथवा केवल उन्हीं भागों को गिराने का है, जो लोगों के जीवन के लिये खतरनाक हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि उस इमारत की सब से ऊपर की मंजिल पर किरायेदार ने कुछ अनधिकृत निर्णय किया था, जिससे वह इमारत और भी खतरनाक हो गई थी; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम के अधिकारी उस स्थान को देखने गये थे और उन्होंने यह देखा कि छज्जे का कुछ भाग पहले ही गिर चुका है और बाकी हिस्सा भी गिरने वाला है। मालिकों को/वहां पर रहने वालों को वह मकान खाली करने के लिये तथा बाकी के छज्जे को वहां से हटाने के लिये कहा गया था।

(ग) निर्माण अधिकारियों द्वारा वह स्थान फिर देखा गया था और तब उन्होंने देखा कि छज्जा पहले से ही हटा दिया गया है; अतः निगम ने उससे आगे कोई कार्यवाही न करने का निर्णय किया।

(घ) दिल्ली नगर निगम के विचार में बाकी की इमारत अभी संतोषजनक स्थिति में और उस इमारत को गिराने का कोई विचार नहीं है।

(ङ) जी, हां। किरायेदारों ने अनधिकृत रूप से टीन के दो शैड बनाये थे।

(च) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 344(1) और 343(1) के अधीन उपयुक्त 'नोटिस' दिये गये थे और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध आगे कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के होटल

10442. **श्री दामानी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के होटल भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर प्रशासनिक-सुधार आयोग की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी है कि अशोक होटल और जनपथ होटल को भारत पर्यटन विकास निगम के साथ मिला कर एक सिंगल सेक्टर कारपोरेशन बना दिया जाये और यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रयोजन के लिए इन होटलों को हस्तांतरित करके पर्यटन तथा नागर विमानन के नियंत्रण के अधीन कर दिया जाये। तदनुसार, सरकार ने निर्णय किया कि उक्त होटलों को निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय से हटा कर पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। इन होटलों को भारत पर्यटन विकास निगम के नियंत्रण में रखे जाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

Road in Banda District (U.P.)

10443. SHRI JAGESHWAR YADAV: Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Atarra-Baberu road in Banda district (Uttar Pradesh) has been taken over by the Public Works Department;

(b) if so, the date from which the road has been taken over by the said Department;

(c) whether the amount sanctioned for the construction of the road has been fully spent and the construction work completed; and

(d) if not, when the construction of the road is likely to be completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN): (a) to (d). The information is being collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Road in Banda District, U.P.

10444. SHRI JAGESHWAR YADAV: Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Baberu Augasi road in District Banda of Uttar Pradesh has been taken over by the Public Works Department;

(b) if so the time by which the construction of the road is likely to be completed; and

(c) whether the construction is proceeding according to schedule and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN): (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha in due course.

व्हीलर समिति का प्रतिवेदन

10445. श्री एस० एस० सैयद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्हीलर समिति के प्रतिवेदन को राजपत्रित पदों के कर्मचारियों के लिये तो लागू कर दिया गया है परन्तु उन्हें भारतीय पुरातत्व सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्यालय के अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी नहीं। धन के अभाव के कारण व्हीलर समिति की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं हो सका है।

(ख) इस प्रयोजन के लिये जब धन उपलब्ध हो जायेगा।

LEGISLATION ON CONVERSION

10446. SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN : Will the Minister of **HOME AFFAIRS** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Madhya Pradesh Government are proposing to enact legislation for curbing the activities of Christian Missionaries through which people are converted to Christianity by force;

(b) whether such legislation exists in other States; and

(c) whether Government propose to enact a Central Legislation on this subject ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) It is understood that the Government of Madhya Pradesh propose to enact legislation to curb proselytisation by force, on the lines of the Orissa Freedom of Religion Act, 1967.

(b) Such legislation does not exist in any State other than Orissa.

(c) No, Sir.

ARMS ACT

10447. SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN : Will the Minister of **HOME AFFAIRS** be pleased to state :

(a) whether Government propose to consider the question of revoking the Arms Act which was passed during the British regime and has been in force after India's Independence also; and

(b) if not, the reasons for not revoking the Act ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The Arms Act which was enacted during the British regime, viz. The Indian Arms Act, 1878, has already been repealed. The Government of India have enacted new legislation on the subject, called the Arms Act, 1959 which was brought into force on 1st October, 1962.

हैदराबाद के निजाम के भाई

10448. **श्री सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद के निजाम के छोटे भाई जब यूरोप जा रहे थे तो उनकी तलाशी ली गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई चीज पाई गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़

10449. श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री अंबचेजियान :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मणिपुर के उखरूल सब-डिवीजन में 17 अप्रैल, 1968 को विद्रोही नागाओं के साथ हुई मुठभेड़ में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के चार कर्मचारी मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सभी सच है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारी हथियारों और कारतूसों आदि से पूरी तरह लैस नहीं थे,

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों को 'देखते ही गोली चलाने' के आदेश दिये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

विद्रोही नागाओं द्वारा हमला

10450. श्री अम्बेचेजियान : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 अप्रैल, 1968 को विद्रोही नागाओं के एक दल ने नागालैण्ड के साथ वाली आसाम की सीमा की दुकानों पर हमला किया था और 6,800 रुपये की सम्पत्ति लूट ली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उसी रात को विद्रोही नागाओं के एक दल ने, जो खाकी वर्दी पहने हुए थे, डेबरापुर चाय बागान में एक दुकान पर हमला किया और 1,500 रुपये की नकदी और सामान लूट लिया था;

(ग) क्या उसी दिन विद्रोही नागाओं ने नागा जंक चाय बागान में एक दुकान पर हमला किया था और 2,000 रुपये की नकदी और माल अपने साथ ले गये थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के हमले होने से लोगों का विश्वास सुरक्षा सेना पर से उठ गया है और उन्हें बाध्य होकर विद्रोही नागाओं की बात माननी पड़ रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में महिलाओं की शिक्षा

10451. श्री माणिक्य बहादुर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 के लिये त्रिपुरा और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा की क्या योजनायें हैं;

(ख) प्रत्येक योजना के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी जा रही है; और

(ग) प्रत्येक योजना के लिये कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है और केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कितनी कटौती की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

त्रिपुरा को शैक्षिक अनुदान

10452. श्री माणिक्य बहादुर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1968-69 के लिए त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा के लिये अनुदानों की मांगों में भारी कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा सरकार ने कुल कितने अनुदान की मांग की थी और उसमें कितनी कमी की गई है ;

(ग) उससे किन योजनाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) त्रिपुरा में महिलाओं तथा पुरुषों में साक्षरता की प्रतिशतता बनाने वाले नवीनतम आंकड़े क्या हैं और अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में वे कैसे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां। त्रिपुरा प्रशासन की मांगों में कटौती की गयी थी ।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा प्रस्तावित धनराशि और बजट में दी गयी धनराशि निम्नलिखित है :—

(लाख रुपयों में)

	योजना	ग़ैर-योजना
संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा 1968-69 के बजट प्राक्कलन में प्रस्तावित धनराशि	84.88	382.89
बजट में दी गयी धनराशि	31.48	325.10

(ग) और (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ढेबर आयोग

10453. श्री माणिक्य बहादुर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढेबर आयोग ने यह सिफारिश की कि त्रिपुरा के सुरक्षित आदिवासी क्षेत्र को भारत के संविधान के अधीन गारंटी प्राप्त घोषित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि आदिवासियों के विकास हेतु कोई योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है, तो उसे ध्यान में रखते हुये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ढ़ेबर आयोग ने त्रिपुरा के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है। हां, आयोग ने आदिवासी विकास खण्ड बनाने की सिफारिश अवश्य की थी।

(ख) और (ग) सरकार ने आयोग की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और ऐसे क्षेत्रों के व्यापक विकास के लिये आदिवासी विकास खण्ड स्थापित किये हैं जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है, अब तक पांच आदिवासी विकास खण्ड स्थापित किये गये हैं जिन में 94,258 आदिवासी रहते हैं। इन खण्ड के माध्यम से अब तक 18,79,600 रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने झूमियां' जाति को भूमि देकर बसाने की एक योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 20,754 परिवारों को भूमि देकर बसाया जा चुका है। भूमिहीन झूमियां आदिवासियों को 77,394 एकड़ सरकारी भूमि भी दी जा चुकी है और उस भूमि को उपजाऊ बनाने, बैल, तथा बीज आदि खरीदने के लिये 87,09,865 रुपये अनुदान के रूप में दिये हैं।

त्रिपुरा में नक्सलबाड़ी जैसे उपद्रव

10454. **श्री माणिक्य बहादुर** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिपुरा में बढ़ती हुई तोड़-फोड़ की तथा आंतक पैदा करने वाली गतिविधियों की ओर दिलाया गया है, जिनमें पुलों का तोड़ा जाना तथा निर्धन आदिवासियों का शोषण भी सम्मिलित हैं और जो त्रिपुरा में तथा कथित नक्सलबाड़ी जैसे उपद्रवों की स्थिति पैदा करने के, उद्देश्य से विघटनकारी तत्वों द्वारा की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कोई प्रमाण है कि ये गतिविधियां राजनीतिक प्रयोजनों के लिये की जा रही हैं ; और

(ग) इसका कारण जानने और विघटनकारी गतिविधियों को भलीभांति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस सम्बन्ध में 5 अप्रैल, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6497 और 6615 के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों को देखा जाय। सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि त्रिपुरा में नक्सलबाड़ी जैसी गड़बड़ी वाली स्थिति पैदा करने के लिये भड़काया जा रहा है ?

(ख) संविधान की पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों को तत्काल अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने और सुरक्षित वनों का सीमांकन करने की मांग के समर्थन में किये जा रहे आन्दोलनों के पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं। इस सम्बन्ध में जंगलों को नष्ट करने के उदाहरण भी मिलते हैं।

(ग) जंगलों और बागान की सुरक्षा के लिये कार्यवाही की जा रही है। आसाम जिले की मिजो पहाड़ियों के साथ-साथ त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र पुलिस के कैम्प तथा सिविल पुलिस की चौकियां स्थापित की गयी हैं और निरन्तर सतर्कता रखी जा रही है।

त्रिपुरा तथा नेफा में भूतपूर्व सैनिकों का बसाया जाना

10455. श्री माणिक्य बहादुर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा तथा नेफा में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की योजना में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में कितने भूतपूर्व सैनिकों को पहले से ही बसाया जा चुका है और कितने अभी बसाए जाने हैं ; और

(ग) इन योजनाओं के लिये क्या केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : क और ख. त्रिपुरा में बनाई गई बस्तियों में 582 भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जा चुका है।

त्रिपुरा में लगभग 500 भूतपूर्व सैनिकों को 400 त्रिपुरा के तथा 50 केरल और पंजाब के भूतपूर्व सैनिकों को बसाने का काम आरम्भ किया गया है।

त्रिपुरा के 400 भूतपूर्व सैनिकों में से 56 तथा केरल से 50 भूतपूर्व सैनिक चुने गये हैं। इन्हें आवाजाही शेड आदि बन जाने और पानी की व्यवस्था हो जाने पर खावाई सब डिवीजन में करंगीछेरा में बसाया जायेगा। शेड बनाने और पानी की व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

शेष भूतपूर्व सैनिकों को चुनने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

नेफा : नेफा के कामेंग जिले में भालूकपोंग 650 भूतपूर्व सैनिकों को पुन: बसाने के लिये हाल ही में चतुर्थ योजना में एक योजना की मंजुरी दी गयी है।

चालू वर्ष में 200 भूतपूर्व सैनिकों को बसाने का विचार है। 85 भूतपूर्व सैनिक पहले ही चुन लिये गये हैं।

(ग) भारत सरकार ने त्रिपुरा योजना के लिये अनावर्ती खर्च के रूप में 143,362 रुपये और आवर्ती खर्च के लिये 4,640 रुपये प्रतिवर्ष के लिए मंजूरी दी है।

चतुर्थ योजना में सम्मिलित की गयी नेफा योजना पर केन्द्रीय सरकार को 97.24 लाख रुपये खर्च करने होंगे।

ELECTION TO COUNCILLORS OF D.M.C.

10456. SHRI HARDAYAL DEVGUN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state;

(a) whether the Chief Executive Councillor of Delhi has sent any protest note to Government in regard to the recent elections of Committees of the Delhi Municipal Corporation;

(b) if so, the contents thereof; and

(c) the nature of the reply given by Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

ROADS IN BANDA DISTRICT (U.P.)

10457. SHRI JAGESHWAR YADEV: Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state:

(a) whether any scheme is being prepared to construct a Pucca Road in Banda District from Banda to Gureh, Bisenda and Oran Hills; and

(b) if so, the action taken to construct the said road so far?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN): (a) and (b). The Banda-Gureh-Bisenda-Oran Hills road is a State road. Its construction is, therefore, the responsibility of the Government of Uttar Pradesh. It is understood that the work relating to the construction of a section of this road from Bisenda to Oran Pahari in a length of 18 miles is provided in the schedule of new demands for 1968-69, at an estimated cost of Rs. 29.70 lakhs. The State Government have, however, yet to take a final decision in the matter.

दिल्ली प्रशासन के जांच अधिकारियों की सुनवाई का रिकार्ड

10458 श्री क० प्र० सिंह देव : क्या गृह-कार्य मंत्री 19 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7915 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जांच अधिकारी द्वारा 24/6, 10/7, 21/7, 3/8, 17/8 तथा 11/9, लिये निश्चित की गई सुनवाई की कार्यवाही सरकारी रिकार्ड से गुम है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि जांच अधिकारी द्वारा जांच संबंधी प्रतिवेदनों को अप्रैल 1968 में प्रस्तुत नहीं किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार यह बात ठीक नहीं है ।

(ख) जांच अधिकारी अप्रैल 1968 में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दे सके थे क्योंकि कदाचारी अधिकारी ने विवादग्रस्त दस्तावेजों के सहायक निरीक्षक की, जिसने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दी थी जिरह करने पर जोर दिया था। विवादग्रस्त दस्तावेजों के सहायक निरीक्षक का गम्भीर आपरेशन होने के कारण वह लम्बी छुट्टी पर था। आशा है कि अब जांच अधिकारी शीघ्र ही रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे सकेगा ।

केन्द्रीय स्कूलों में शिक्षा का माध्यम

10459. श्री नायनार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी केन्द्रीय स्कूलों को यह अनुदेश दिये हैं कि उच्च श्रेणियों में 1968-69 से समाज विज्ञान की शिक्षा हिन्दी में दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) अनुदेश ये हैं कि 1968–69 सत्र में सभी स्कूलों में प्रथम कक्षा से छठी कक्षा तक सामाजिक विज्ञान हिन्दी में पढ़ाया जाना चाहिये ।

(ख) योजना की मुख्य बातों के विरुद्ध, जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था है, कुछ केन्द्रीय स्कूलों में सभी विषय केवल अंग्रेजी में पढ़ाये जाते हैं । यथा-समय आवश्यक समता लाने की नीति को लागू करने के लिये अब ये अनुदेश जारी किये गये हैं ।

मॉडल वूलन मिल्ज, चण्डीगढ़ के कर्मचारियों की हड़ताल

10460. **श्री मुहम्मद इस्माइल : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मॉडल वूलन मिल्ज, चण्डीगढ़ के कर्मचारी 21 और 22 अप्रैल, 1968 को हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 19 अप्रैल, 1968 को धारा 144 लागू की गई थी ;

(ग) क्या कोई अप्रिय या अशोभनीय घटना घटी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो धारा 144 लागू करने के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मॉडल वूलन मिल्स के लगभग 300 कर्मचारियों में से 230 कर्मचारी 22 अप्रैल 1968 से हड़ताल पर हैं ।

(ख) 20 अप्रैल, 1968 की रात को धारा 144 के अन्तर्गत निषेध आज्ञा जारी की गयी थी ।

(ग) और (घ). जिस घटना में 10 या 11 कर्मचारियों को गाली दिये जाने और मिल के रक्षा अधिकारी को डराने धमकाने की बात कही गयी है, उसकी रिपोर्ट पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 123 दिनांक 20–4–68 यू०/एस० 506/148/149 आई० पी० सी० के अन्तर्गत करवा दी गई है । मिल के हड़ताली कर्मचारियों तथा हड़ताल न करने वाले कर्मचारियों के बीच काफी तनाव था और शान्ति भंग होने का खतरा था ।

ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन केन्द्र

10461. **श्री राजदेव सिंह : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में आने वाले पर्यटक भिन्न-भिन्न रुचि तथा अभि-रुचि वाले होते हैं, अर्थात् ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्व के स्थानों को देखना;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐतिहासिक महत्व के कुछ और स्थानों को पर्यटक केन्द्र घोषित करने तथा उस रूप में उनका विकास करने का विचार कर रही है; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में जौनपुर तथा महोबा जैसे ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन स्मारकों वाले स्थानों का सर्वेक्षण किया जायेगा और उन्हें भारत के पर्यटन मानचित्र में स्थान दिया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार का निरंतर यह प्रयत्न रहता है कि यथासंभव पर्यटन रुचि के अधिक से अधिक स्थानों पर सुविधाएं प्रदान की जाएं। परन्तु, उपलब्ध धनराशि के सीमित होने के कारण स्थानों के चुनाव में इन बातों के आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है—पर्यटक लोगों की पसंद, यात्रा साधनों का स्वरूप, तथा बिनियोजित धन के अनुरूप शीघ्र लाभ ।

(ग) उपरोक्त दृष्टि से समीक्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर और महोबा पर्यटन विभाग की विकास योजनाओं में सम्मिलित किये जाने के योग्य नहीं सिद्ध होते । क्योंकि मुख्यतैया इन स्थानों का महत्व प्रादेशिक है, इन स्थानों के पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है ।

परिवहन व्यवस्था का विकास

10462. **श्री राजदेव सिंह** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विकास के व्यापक तथा विशाल कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करने के लिये देश में परिवहन व्यवस्था का विकास करने का सरकार का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो बनाये गये कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). कृषि विकास सहित अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की परिवहन आवश्यकता की यथासंभव पूर्ति करने की दृष्टि से परिवहन व्यवस्था के विकास के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उपयुक्त व्यवस्था शामिल किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

पालम हवाई अड्डे के जलपानगृह प्रबन्धक

10463. **श्री राजदेव सिंह** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री 8 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3357 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम हवाई अड्डे के जलपान प्रबन्धक पर कितनी धनराशि बकाया है ;

(ख) क्या सरकार जलपान प्रबन्धक से बकाया धनराशि वसूल कर सकी है, यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि वसूल कर ली गई; और

(ग) क्या सरकार का विचार त्रुटियों के लिए उत्तरदायित्व नियत करने का तथा कोई कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 30-4-1968 तक 1,67,484.25 रुपये ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकार खान-पान प्रबन्धक के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है ।

सरकारी नियुक्तियां

10464. **श्री राजदेव सिंह :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि संघ लोक सेवा आयोग को बिलम्ब से निर्दिष्ट किये जाने वाले मामले और सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई अनियमित नियुक्तियों के मामले अब भी लगातार हो रहे हैं बल्कि उनकी संख्या बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या देरी और अनियमितताओं के इन मामलों की संख्या कम से कम करने के लिये कोई कारागर तरीके निकालने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) हालांकि वर्ष 1965-66 में संघ लोक सेवा आयोग को विलम्ब से निर्दिष्ट किये जाने वाले मामलों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गयी अनियमित नियुक्तियों की संख्या पिछले वर्ष से अधिक थी। फिर भी वर्ष 1966-67 में ऐसे मामलों की संख्या में प्रत्यक्ष कमी हुई है ।

(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को पहले ही ये अनुदेश दिये जा चुके हैं कि वे ऐसी अस्थायी नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के विनियमों के अनुसार करें जिनमें आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता हो और आयोग को विलम्ब से निर्देश न भेजें । उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार अनियमितताओं के सभी मामलों की जांच की जायेगी और गलतियों के लिये उत्तरदायित्व निश्चित किया जायेगा जिससे गलतियों के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए निधियां

10465. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल के विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता है जिसमें वह स्थानीय जनता की अधिक दक्षता तथा बड़े पैमाने पर सेवा कर सके;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल की देखभाल पर किये गये व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) हाल ही में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेजों के साथ सम्बद्ध अस्पतालों की वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में बातचीत करने के लिये एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गयी थी जिसमें और लोगों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था । सम्बन्धित विश्वविद्यालय को आवश्यक धन उपलब्ध करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली में विषाक्त भोजन के कारण मृत्युएं

10466. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1968 में दिल्ली में या इसके आसपास विषाक्त भोजन तथा शराब के कारण कई मृत्युएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). अप्रैल, 1968 के दौरान दिल्ली पुलिस को मृत्यु के केवल एक मामले की रिपोर्ट की गई थी जिसका कारण विषाक्त भोजन बताया जाता है। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने मृत व्यक्ति का आंतरोग आदि रासायनिक परीक्षा की विशिष्ट राय के लिये भेज दिया है।

शस्त्रास्त्र अधिनियम के मामले

10467. **श्री मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार द्वारा मनीपुर के एम० एल० ए०, श्री बेनजालम किपगेन के विरुद्ध, जिन्हें विशनपुर पुलिस स्टेशन पर बिना लाइसेंस की काफी बन्दूकें और कारतूस तथा गोलियां रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, शस्त्रास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत चल रही कार्यवाही राजनैतिक आधार पर वापस ली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मनीपुर की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया है; और

(ग) यदि कार्यवाही वापस नहीं ली गई है, तो यह मामला अब किस अवस्था में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मुकदमा जिसकी अन्तिम सुनवाई 20 अप्रैल, 1968 को हुई थी, 20 मई, 1968 के लियें स्थगित कर दिया गया है। चार दोषी व्यक्तियों के उपस्थित न होने के कारण इस मुकदमे में आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी तथापि इस बात की यथासंभव कोशिश की जा रही है कि ये व्यक्ति नियत तारीख को पेश हों।

मणिपुर के राज परिवार की भू-सम्पत्ति

10468. **श्री मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर रियासत के राज परिवार की, विशेषत: वर्तमान राजा तथा स्वर्गीय महारानी ईश्वरी देवी की भू-सम्पत्ति क्या-क्या है;

(ख) उनको अपने जीवन काल में प्रयोग के लिये दी गई भूमि का विवरण क्या है;

(ग) क्या स्वर्गीय महारानी ईश्वरी देवी को उनके अपने जीवन काल में प्रयोग के लिये दी गई भूमि अब उन काश्तकारों को देने के लिये उपलब्ध है, जिनके कब्जे में वह भूमि इस समय है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) यदि इसका सम्बन्ध निजी सम्पत्ति से है, तो सरकार का यह विचार है कि उस सम्पत्ति का व्यौरा, जिसको शासक की निजी सम्पत्ति माना गया है, जनता को नहीं दिया जा सकता। मनीपुर की सरकार ने सूचित किया है कि महाराजा को केवल इनके जीवनकाल में प्रयोग के लिये कोई भूमि नहीं दी गई थी अर्थात उसकी भूमि उसके उत्तराधिकारी को मिल जायेगी। महारानी ईश्वरी देवी की जमीनों की एक सूची संलग्न है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1304/68) उनकी मृत्यु के बाद उनकी जमीनों का कानून के अनुसार निपटारा मनीपुर सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय वन सेवा

10469. **श्री मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक भारतीय वन सेवा गठित की है;

(ख) इस सेवा में अधिकारियों को किस आधार पर लिया जायेगा;

(ग) इस सेवा में शामिल करने के लिए मनीपुर सरकार ने कितने आवेदक भेजे हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भिक गठन की अवस्था में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वन अधिकारियों में से, जो भारतीय वन सेवा (प्रारम्भिक भर्ती) विनियम, 1966 के अन्तर्गत इस प्रकार के चयन के पात्र थे, सेवा में नियुक्तियां की गई थीं। देखभाल के लिए स्तर पर, व्यक्तियों की सेवा में भर्ती या तो प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा अथवा राज्य (संघ राज्य क्षेत्रों सहित) वह सेवा अधिकारियों की पदोन्नति करके की जाती है :

(ग) मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन तीन वन अधिकारी प्रारम्भिक गठन के स्तर पर नियुक्ति के पात्र थे और उनके नाम उस प्रशासन द्वारा भेजे गये थे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर के एक भूतपूर्व मंत्री के विरुद्ध आरोप

10470. **श्री मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के कुछ मुसलमानों द्वारा भेजे गए उस ज्ञापन का उनके मंत्रालय ने पुनर्विलोकन किया है जिसमें भूतपूर्व मंत्री श्री अलीमुद्दीन के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा घूस के आरोप लगाये गये हैं और उनके बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से आवश्यक जांच करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) मनीपुर के मुख्य आयुक्त को मनीपुर की सरकार के भूतपूर्व मंत्री श्री अलीमुद्दीन के विरुद्ध कुछ आरोप मिले थे। मनीपुर की सरकार ने इन आरोपों की जांच की है परन्तु उनमें से अधिकांश आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं मनीपुर की सरकार द्वारा अन्य आरोपों की जांच की जा रही है।

किशोर युवक-युवतियों में अपराध वृत्ति

10471. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ समय से राजधानी में किशोर युवक युवतियों में अपराध वृत्ति बढ़ती जा रही है और कालेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों में अवैध गतिविधियां करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो किशोरों द्वारा किस प्रकार के अपराध और उपरोक्त छात्रों द्वारा किस प्रकार की अवैध गतिविधियां की जा रही हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) एक विवरण संलग्न है। विवरण को देखने से पता चलेगा कि किशोर युवक युवतियों द्वारा अपराध और कालेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अवैध गतिविधियों की घटनायें बढी नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

अवधि	दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट किये गये मामलों की संख्या (जिनमें किशोर युवक युवतियां अन्तर्ग्रस्त थे)	रिपोर्ट किय गये ऐसे मामलों की संख्या जिनमें कालेज/विश्वविद्यालय के छात्र अन्तर्ग्रस्त थे
1-1-67 से 30-6-67 . . .	222	0
1-1-68 से 30-4-68	182	2

तथापि इंजीनियरों के छात्रों द्वारा किये गये आन्दोलन के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1968 से 30 अप्रैल, 1968 के बीच इंजीनियरी के 224 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था।

इलाहाबाद के दंगे

10472. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इलाहाबाद जहां दंगे हुए हैं में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति की आंखों देखी जानकारी प्राप्त करने के लिये अप्रैल, 1968 के अन्तिम सप्ताह में इलाहाबाद का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य टिप्पणीयां क्या थीं और इस दौरे के समय समुदाय के किन वर्गों के प्रतिनिधियों ने उनसे भेंट की तथा/अथवा ज्ञापन पेश किये; और

(ग) देश के उस भाग में विशेषकर तथा देश में सामान्यतया साम्प्रदायिक मेलमिलाप बनाए रखने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति का अनुमान लगाने के लिये गृह-मंत्री ने 23 अप्रैल, 1968 को इलाहाबाद का दौरा किया था ।

(ख) दोनों समुदायों के व्यक्तियों और विभिन्न दलों, एसोसियेशनों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन-पत्र पेश किये थे । उन्होंने सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ स्थिति पर विचार विमर्श किया और साम्प्रदायिक शांति और सामञ्जस्य कायम करने के लिये ठोस और प्रभावशाली उपाय करने के लिये आवश्यक निदेश दिये ।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि साम्प्रदायिक तत्वों को नियंत्रण में रखा जाय आवश्यक प्रशासनिक उपाय किये गये हैं । राज्य सरकार ने इलाहाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों के कारणों की जांच करने के लिये राजस्व बोर्ड के सदस्य श्री एम० लाल को नियुक्त किया है ।

2. देश में सामान्यतया साम्प्रदायिक एकता सुनिश्चित करने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

गृह मंत्री ने 10 सितम्बर, 1967 को समस्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि वे साम्प्रदायिक तनाव को रोकने और साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम के लिये पूर्ण दृढ़ता के साथ पर्याप्त कदम उठाये । अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने उनका व्यक्तिगत रूप से निम्न बातों की ओर ध्यान दिलाया था ।

(एक) व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के बीच बढ़ने वाले तनावों के बारे में सामयिक गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये ।

(दो) उन इलाकों में नागरिक समितियां, बनाई जानी चाहियें जहां पर या तो पहले तनाव की स्थिति हो चुकी है अथवा भविष्य में होने की सम्भावना है ।

(तीन) कानन के निरोधी उपबन्धों का पर्याप्त प्रयोग किया जाना चाहिये ।

(चार) 1964 में जमशेदपुर और रूरकेला में और हाल में भारी इंजीनियरिंग निगम की बस्ती हारिया में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक समुदायों में निगरानी रखना विशिष्ट रूप से आवश्यक है ।

(पांच) साम्प्रदायिक घृणा को बढ़ावा देने वाले समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में छपे लेखों और कही गई बातों की जांच के लिये नियमित व्यवस्था होनी चाहिये । ऐसे लेखों और भाषणों पर नियंत्रण करने के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 513-ए के उपबन्धों का पर्याप्त प्रयोग किया जाना चाहिये ।

2. गृह मंत्री ने 26 मार्च, 1968 को फिर लिखा जिसमें यह अनुरोध किया गया कि साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में दर्ज किये गये सभी मामलों की ठीक प्रकार से जांच की जानी चाहिय और जघन्य अपराधों के दोषी व्यक्तियों को कठोर दंड दिलाने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जाने चाहियें और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अब तक किये गये प्रशासनिक उपायों का पुनर्विलोकन किया जाय ।

3. राज्य सरकारों को साम्प्रदायिक एकता कायम रखने के लिये अपेक्षित सभी उचित सहायता दी गई है ।

4. 1 अगस्त, 1967 से विभिन्न राज्यों में हुए कुछ बड़े साम्प्रदायिक दंगों के कारणों और घटनाक्रम की जांच करने के लिये 1 नवम्बर, 1967 को एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है ।

5. राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनः चालू करने का भी निर्णय किया गया है ताकि देश में साम्प्रदायिक और अन्य विघटन-कार्य शक्तियों की उत्पत्ति को रोकने के लिये और ठोस कदम उठाये जा सकें ।

6. साम्प्रदायिकता की रोकथाम के लिये राज्य सरकारों को सामूहिक जुर्माना करने की सिफारिश की गई है ।

7. राज्य सरकारों को यह सिफारिश की गई है कि वे पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 15 के अन्तर्गत, जिसके अनुसार राज्य सरकार को राज्य के अन्दर किसी भी इलाके को उपद्रवग्रस्त इलाका घोषित करने और उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस तैनात करने का अधिकार है, कार्यवाही कर सकती है । अतिरिक्त पुलिस का खर्चा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों से वसूल किया जायेगा ।

8. साम्प्रदायिक स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये 19 मई, 1968 को मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का विचार है ।

जम्मू तथा काश्मीर

10473. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर में भारत के अन्य राज्यों के लोगों को नियोजन के मामले में ही नहीं, अपितु राशन वाली वस्तुओं के वितरण के मामले में भी, उस राज्य के निवासियों के बराबर नहीं समझा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां गैर-काश्मीरी लोगों के साथ क्या-क्या तथा किस सीमा तक भेदभाव किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). जम्मू तथा काश्मीर सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लोगों तथा अन्य राज्यों के जो लोग वहां रह रहे हैं उन में राशन वाली वस्तुओं के वितरण के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार के अधीन नियोजन के सम्बन्ध में, भारतीय संविधान के अधिनियम 35-क पर ध्यान दिलाया जाता है।

कलकत्ता की गोदियों में दुर्घटना

10474. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 अप्रैल, 1968 को अथवा उसके आसपास कलकत्ता की गोदियों में एक भयंकर दुर्घटना हुई थी,

(ख) क्या इससे जेटी और क्रेन टूट गये थे और लंगर-स्थान अलग हो गया था, और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) पोत 'स्टेट आफ कच्छ' में 16 अप्रैल, 1968 की रात को संख्या 2 कलकत्ता जेटी में ठहरा था। उस रात्रि को जो ज्वार मित्ति के दौरान यह पोत संख्या 1 कलकत्ता जेटी से टकरा गया और इसके परिणामस्वरूप जेटी का छोर भग्न हो गया। इस टकराव के कारण तट का क्रेन निकट खड़े जलयान पर गिर पड़ा। यान के कर्मीदल का एक सदस्य मर गया और दूसरा घायल हो गया।

(ग) कलकत्ता पोर्ट कमिश्नरों द्वारा कराई गई दुर्घटना की विभागीय जांच के अनुसार दुर्घटना भारी ज्वार के और पोत के मास्टर द्वारा की गई गलत कार्यवाही के कारण हुई।

उच्च अध्ययन के लिए कर्मचारियों को विदेश भेजना

10475. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह कार्य मंत्रालय अपने कर्मचारियों को उच्चतर अध्ययन के लिये, विशेषतः विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिये भारी खर्च पर विदेश भेजा करता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दस वर्षों में ऐसे कितने कर्मचारी विदेश भेजे गये ;

(ग) वे किस-किस देश में गये और वहां कितनी-कितनी देर रहे; और उन्होंने वहां क्या-क्या अध्ययन किया ;

(घ) अध्ययन पूरा करने से पहले तथा पश्चात् उनकी परिस्थिति अर्थात रैंक/ग्रेड आदि क्या थे और अब क्या हैं ;

(ङ) प्रत्येक कर्मचारी पर कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्रा खर्च हुई है ;

(च) क्या इन कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार प्राप्त किये गये ज्ञान का पूर्ण उपयोग लोक-हित के लिये किया जा रहा है ; और

(छ) यदि उपरोक्त भाग (च) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :(क) से लेकर (छ) तक. जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हरिजनों की बारात पर हमला

10476. **श्री कंवरलाल गुप्त :**

श्री रवि राय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के निकट महिपालपुर **गांव** में हाल में हरिजनों की बारात पर हमला किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कोई गिरफ्तारी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित पांच अभियुक्तियों में से चार को 19-4-68 को गिरफ्तार कर लिया गया है । शेष एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

REPORTED CHINESE DESIGNS OF BIHAR

10477. SHRI MRITYUNJAY PRASAD : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether his attention has been invited to the news item appearing in the Daily "Indian Nation", dated the 22nd April, 1968 published from Patna under the caption "Chinese Designs on North Bihar-Guerilla Camps set up on border—maps and other papers seized by Central Intelligence"; and

(b) if so, the factual position in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government have no information about the seizure of a map or other documents, as alleged in the press report.

गोआ, दमन और दीव में सरकारी कर्मचारी

10478. **श्री सेक्वीरा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ, दमन और दीव में कितने सरकारी कर्मचारी तदर्थ वेतन क्रमों में कार्य कर रहे हैं और उनमें से प्रत्येक कर्मचारी कितनी-कितनी अवधि से इस रूप में कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या किन्हीं कर्मचारियों को उन्हीं पदों पर स्थायी वेतन क्रमों पर नियुक्त किया गया है और कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ; और

(ग) तदर्थ वेतन-क्रमों के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) : 287 कर्मचारी। इनको 1962-1966 के दौरान नियोजित किया गया। वर्षवार आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी हां। 272 कर्मचारियों की तदर्थ वेतन क्रमों के स्थान पर केन्द्रीय वेतन क्रमों पर नियुक्ति की गई है।

(ग) शेष 15 पदों के मामले सरकार के विचाराधीन हैं। ऐसे 9 और पद गोआ सरकार के सामने आए हैं और इन मामलों के सम्बन्ध में समुचित केन्द्रीय वेतन क्रम निर्धारित करने के लिए उनसे नये सुझावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

आर्किटैक्टों और टाउन प्लैनरों की बेरोजगारी

10479. **श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या शिक्षा** मन्त्री 26 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8582 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय आर्किटैक्टों और टाउन प्लैनरों में बेरोजगारी की समस्या गम्भीर है ;

(ख) क्या यह भी सच कि केन्द्रीय सरकार उद्योगों में तथा होटलों में प्रयोग के लिये वस्तुकला और नगर आयोजन के डिजाइनों को आयात करने की अनुमति देती है ; और

(ग) यदि हां तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशालय के अनुसार 31-12-67 को रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में पांच टाउन प्लैनरों के नाम रजिस्टर्ड थे। टाउन प्लैनरों तथा आर्किटैक्टों में वस्तुतः कोई बेरोजगारी नहीं है, वह बहुत मामूली है।

(ख) और (ग). जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है, केवल ऐसी औद्योगिक वस्तुओं के डिजाइनों और रेखाचित्रों के आयात की अनुमति दी जाती है, जो देश में नहीं बनाये जाते हैं।

जहां तक होटलों का सम्बन्ध है, उनके सभी डिजाइन तथा नक्शे भारतीय आर्किटैक्टों द्वारा बनाये जाते हैं परन्तु विशिष्ट मामलों में विदेशी आर्किटेक्टों के साथ, किसी हद तक, परामर्श करने की उन्हें अनुमति दी जाती है।

विशेष पुलिस संस्थान द्वारा की जा रही जांच के दौरान अधिकारियों का तबादला

10480 **श्री गार्डालिंगन गौड़ :**
श्री अजमल खां :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी अधिकारी को, जब कि उसके विरुद्ध विशेष पुलिस संस्थान द्वारा, जांच की जा रही है, किसी विशेष स्थान पर तैनात करने के बारे में गृह मंत्रालय का क्या आदेश है ; और

(ख) क्या सरकार की नीति यह नहीं है कि संदिग्ध अधिकारी के विरुद्ध ठीक तरह से जांच किये जाने के लिये जांच के आरंभ होते ही उसका उस राज्य से बाहर तबादला कर दिया जाना चाहिये।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). गुण-दोष के आधार पर प्रत्येक मामले की जांच की जाती है और तबादला तभी किया जाता है जब यह जांच कार्य के लिए परम आवश्यक होता है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

10481. **श्री चन्द्रजीत यादव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पर किस तारीख को अधिकार किया था ;

(ख) पुनः अधिकार करने वाली सेना ने इन द्वीपों पर किस तारीख को पुनः अधिकार किया था और मंत्रालय द्वारा नागरिक प्रशासन किस तारीख को मुख्य आयुक्त को सौंपा गया था ; और

(ग) द्वीपसमूह में पैदा हुए, परन्तु मुख्य भूमि से भर्ती किये गये उनके नियुक्ति आदेश के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति की तारीख क्या-क्या है तथा उनके नियुक्ति आदेशों में उल्लिखित सेवा की शर्तों का पूर्ण विवरण क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) : 23 मार्च, 1942।

(ख) क्रमशः 7 अक्तूबर, 1945 और 7 फरवरी, 1946।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसे कर्मचारियों का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता।

अन्दमान द्वीपसमूह में लोगों की भर्ती

10482. **श्री चन्द्रजीत यादव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो अन्दमान द्वीप समूह में पैदा हुए हैं, किन्तु मुख्य भूमि से भर्ती हुए हैं और जिन्हें 'स्थानीय भर्ती हुआ कर्मचारी,' माना जाता है ;

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जो मुख्य भूमि में पैदा हुए हैं, किन्तु स्थानीय तौर पर भर्ती हुए हैं और जिन्हें 'स्थानीय भर्ती हुआ कर्मचारी' माना जाता है ; और

(ग) ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जो मुख्य भूमि में पैदा हुए हैं, किन्तु उन्हीं शर्तों और निबन्धनों पर युद्ध से पहले स्थानीय तौर पर भर्ती हुए हैं, जिन शर्तों पर कि द्वीपों में पैदा हुए लोग भर्ती हुए हैं, जिनको अब भी 'मुख्य भूमि में भर्ती हुए कर्मचारी' माना जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) . जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

अंदमान विशेष वेतन

10483. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कामेन बनाम भारत संघ के मुकदमे में यह निर्णय दिया है कि यदि मूलभूत नियम (एफ० आर०) 9(25) (सी) में उपबन्ध न होता, तो अन्दमान विशेष वेतन मंजूर नहीं किया जा सकता था ;

(ख) यदि नहीं, तो किस नियम के अन्तर्गत यह विशेष वेतन मंजूर किया गया है ।

(ग) क्या उक्त मुकदमे में उक्त उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के गृह-कार्य मंत्रालय के 22 जनवरी, 1951 के पत्र में दिये गये निर्णय संख्या (तीन) की संवैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो अगले उच्च पदों पर पदोन्नत होने के कारण जिन व्यक्तियों को अन्दमान विशेष वेतन मिलना बन्द हो गया था, उन्हें यह विशेष वेतन फिर से देने के लिये जून, 1967 से अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) वास्तव में लेख याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था । फिर भी, अन्दमान विशेष वेतन के ढांचे को युक्ति-संगत बनाने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है और इस मामले में शीघ्र ही कोई निर्णय किये जाने की आशा है ।

अंदमान विशेष वेतन

10484. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या गृह-कार्य मंत्री 22 जनवरी, 1951 के गृह-कार्य मंत्रालय के पत्र में दिये गये भारत सरकार के आदेशों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति के निर्णय में यह लिखा हुआ है कि मुख्य भूमि से द्वीपों में सेवा करने के लिये कर्मचारी प्राप्त करने के निमित्त प्रोत्साहन के रूप में अन्दमान विशेष वेतन मंजूर किया गया है;

(ख) क्या उक्त आदेश में यह उपबन्ध है कि प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले कर्मचारी भी अन्दमान विशेष वेतन पाने के हकदार होंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). 22 जनवरी, 1951 के गृह-कार्य मंत्रालय के पत्र में अन्दमान विशेष वेतन को मंजूर करने के कारणों को नहीं बताया गया है। फिर भी इसमें यह मंशा की गई है कि केवल मुख्य भूमि से भर्ती किये गये कर्मचारियों को यह वेतन मिलना चाहिये। इन आदेशों को कार्यान्वित करने में "मुख्य भूमि से भर्ती किये गये कर्मचारी" वाक्यांश की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि इसमें अन्दमान और निकोबार द्वीपों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले कर्मचारी भी शामिल हो जाते हैं। यह व्याख्या अन्दमान विशेष वेतन को मंजूर करने की युक्तियुक्तता के अनुसार है। ऐसे प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को कोई अन्य प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिल सकता।

अन्दमान विशेष वेतन

10485. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या गृह-कार्य मंत्री अन्दमान विशेष-वेतन के बारे में दिनांक 22 जनवरी, 1951 के मंत्रालय पत्र के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान में बसे हुए व्यक्ति, जो मुख्य भूमि से भरती किये गये हैं, अन्दमान विशेष वेतन प्राप्त करने के अधिकारी हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में कार्य करने के लिये मुख्य भूमि से कर्मचारी को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अन्दमान विशेष वेतन मंजूर किया गया है।

निर्माणठ के

10486. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित फर्मों को दिये गये ठेके, विदेशी मुद्रा तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(1) हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कं० लिमिटेड, बम्बई।

(2) गमनोन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।

(3) जांली ब्रदर्स लिमिटेड, बम्बई।

(4) पटेल इन्जिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई।

(5) शाह कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, लिमिटेड, बम्बई, तथा

(6) तीरथ राम आहूजा एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली; और

(ख) ये कार्य नेशनल प्रोजेक्टस कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को **क्यों** नहीं दिये गये ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

दिल्ली में मल्का गंज में ट्रक स्टैंड

10487. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मल्का गंज में परिवहन संचालकों ने सरकार की अनुमति के बिना एक ट्रक स्टैंड बना लिया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस ट्रक स्टैंड के कारण लोगों को बड़ी कठिनाई हो गई है, क्योंकि यह रिहायशी क्षेत्र में है तथा वहां से 100 गज की दूरी पर तीन स्कूल, दो मन्दिर, एक गुरुद्वारा तथा एक मस्जिद है; और

(ग) यदि हां, तो वहां से इस ट्रक स्टैंड को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) इस मामले से दिल्ली प्रशासन का सम्बन्ध है और उससे अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध

10488. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन सब साम्प्रदायिक संस्थाओं और सामुदायिक दलों पर, जिन्हें देश में साम्प्रदायिक दंगे भड़काने और बढ़ाने के लिये जिम्मेवार पाया गया है, प्रतिबंध लगाने के लिये बड़ी मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों के कुछ मामलों में, कुछ दल इन दंगों के लिये जिम्मेवार पाये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कौन कौन से दल इसके लिये जिम्मेवार पाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) कुछ साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने की कुछ लोगों द्वारा की गई मांग से सरकार अवगत है ।

(ख) और (ग) : इस समय ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके अन्तर्गत साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति सरकार को प्राप्त हो ।

(घ) और (ङ) : साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने वाले लोगों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जाती है। एक जांच आयोग, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री रघबर दयाल हैं, 1-8-1967 के पश्चात हुए मुख्य साम्प्रदायिक दंगों और उनसे सम्बन्धित घटनाओं के कारणों की जांच कर रहे हैं। इलाहाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश के राजस्व बोर्ड के एक सदस्य श्री एम० लाल को नियुक्त किया गया है। उनके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

राजधानी में अपराध निरोध सप्ताह

10489. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में अपराध निरोध सप्ताह मनाये जाने की अवधि में हत्याओं, सड़क दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु और छुरेबाजी के मामलों की संख्या बढ़ गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस सप्ताह में दिल्ली में पुलिस को अकाल मृत्यु के कितने मामलों का पता लगा और उनमें से कितनी मृत्यु (1) हत्या और (2) सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई और उस सप्ताह छुरेबाजी के कितने मामले हुए;

(ग) इससे पहले के तीन सप्ताहों में से प्रत्येक सप्ताह के तत्समान आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कितने अधिक अथवा कम है; और

(घ) अपराध निरोध सप्ताह में राजधानी में अपराधों को रोकने तथा उनकी संख्या कम से कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई और उसके परिणामस्वरूप वे किस सीमा तक सफल रहे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1305/68**]**।

(घ) अपराध निरोध सप्ताह जनता को अपराध की जांच की टकनीक की शिक्षा देने के लिये तथा अपराध को रोकने में उनका सहयोग प्राप्त करने की बात के हेतु मनाया गया था। सप्ताह के अन्त में शिक्षा सम्बन्धी और निर्देशात्मक फिल्में दिखाने के अतिरिक्त यातायात की समस्याओं, सामाजिक नैतिकता आदि जैसी अपराध निरोध की अनेक विशिष्ट समस्याओं पर विचार गोष्ठियां की गई। अपराधों पर काबू पाने के लिये पुलिस को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन पर भी चर्चा की गई और प्रकाश डाला गया, अपराधों को रोकने में पुलिस की सहायता करने के लिए लोगों को व्यवहारिक जानकारी देने वाली पुस्तिकाएं और फोल्डर बांटे गये। अपराध निरोध सप्ताह के दौरान जनता ने विचार गोष्ठियों, बैठकों आदि में उपस्थित होने में जो जोश और रुचि दिखाई ये सप्ताह की सफलता के सूचक हैं।

विवरण

अपराध निरोध सप्ताह के दौरान तथा इससे पहले के सप्ताहों में हत्या, सड़क दुर्घटनाओं और छुरेबाजी के कारण हुई अकाल मृत्यु की संख्या के बारे में विवरण

क्रम संख्या	अपराध	29-3-1968 से लेकर 3-4-1968 तक	4-4-1968 से लेकर 9-4-1968 तक	10-4-1968 से लेकर 15-4-1968 तक	16-4-1968 से लेकर 21-4-1968 तक (अपराध निरोध सप्ताह)
1	2	3			
1.	हत्या	1	1	2	2
2.	सड़क दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु	4	8	3	10
3.	छुरेबाजी के कारण मृत्यु	1	2	1	1
	जोड़ :	6	11	6	13

यात्रा अभिकर्ताओं का सम्मेलन

10490. **श्री अदिचन** : क्या **पर्यटन** तथा **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल मास के चौथे सप्ताह में श्रीनगर में हुए यात्रा अभिकर्त्ताओं के तीन दिन के सम्मेलन में सरकार से अनुरोध किया गया है कि विदेशी पर्यटकों के लिये 7 दिन तक बीजा के बिना ठहरने की सुविधा को स्थायी रूप दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध म सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उस सम्मेलन में अन्य क्या-क्या सुझाव रखे गये उनमें से प्रत्येक सुझाव के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसा समझा जाता है कि इस आशय का एक संकल्प पारित हुआ था । सम्मेलन (कनवेंशन) में पारित किये गये संकल्प की प्रतियां अभी तक सरकार को भेजी नहीं गयी हैं।

(ख) सरकार विज़ा विषयक 'औपचारिकताओं को सरल बनाने के प्रश्न पर, जिसमें विदशी यात्रियों को सात दिन का अस्थायी 'लैंडिग परमिट' प्रदान करना भी शामिल है, विचार कर रही है ।

(ग) सम्मेलन में पारित किये गये संकल्पों के औपचारिक रूप से सरकार को भेज दिये जाने पर उन पर गौर किया जायेगा ।

दिल्ली में बसों की दुर्घटनाएं

10491. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21 अप्रैल, 1968 को शान्ति पथ, दिल्ली में एक मोड़ मुड़ते समय एक दोमंजिली बस की जो दुर्घटना हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी तथा दस अन्य व्यक्ति घायल हो गये, क्या उस दुर्घटना के बारे में सरकार का जांच करने का विचार है; और

(ख) मृत व्यक्तियों के परिवारों तथा घायल व्यक्तियों को कितनी कितनी राशि प्रतिकर के रूप में दी गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) दिल्ली परिवहन संस्थान के जनरल मैनेजर ने 22 अप्रैल, 1968 को एक दुर्घटना जांच समिति गठित की है जिसमें दि० प० सं० के मुख्य यांत्रिक इंजीनियर और यातायात प्रबन्धक तथा सरोजिनी नगर डिपो के यातायात अधीक्षक हैं । समिति की रिर्पोट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति के रूप में मृत कंडक्टर के उत्तराधिकारियों को दि० प० सं० द्वारा 7000 रु० की राशि दिये जाने का प्रस्ताव है । दावे यदि किये गये, की प्राप्ति पर संस्थान घायल व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिये जाने पर विचार करेगी ।

बम्बई तथा बंगलौर में ओबराय होटल

10492. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओबराय होटल समूह को बम्बई तथा बंगलौर में नये होटल बनाने की अनुमति दी है; और

(ख) अन्य भारतीय व्यापारियों तथा भारतीय पर्यटन तथा विकास निगम को भिन्न-भिन्न स्थानों में होटल बनाने के लिये प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) बम्बई में विदेशी सहयोग से एक होटल बनाने के लिये होटलों के ओबराय वर्ग की ओर से प्राप्त एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) होटल निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये निजी क्षेत्र को कई प्रोत्साहन प्रस्तुत किये गये हैं, जिन में कर सम्बन्धी वित्तीय राहतें, दिल्ली में सरकारी जमीन की उपयुक्त शर्तों पर बिक्री, तथा सरकार द्वारा इसी उद्देश्य से मंजूर की गयी एक विशेष योजना से ब्याजदेय ऋणों के रूप में आर्थिक सहायता सम्मिलित हैं । प्रमुख-प्रमुख पर्यटन केन्द्रों पर भारत पर्यटन विकास निगम का भी, जोकि एक सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम है, होटलों के निर्माण का एक कार्यक्रम है ।

होटलों को दी गई विदेशी मुद्रा

10493. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में होटल-उपकरण का आयात करने के लिये ओबराय इन्टर-कांटिनेंटल, नई दिल्ली; क्लार्कस, वाराणसी; ओबराय पैलेस होटल, श्रीनगर; ग्रेट ईस्टर्न होटल, कलकत्ता; एम्बैसेडर होटल, दिल्ली; ग्रैंड होटल, कलकत्ता; नटराज होटल, बम्बई; के लिये कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई; और

(ख) यह देखने के लिये कि इस राशि का होटल व्यवसाय के उचित प्रयोग हुआ है, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन होटलों द्वारा मूल उपस्कर (कैपीटल इक्विपमेंट) का आयात कर सकने के लिये दी जाने के लिये सिफारिश की गयी विदेशी मुद्रा की राशियों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) पर्यटन कार्यालयों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण जहां आवश्यक समझे जायें, किये जाते हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	होटल का नाम	पिछले पांच वर्षों के दौरान मूल उपस्कर के आयात के लिए दी जाने के लिये सिफारिश की गयी विदेशी मुद्रा की राशि
1	2	3
		रुपये
1.	ओबराय इन्टर-कान्टिनेन्टल, नई दिल्ली	*11,98,886.20
2.	क्लार्कस, वाराणसी . .	52,850.00
3.	ओबराय पैलेस होटल, श्रीनगर .	1,03,072.00
4.	ग्रेट ईस्टर्न होटल, कलकत्ता .	84,400.00
5.	एम्बैसैडर होटल, दिल्ली . .	2,44,070.00
6.	ग्राण्ड होटल, कलकत्ता .	3,40,974.00
7.	नट्राज होटल, बम्बई . .	1,44,532.00

*इसमें एक्जिम बैंक से लिये गये ऋण से किया गया मूल उपस्कर का आयात सम्मिलित नहीं है।

दिल्ली के मुख्यायुक्त के कार्यालय के अधिकारियों द्वारा भूखंडों की बिक्री द्वारा मुनाफाखोरी

10494. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस आशय के कथित आरोपों की जांच, कराने का है, कि दिल्ली के मुख्यायुक्त के कार्यालय के अधिकारियों ने अपनी सहकारी गृह-निर्माण समिति, जी० टी० रोड में अपने नाम में आवंटित तीन भूखण्डों को बेचकर 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक शुद्ध लाभ कमाया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों से कहा जायेगा कि वे कमाया हुआ लाभ सरकार को लौटा दें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इन्दिरा मार्केट, दिल्ली

10495. श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दिरा मार्केट, दिल्ली के उत्तर की ओर एक सीमा दीवार बनाने का काम आरम्भ किया गया था, किन्तु भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण सितम्बर, 1965 में यह कार्य बन्द कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य फिर कब आरम्भ किया जायेगा, जिससे कि इस मार्केट में ट्रकों के प्रवेश को रोकने के लिये इसके चारों ओर सीमा दीवार पूरी की जा सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) यह सच है कि इन्दिरा मार्केट के उत्तर की ओर एक सीमा दीवार बनाने का काम आरम्भ किया गया था परन्तु 1965 में ठेकेदार के साथ ठेके की वस्तुओं की दरों के बारे विवाद के कारण यह कार्य स्थगित करना पड़ा। विवाद अब हल हो गया है और यह कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा।

पुलिस के गश्ती दल पर मिजो विद्रोहियों द्वारा हमला

10496. श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 अप्रैल, 1968 को इम्फाल, तामेंगलांग सड़क के निकट मिजो विद्रोहियों के एक गिरोह ने पुलिस के एक गश्ती दल पर हमला किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस भिड़न्त में कितने पुलिसमैन घायल हुए तथा मारे गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में इन्दिरा मार्केट में समाज विरोधीतत्वों द्वारा सिर उठाया जाना

10497. श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, यातायात पुलिस तथा दिल्ली के पुलिस महानिरीक्षक को दिल्ली में इन्दिरा मार्केट, सब्जी मण्डी, में गुड़ों के बढ़ जाने तथा समाज विरोधी गतिविधियों के बढ़ जाने के बारे में कोई शिकायत अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) यदि हां, तो किस की ओर से और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि चूंकि वहां दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं, ऐसी सब समाज विरोधी गतिविधियां रात्रि को दुकानों में की जाती हैं ; और

(घ) पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है, कि आढ़तियों की सभी दुकानें शाम को ठीक साढ़े आठ बजे बन्द हो जायें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस को गुंड़ों ने तथा समाज विरोधी गतिविधियों के बढ़ जाने के बारे में शिकायत मिली थी। शिकायत की जांच की गई थी और आरोपों को निराधार पाया गया।

(ग) और (घ) इंदिरा मार्केट की दुकानें 24 घंटे नहीं खुली रहती हैं। इनके खुलने और बंद होने का समय दिल्ली दुकान और संस्थान अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत होता है, दुकान और संस्थान के निरीक्षणालय के अधिकारी समय-समय पर दुकानों का निरीक्षण करते हैं। 1-1-68 से 30-4-68 के समय के दौरान इन्दिरा मार्केट की दुकानों की 29 बार जांच की गई और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन करने पर दुकानों और संस्थानों के विरूद्ध 39 मुकदमे चलाये गये।

सब्जी मण्डी मार्केट, दिल्ली

10498. **श्री जुगल मण्डल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशसान सब्जी मण्डी दिल्ली से फल और सब्जी की मण्डी को आजादपुर ले जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस खाली स्थान पर उद्यान बनाने के बारे में विचार करेगी क्योंकि इस भीड़-भाड़ वाले सारे क्षेत्र में कोई उद्यान नहीं है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं, बृहद-योजना के अन्तर्गत इस भूमि में फल और सब्जी की मण्डी बनाने की व्यवस्था है। इसलिए बृहद योजना की व्यवस्था के विरुद्ध उद्यान नहीं बनाया जा सकता।

इन्दिरा मार्केट, दिल्ली

10499. **श्री जुगल मण्डल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दिरा मार्केट दिल्ली में सरकारी भूमि पर फल कमीशन एजेन्टों, चाय वालों की दुकानों, रेहड़ी वालों आदि ने कब्जा किया हुआ है जिसके कारण वहां के रहने वालों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार सड़कों से माल हटाने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) वर्ष 1967 में प्रवर्तन निदेशालयों ने उस सामान को सड़क से कितनी बार हटाया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इन्दिरा मार्केट के बाहर 32 लाइसेंस प्राप्त रेहड़ीवालों ने 10 साल से अधिक समय से भूमि पर कब्जा किया हुआ है और 10 चाय की दुकान वालों ने दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस लिये बिना गैर-सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है।

(ख) दिल्ली के बृहद-योजना में स्वीकृत भूमि के अनुसार लाइसेंस प्राप्त रेहड़ीवालों के लिए अन्यत्र स्थान देने की व्यवस्था की जा रही है। चाय की दुकान वालों को बिना लाइसेंस के दुकान चलाने के लिये अभियोग चलाया जा रहा है। जिन्होंने भूमिपर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है उनके विरुद्ध समय-समय पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 322 के अन्तर्गत उन्हें हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(ग) दो बार।

CORRESPONDENCE WITH STATES

10500. SHRI N. S. SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry had written to all the Hindi-speaking States in May, 1966 that they need not send an English translation of letters sent by them to the Central Government in Hindi;

(b) if so, the number of letters received by his Ministry from the Hindi-speaking States during the period from the 1st January, 1967 to 31st December, 1967;

(c) the number of replies sent in Hindi and English respectively to them; and

(d) the reasons for sending replies in English?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) 4211.

(c) Of the replies sent to these letters 272 were in Hindi and 560 were in the English language.

(d) The majority of the letters in Hindi were replied to in Hindi Action is being taken to ensure that letters to Hindi-speaking States are sent in Hindi to the largest extent possible.

HINDI TEACHING SCHEME

10502. SHRI N. S. SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be plaesed to state :

(a) whether it is a fact that very few Class I Officers learn Hindi under the Hindi Teaching Scheme;

(b) if so, whether Government propose to issue orders for giving priority in sending Class I Officers for training in Hindi;

(c) if so, from which date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir. From the information available in the Home Ministry, it appears that out of a total of 4021 such officers, 1882 *i.e.*, 44% either already had working knowledge of Hindi or have been trained in Hindi.

(b) and (c). Certain measures to further improve this figure are under consideration.

REPORT OF HINDI ADVISER

10503. SHRI N. S. SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of the Hindi Adviser to the effect that it should be seriously investigated whether the orders issued by the Ministry of Home Affairs in pursuance of the Presidential Orders are being complied with or not or if being complied with, to what extent; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir, an observation to that effect has been made in the Hindi Adviser's Report.

(b) The Government periodically reviews the position in this regard through half-yearly reports received from various Ministries/Departments. Administrative instructions for the implementation of the provisions of the Official Languages (Amendment) Act, 1967 are being issued shortly.

इलाहाबाद म बमों की बरामदगी

10504. श्री महन्त दिग्विजयनाथ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद में मुहम्मद अली पार्क में स्थित दकानों के आसपास 40 बम पाये गये हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन बमों पर चीनी और पाकिस्तानी चिन्ह है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है इन दंगों में राष्ट्र-विरोधी तत्वों का हाथ है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन बमों को वहां रखना बाजार और दुकानों को उड़ा देने का एक स्पष्ट षड़यंत्र है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(च) क्या इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिये कोई जांच समिति स्थापित की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना

10505. **श्री हेमराज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में कोई मानदंड तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इस उद्देश्य हेतु कुछ विशेष मोटे सिद्धान्त अपनाये गये थे। ये वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण थे और देश की सुरक्षा और एकता को स्थिर और सुदृढ़ करने की आवश्यकता के लिये किये गये थे। उनमें से एक मुख्य विचार यह है कि संघ राज्य क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हों जब संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा बढ़ा कर उसे राज्य बनाने का प्रश्न उत्पन्न हो, ये बातें ध्यान में रखी जा सकती हैं।

केन्द्रीय करों में संघ राज्य क्षेत्रों का भाग

10506. **श्री हेमराज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से प्रार्थना की है कि वह चौथे वित्त आयोग से कहे कि वह यह पता लगाये कि केन्द्रीय करों में विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों की कितनी-कितनी मांग है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या अब उनका ऐसा करने का विचार है ?

(क) और (ख) संविधान में केन्द्रीय करों और शुल्कों में संघ राज्य क्षेत्रों के कोई भाग की व्यवस्था नहीं है। इसलिए वित्त आयोग को यह कहने का प्रश्न ही नहीं उठता कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए भाग निर्धारित किया जाय।

भारतीय प्रशासनिक सेवाएं

10507. **श्री दामानी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को भारतीय प्रशासन सेवाओं में जाने का अवसर दिया जाय ;

(ख) क्या भर्ती और पदोन्नति के किन्हीं नये तरीकों पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये पृथक बोर्ड

10508. **श्री दामानी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए वर्तमान स्वायत्तशासी बोर्ड के स्थान पर दिल्ली प्रशासन के अधीन एक पृथक बोर्ड होना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या प्रस्तावित बोर्ड का कोई ब्यौरा तैयार किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

प्रशासनिक सुधार आयोग

10509. **श्री दामानी :** क्या गृह-कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने एक नयी असैनिक सेवा के गठन का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या इस अध्ययन दल का यह मत है कि असैनिक कर्मचारियों में मिलकर काम करने की भावना का अभाव है ;

(ग) इस मामले में इस दल की अन्य मुख्य सिफारिशों और उपपत्तियां क्या है ; और

(घ) इनको क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त पदोन्नति नीतियों, आचार नियमों, अनुशासन तथा मनोबल

सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत कर दिया है ; जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई थी। प्रतिवेदन की सिफारिशों पर आयोग ने विचार करना है। इस विषय पर आयोग न अभी अपनी सिफारिशें नहीं दी हैं। अतः सरकार द्वारा कार्यवाही का इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

PAURI-DEV PRAYAG ROAD IN U.P.

10510. SHRI O. P. TYAGI :
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI :
SHRI RAM SEWAK YADAV :

Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work in regard to construction of a road from Pauri to Dev Prayag in District Pauri Garhwal, Uttar Pradesh has been completed;

(b) if so, whether buses have started plying from Pauri to Dev Prayag;

(c) if not, when the construction work of the said road is likely to be completed; and

(d) whether Government propose to provide direct bus service from Kotdwara to Dev Prayag or Pauri in view of the difficulties being experienced by the people of Garhwal ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) to (d). The required information is benig collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

निवारक विरोध अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल में नजरबन्द किये गये व्यक्ति

10511. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 21 नवम्बर, 1967 से 20 फरवरी, 1968 तक की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में कितने व्यक्ति नजरबन्द थे, और उनमें से कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया तथा कितने व्यक्ति बन्द किए गए;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों ने जेल अधिकारियों के माध्यम से बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर करने के लिए आवेदन पत्र दिए; और

(ग) ऐसी याचिकाएं दायर करने में औसतन कितना समय लगा।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल में 21 नवम्बर, 1967 से 20 फरवरी, 1968 तक की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए व्यक्तियों की संख्या 1,111 थी।

(ख) उन में से 90 व्यक्तियों ने जेल अधिकारियों के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण याचिकायें दायर करने के लिए आवेदन पत्र दिए हैं।

(ग) ऐसी याचिकायें दायर करने में औसतन एक दिन का समय लगता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पृथक-पृथक आयोग

10512. **श्री तेनेटि विश्वनाथम :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की समस्याएं अनुसूचित जातियों के लोगों से भिन्न हैं, क्या उनके लिए दो अलग-अलग आयोग नियुक्त करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

गृह कार्य-मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) संविधान की धारा 338 (1) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए केवल एक ही विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबन्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

EXCAVATIONS IN RAJASTHAN

10513. SHRI ONKAR LAL BOHRA : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :-

(a) whether Government's attention has been drawn to the ruins of a city lying buried in the lead mines of Jawar Pan Jawar near Udaipur (Rajasthan);

(b) if so, whether any survey has been conducted in the said area; and

(c) if not, whether Government propose to conduct a survey in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No Sir.

KOTHARI COMMISSION RECOMMENDATIONS

10514. SHRI ONKAR LAL BOHRA : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether any action has been taken by his Ministry in regard to making financial provision for provident fund for teachers in several private educational institutions where there is no such provision at present;

(b) whether in addition to revision of pay-scales some special steps have also been taken for the economic betterment and enhancement of the social status of the teachers, principals and other staff connected with the teaching professions; and

(c) if so, the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) to (c). A statement is attached.

(a) As far as the School stage of education is concerned which is a State subject, financial provision, if any, is to be made by the States.

As regards university/college teachers the University Grants Commission, in consultation with the Government of India have introduced the Schemes of (i) General Provident Fund-*cum*-pension-*cum*-Gratuity; and (ii) Contributory Provident Fund-*cum*-Gratuity in the Central Universities and the Indian Institute of Science, Bangalore with effect from 1st April, 1964. The employees have the option to choose one of the two Schemes. These Schemes have also been brought to the notice of State

universities and 'deemed' universities that have been asked to take up with the State Governments/authorities concerned the question of introducing these Schemes for the benefit of their employees.

(b) and (c). The Education Commission has made a number of recommendations in this regard. They have been forwarded to State Governments for consideration.

AIR SERVICES TO UDAIPUR

10515. SHRI ONKAR LAL BOHRA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the progress made so far in starting a night air service from Udaipur; and

(b) whether a flight in the evening is also proposed to be started from Udaipur in view of its great utility to tourists ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). There is no proposal at present either to start a night air service or an evening service through Udaipur.

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी

10516. श्री गार्डिलिंगन गौड़ :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री मुहम्मद इमाम :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निदेशक/संयुक्त सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों की एक सूची तैयार करने की एक निश्चित प्रक्रिया है; और

(ख) क्या 1966 तथा 1967 में कोई सूची तैयार की गई थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विभिन्न सेवाओं (केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहित) के अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के बाद निदेशक/संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए, समय-समय पर योग्य अधिकारियों की सूची तैयार की जाती है। वर्ष 1966 और 1967 के दौरान इस अभिप्राय के लिये अधिकारियों के मामलों पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की चयन सूची (सिलेक्शन लिस्ट)

10517. श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री गार्डिलिंगन गौड़ :
श्री मुहम्मद इमाम :

क्या गृह-कार्य मन्त्री 19 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की 1966 की चयन सूची 1 अगस्त, 1967 को जारी करने के क्या कारण थे, जब 1967 की चयन सूची जारी करने का भी समय हो चुका था;

(ख) 1967 की सूची जारी करने में विलम्ब होने का क्या कारण है; और

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए सिलेक्शन ग्रेड के पदों की संख्या निर्धारित करने का क्या आधार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). वर्ष 1966 की यह चयन सूची इसलिए प्रथम अगस्त, 1967 को ही जारी हो सकी क्योंकि इसकी तैयारी की प्रक्रिया के बारे में काफ़ी लम्बे समय तक विचार होता रहा। 1967 की चयन सूची की तैयारी के बारे में काम हो रहा है।

(ग) केन्द्र में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर भरती करने की योजना के अन्तर्गत किसी भी सेवा में उप-सचिव तथा इस से ऊपर के पदों में कोई आरक्षित पद नहीं है। इसलिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चयन संहिता के लिए चयन सूची का आकार किसी विशिष्ट वर्ष में उपलब्ध हो सकने वाले कुल रिक्त स्थानों को दृष्टि में रखकर, तदर्थ आधार पर निश्चित किया जाता है।

Assistant Education Officer in the Central Hindi Directorate

10518. SHRI RAM GOPAL SHALWALE: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many representations were received in his Ministry from the Research Assistants against the examination system, examination machinery and favouritism in respect of the examination for the recruitment to the posts of Assistant Education Officers in the Central Hindi Directorate in 1963;

(b) if so, the nature of representations; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) No, Sir. Only one person who had failed in the departmental test in 1963 had represented to the Director of the Central Hindi Directorate. The representation was duly considered and rejected.

(b) and (c). The questions do not arise.

मिडिल ईस्ट एयरलाइन्स, बम्बई के कार्यालय पर छापा

10519. श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री मधु लिमये :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री दामानी :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने बम्बई में मिडिल ईस्ट एयरलाइन्स के कार्यालय पर छापा मारा था और मुद्रा सम्बन्धी कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में 45 फाइलें पकड़ी गई थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बम्बई पुलिस द्वारा यह मामला न तो वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के ध्यान में लाया गया और न ही पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय के ध्यान में लाया गया;

(ग) इसका लेबनान और भारत के सम्बन्धों और इन दोनों देशों के बीच वायुयान सेवाओं सम्बन्धी उस करार पर, जिसके बारे में वार्ता चल रही थी, क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। छानबीन वित्त मन्त्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) के प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा की गयी थी पुलिस द्वारा नहीं। कुछ अभिशंसी कागज व दस्तावेज (इंक्रिमिनेटिंग पेपर्स एण्ड डाक्यूमेंट्स) पकड़े गए थे।

(ख) प्रवर्त्तन निदेशालय (एनफोर्समेंट डाइरेक्टोरेट) ने उन्हें प्राप्त हुई सूचना के अनुसार सामान्यतया कार्यवाही की थी। सामान्य प्रथा यह नहीं है कि वे इस प्रकार की छानबीन करने के अपने इरादे की सूचना दूसरे मन्त्रालयों को दें।

(ग) भारतीय-प्रतिनिधि-मण्डल ने लेबनान सरकार के प्रतिनिधि-मण्डल को यह स्पष्ट कर दिया था कि यह छानबीन का कार्य सामान्यतया किया गया था और इसका उस बातचीत से कोई सम्बन्भ नहीं था जो उस समय बेरूत में चल रही थी। यद्यपि मिडिल ईस्ट एयरलाइन्स के प्रतिनिधि-मण्डल ने एक विशेष स्थिति में पहुंच कर बातचीत से अपने आप को खींच लिया था, तथापि तब तक विमान सेवाओं के बारे में संतोषप्रद अस्थायी व्यवस्था की जा चुकी थी, और इस आधार पर दोनों प्रतिनिधिमडलों ने एक करार पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

(घ) प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा पकड़े गए कागजों व दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की जा रही है तथा जांच-पड़ताल का कार्य पूरा हो जाने पर यथा-आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

राइफल प्रशिक्षण केन्द्र

10520. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागरिक राइफल प्रशिक्षण योजना (सिविलियन राइफल ट्रेनिंग स्कीम) के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने-कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये है और उनमें कितने-कितने प्रशिक्षणार्थी हैं;

(ख) क्या प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की अवधि म कोई वजीफा दिया जाता है;

(ग) क्या प्रशिक्षणार्थी को राइफल अपने पास रखने की अनुमति है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में 31 दिसम्बर 1967 तक की अपेक्षित जानकारी का ब्यौरा संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1306/68]। शेष

राज्यों/केन्द्र प्रशासित प्रदेशों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ). जी, नहीं। चूंकि यह एक स्वयं सेवी योजना है अतः इसके अन्तर्गत न तो प्रशिक्षणार्थियों को कोई वजीफा ही दिया जाता है और न ही उन्हें सरकारी राइफ़लें अपने पास रखने की अनुमति है।

विवरण

31-12-1967 तक हुई नागरिक राइफल प्रशिक्षण योजना की प्रगति का ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चालू केन्द्रों की संख्या	केन्द्र/क्लब में अब तक प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	96	14,358
2.	पंजाब	133	16,629
3.	दिल्ली	—	1,337
4.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	2	179
5.	चन्डीगढ़	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	1	18,190
कुल जोड़		232	50,733

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण

10521. **श्री अ० श्री० कस्तूरे** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों ने विज्ञापन से पहले ही आरक्षित पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से भिन्न अभ्यार्थियों को नामांकित किया था तथा उनकी सिफारिश की थी ;

(ख) क्या उन पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग को सिफारिश करते समय नामांकित अभ्यार्थियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाता है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से भिन्न कुछ ऐसे अभ्यार्थी हैं जिनका नामांकिन तथा सिफारिश आरक्षित पदों के लिए की गई थी और जिनको संघ लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार में हटा कर उनके स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों को चुन लिया गया था; और

(घ) क्या सरकार विभागों के इस कृत्य को अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के योग्य अभ्यार्थियों को इन आरक्षित पदों को पाने के मार्ग में बाधक समझती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थान पर अन्य जातियों की नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है जब उस आरक्षित रिक्त स्थान को अनारक्षित किया जाय तथापि आरक्षित रिक्त स्थानों को अनारक्षित केवल तभी किया जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जायें :—

(i) प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरते समय जब आयोग इन रिक्त स्थानों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के योग्य अभ्यार्थियों के नाम निर्दिष्ट करने में असमर्थ होता है। कुछ मामलों में अपने अनुभव के आधार पर जब आयोग का यह अनुमान होता है कि अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों को योग्य अभ्यार्थी नहीं मिलेंगे तो आयोग उन्हीं के साथ-साथ अन्य जातियों के अभ्यार्थियों से भी प्रार्थना आमन्त्रित कर सकता है।

(ii) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के मामले में, इन आरक्षित रिक्त स्थानों की अधिसूचना रोजगार दफतरों, समाचार पत्रों में विज्ञापनों तथा इस उद्देश्य से गठित अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की संस्थाओं को देने पर भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के योग्य अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

अतः विज्ञापन से पूर्व, अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थान के लिए इन जातियों के अभ्यार्थियों को नाम निर्दिष्ट करने अथवा उनके लिए सिफारिश करने के लिए किसी विभाग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आयोग अथवा भर्ती करने वाले अन्य प्राधिकरण विभागीय कर्मचारियों सहित समस्त पात्र अभ्यार्थियों में से चयन करते हैं। अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों के बारे में, इन जातियों के दावों पर पहले विचार किया जाता है। और यदि इन जातियों के योग्य अभ्यार्थी उपलब्ध न हों तो केवल तभी अन्य जातियों के बारे में भर्ती करने वाले प्राधिकरण विचार करते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

FOREIGN CHRISTIAN MISSIONARIES

10523. SHRI RAM GOPAL SHALWALE : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Ingraham Institute near Ghaziabad is a centre of anti-national activities of the foreign Christian Missionaries;

(b) if so, the action being taken against the said institution;

(c) whether Government give some grant to the said institution; and

(d) if so, the amount thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) to (d). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House in due course.

खान अब्दुल गफ्फ़ार खां

10524. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान अब्दुल गफ्फ़ार खां ने यदि उन्हें आमन्त्रित किया गया तो, इस वर्ष गांधी शताब्दी समारोह में आने की इच्छा प्रकट की है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गांधी जी के साथ उनके पुराने सम्पर्क को ध्यान में रखते हुए उन्हें विशेष रूप से आमन्त्रित करने का है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). जनवरी 1965 में खान अब्दुल गफ्फ़ार खां को, जब भी उनको सुविधा हो, भारत आने का निमन्त्रण दिया गया था। उत्तर में उन्होंने कहा था कि उपयुक्त अवसर पर वह निमन्त्रण का उत्तर देंगे। फिर भी सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने गांधी शताब्दी के अवसर पर भारत आने की इच्छा व्यक्त की है। यह स्वभाविक ही है कि खान अब्दुल गफ्फ़ार खां जब भी भारत आना चाहें, उनका हार्दिक स्वागत किया जायेगा।

कृषि स्कूल

10525. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नए कृषि स्कूल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो वे स्कूल कहां-कहां होंगे;

(ग) इनमें से उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल होंगे; और

(घ) इन स्कूलों के कब तक खोले जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

नई दिल्ली नगर पालिका

10525. श्री रामजी राय : क्या **गृह-कार्य मंत्री** 12 अप्रैल, 1968 के हिन्दी दैनिक "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार नई दिल्ली नगरपालिका के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार कर रही है जैसाकि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भाषण देते हुए नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है :

(ग) क्या नियमों के अन्तर्गत किसी सरकारी कर्मचारी को सरकार की आलोचना करने की अनुमति है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष ने दिनांक 11, अप्रैल, 1968 को, इन्डिया इन्टरनेशनल सेंटर में नई दिल्ली नगर पालिका के वित्तीय ढांचे की चर्चा करते हुए "फेस लिफ्ट फॉर दिल्ली" शीर्षक के बारे म अपने भाषण में कहा था कि कुछ मामलों में दिल्ली नगर पालिका के साथ सरकार वैसा ही व्यवहार नहीं कर रही है जैसा कि वह नगर निगम के साथ करती है। सरकार को नई दिल्ली नगर पालिका की ओर से इस आशय के पत्र भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह आग्रह किया गया कि सहायता अनुदानों के बारे में सरकार को नगर पालिका के साथ निगम जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। दिल्लो म स्थानीय निकायों के वित्तीय स्रोतों तथा आवश्यकताओं के बारे में जांच-कार्य पहले ही एक आयोग को सौंपा जा चुका है। आयोग से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सरकार नई दिल्ली नगर पालिका को सहायता देने के ढांचे के बारे में कार्यवाही करेगी।

(ग) और (घ). क्योंकि इस प्रकार सरकार की कोई आलोचना नहीं की गई अथवा इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी, इसलिए सरकार का इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यादेश के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय

10527. श्री देवराव पाटिल :
श्री शिवाजी राव शे० देशमुख :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के कुछ अध्यादेशों को जो कि अकादमी परिषद् से सम्बन्धित हैं संविधान के शक्ति-परस्तात् घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश 14 के केवल खण्ड (5) को विश्वविद्यालय अधिनियम तथा संविधि 7 (1) (8) के शक्तिपरस्तात् करार दिया है।

(ख) यह मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

चंडीगढ़ के शिक्षकों को भत्ता

10528. श्री श्रीचंद गोयल : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के कालेजों तथा स्कूलों के शिक्षकों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्रेड तथा भत्ते दिए जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने उन शिक्षकों के मामलों की सरकार से सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग): चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा से प्रतिनियुक्ति किए गए सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार उस रूप में पुनरीक्षण किया है जिस रूप में उनके अपने राज्यों में पुनरीक्षण किया गया है; इसी प्रकार प्रशासन ने सरकारी कालेजों के वेतनमानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षण किया है । गैर-सरकारी रूप से प्रबन्ध किए जाने वाले कालेजों तथा स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

विधायकों द्वारा दल बदल

10529. **श्री न० कु० सोंधी :**
श्री श्रीचंद गोयल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, भारत के विधायकों द्वारा दल बदलने को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाहियों के ब्यौरे पर विचार कर लिया है; और

(ख) क्या इस मामले पर विधि-विशेषज्ञों की राय ले ली गई है और क्या उस पर कोई निर्णय कर लिया गया है तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : दिनांक 8 दिसम्बर, 1967 को लोक-सभा में पारित एक संकल्प के अनुसरण में, जल्दी-जल्दी एक दल को छोड़ दूसरे दल के प्रति निष्ठा बनाने वाले तथा सभा में दल बदलने वाले विधायकों सम्बन्धी समस्या के सब पहलुओं पर विचार करने, और इस बारे में अपनी सिफारिशें देने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा संविधान-विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है । इस समिति की सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा है ।

सीमावर्ती सड़कें

10530. **श्री कामेश्वर सिंह:** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में बिहार में सीमा सड़कों के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और इन वर्षों में इस कार्य के लिए कितनी राशि नियत की गई;

(ख) वर्ष 1967 में कितने मील सड़क पूरी की गई;

(ग) क्या बिहार में सीमा सड़कों का विकास निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) : बिहार राज्य में किसी भी सड़क का वर्गीकरण "सीमान्त सड़क" के रूप में नहीं किया गया है। माननीय सदस्य का संकेत संभवत: पार्श्व सड़क से है जो उत्तरप्रदेश में बरेली से आसाम में अमीनगांव तक बनाई जा रही है और देश के उत्तरी भाग में बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से हो कर जाती है।

मूलत: मुख्य पार्श्व सड़क, तथा बिहार की तीन लिंक सड़कें 1 अप्रैल 1964 से तीन वर्षों में पूरी होने के लिए अनुसूचित थीं। चूंकि यह लक्ष्य व्यावहारिक नहीं पाया गया अत: परियोजना की पहली अवस्था को 1968 के अन्त तक पूरा करने का निश्चय किया गया और चारों राज्यों में समस्त अनुभागों पर एक साथ काम शुरू कर दिया गया।

वित्तीय सीमाओं तथा प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण के कारण 1966 से काम की प्रगति ने पर्याप्त शिथिलता की गई है। परियोजना के उद्व्यय पर नियन्त्रण करने की दृष्टि से, पार्श्व सड़क के विभिन्न भागों पर आगे कार्यक्षेत्र को इस प्रकार सीमित करने का प्रस्ताव है कि गाड़ी यातायात के लिये एक उपयुक्त मार्ग उपलब्ध हो जाये और अभी तक किया गया व्यय व्यर्थ न हो जाये। राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 28 के बरौनी मजफ्फरपुर अनुभाग को चौड़ा करना जो बिहार में पार्श्व सड़क परियोजना का भाग है, पूरा हो गया है। बिहार से पार्श्व सड़क के अन्य अनुभागों में काम पूरा नहीं हुआ है। 1967-68 में राज्य सरकार को 475.179 लाख रुपए के व्यय के लिए अपेक्षित धन उपलब्ध किया गया था। इस परियोजना पर व्यय करने के लिए 1968-69 के बजट में बिहार सरकार को 2.9 करोड़ रुपए की राशि स्थायी तौर पर आवंटित कर दी गई है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम्

10531. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड के प्रबन्धकों ने गत महीने में 78 कुशल श्रमिक प्रशिक्षणार्थियों की छटनी की थी;

(ख) क्या इस बारे में उनके मंत्रालय अथवा श्रम आयोग को कोई रिपोर्ट मिली है;

(ग) यदि हां, तो प्रबन्धकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन 78 कुशल श्रमिक प्रशिक्षणार्थियों को मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी से प्रमाण-पत्र नहीं मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क): प्रशिक्षुओं के एक दल जिसने जुलाई 1967 में प्रशिक्षुता पूरी की थी, को प्रबन्धकों ने सूचित किया था कि वे जर्नीमैन/अल्प कालिक प्रशिक्षु का प्रशिक्षण तब तक जारी रख सकते हैं जब तक उचित वर्गों में उन्हें नियुक्त करने के लिए रिक्तियां होती हैं। हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने मार्च 1968 में दुर्व्यवहार और काम करने से मना करने के कारण 78 प्रशिक्षुओं को हटा दिया।

(ख) और (ग) : इस मंत्रालय को प्रशिक्षुओं से एक अभ्यावेदन और हिन्दुस्तान शिपयार्ड से एक प्रतिवेदन मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। श्रम-अधिकारी, आंध्र प्रदेश सरकार, विशाखापत्तनम ने इस विषय में हिन्दुस्तान शिपयार्ड को लिखा और उन्हें उत्तर भेज दिया गया था। इस विषय में उसके बाद श्रम-अधिकारी से कोई पत्र नहीं मिला है।

(घ) और (ङ) : जुलाई 1967 में प्रशिक्षुओं को सूचित किया गया था कि उनमें से जो प्रशिक्षुता छोड़ना चाहते हैं उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रैषित किए जाएंगे। इस प्रस्ताव को केवल थोड़े ही प्रशिक्षुओं ने स्वीकार किया।

गोआ स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी

10532. **श्री मुरासोली मारन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोआ स्वतन्त्रता संग्राम के उन सेनानियों को, जो पुर्तगाल की जेलों में कारावास दण्ड भोग रहे हैं, कोई वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

(क) जी, हां।

(ख) पुर्तगाली जेलों में 2 राजनैतिक बन्दी हैं, एक श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे, तथा दूसरे श्री तेलो मस्कान्हास। जहां तक श्री रानाडे का संबंध है, गोआ, दमन और दीव के स्वतंत्रता सेनानियों को वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत उनके परिवार को एकमुश्त 5,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। उनकी माता श्रीमती रमाबाई विष्णु आप्टे को, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1 जून, 1962 से पांच वर्ष के लिए 60 रुपए मासिक दिए गए हैं।

1 मई 1966 से उस मासिक पेन्शन की धनराशि बढ़ाकर 100 रु० तथा आजीवन कर दी गई है। उसी योजना के अन्तर्गत, श्री तेलो मस्कान्हास के बारे में, उनके परिवार को 2,000 रु० का कुल अनुदान प्रदान किया गया है तथा इसके अतिरिक्त उनके परिवार को 60 रु० मासिक की पेन्शन भी प्रदान की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर-पश्चिम बंगाल में धातु के टुकड़े का गिरना

Shri Beni Shankar Sharma (Banka): I call attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

"Reported firing of rockets by China from Sinkiang into the Bay of Bengal in the last week of March, 1968 and metallic pieces resembling the nose of a rocket having fallen in Nepalese territory."

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि 25 मार्च 1968 को लगभग 10 बजकर 15 मिनट पर रात को कोई 3 फुट लम्बी शंकु रूप धातुकी एक वस्तु, कि जिसका चौड़े सिरे का व्यास 6 फुट था उत्तर-पश्चिम नेपाल में, पोखरा से उत्तर-पूर्व लगभग 5 मील पर गिर कर ध्वस्त हुई थी। जहां वह वस्तु गिरी वहां लगभग 2 फूट का गढ़ा हो गया था। रिपोर्ट मिली है कि ध्वस्त होने से पहले उससे एक रुक-रुक कर होने वाला चौंधिया देने वाला प्रकाश हुआ, और ध्वंसन पर बिजली की गरज के समान ध्वनि। रिपोर्ट मिली है कि उस वस्तु के अंश आस-पास के क्षेत्र में कुछ दूर पर पाये गये थे।

विषयग्रस्त वस्तु नेपाल सरकार ने अपने अधिकार में कर ली है, और वह शायद उसका निरीक्षण कर रही है। जब तक अधिक विस्तार प्राप्त न हों, उस वस्तु के गुण रूप के बारे में कोई पक्की राय देना या यह कहना कि वह बंगाल की खाड़ी की ओर फेंका गया एक राकेट था, सम्भव नहीं। प्रत्यक्षतः पाई गई वस्तुएं एक बहु-प्रावस्थित राकेट के टुकड़े जान पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार अधिक विस्तृत सूचना प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

Shri Beni Shankar Sharma : There cannot be two opinions about the fact that the designs of China have always been dangerous for the security of our country. China has been in collusion with Pakistan. Moreover Chinese against are responsible for recent trouble in Assam as the documents seized by the Government have revealed. In view of this we cannot overlook this incidence of firing rockets by China from Sinkiang into the Bay of Bengal. Keeping in view all these fact I want to ask the hon. Minister to let us know whether our Government would also go into the production of such arms especially whe nwe are competent to do so?

श्री स्वर्ण सिंह : हम इस ध्यान दिलाने वाली सूचना पर शान्ति के प्रयोजन के अतिरिक्त नुक्लीयर शक्ति के विकास के बारे में चर्चा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह दिया जा सकता है। हम इस समय मुख्य नीति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

Shri Y. S. Kushwah (Bhind : I would like to know as to what preparations has been made to meet the challenge of lethal weapons of China which he is using to intimidate India? Whether such weapons will be produced in India also so that we may be in a position to meet the Chinese threat.

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न नेपाल में धातु के किसी टुकड़े का पता लगने के बारे में है। अतः मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मुझ से किसी शक्तिशाली शत्रु का सामना करने के सम्बन्ध के बारे में तैयारी का प्रश्न नहीं पूछना चाहते। फिर अभी तक यह भी नहीं पता कि कि वह राकेट चीन का ही बना हुआ है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know as to when the hon. Minister came to know about the report of firing aforesaid rocket. Secondly may I know whether it is a fact that some persons went there to have a photagraph of the rocket but Nepal Government did not allow to do so? Thirdly, I would like

to know whether China is pressurising Nepal not to pass on any information about this rocket to India or rest of the world?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कहना ठीक नहीं है कि हमें ध्यान दिलाने वाली सूचना मिलने पर ही इसकी जानकारी मिली है। हमें यह जानकारी मार्च के अन्त में मिली थी।

दूसरे मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि नेपाल ने उस टुकड़े की फोटो लेने की अनुमति नहीं दी है। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करना नेपाल सरकार का काम है। फिर हमें उस देश की प्रभुसत्ता का आदर करना चाहिए।

Shri Madhu Limaye : We are just asking for information, nothing else.

श्री स्वर्ण सिंह :- फ़ोटोग्राफ़ लेने के लिए हम उन्हें मजबूर तो नहीं कर सकते। हमारे देश में भी मल्टी-स्टेज राकेट के कुछ टुकड़े तथा उपग्रहों से गिरी हुई सामग्री मिली है और हम किसी भी देश को उनका फोटोग्राफ़ लेने की अनुमति नहीं देते। इस प्रकार प्रत्येक देश अपने सम्बन्ध में निर्णय कर सकता है।

Shri Madhu Limaye : I simply want to know whether Nepal Government did not permit the object to be photographed?

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक मल्टी-स्टेज राकेट को सिक्यांग से छोड़ने का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

Shri Madhu Limaye : I had asked whether China is pressurising Nepal to keep this information secret?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में

Re.: MOTION OF PRIVILEGE

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I had given Notice for Privilege Motion against the Home Minister on 4th May, 1968 but now I want to enhance the scope of that Motion in order to include the Prime Minister and Deputy Prime Minister as well.

It will be recollected that there was a discussion on a motion of no confidence against the Government. When references were made to Kutch Tribunal Award, the Prime Minister, Deputy Prime Minister and Home Minister had made certain statements. All of them had expressed regret on handing over the land to Pakistan as a result of Kutch Award. It was stated that though the Award is against us but we have no choice except to accept the same. The Deputy Prime Minister had said that he is not happy over the land being handed over to Pakistan but we are committed to the Award and could not challenge it. Similar views were expressed by the Prime Minister also. It was repeatedly said on behalf of the Government that entire Kutch is ours and the dispute is only regarding demarcation of boundary. But in response to the writ petition of Shri Shiv Kumar Sharma, quite different thing has been stated in the affidavit filed on behalf of the Government of India in the Delhi High Court. In case we believe this affidavit then it is clear that the Prime Minister, Deputy Prime Minister and the Home Minister had deliberately misled the House in regard to Kutch situation. They have concealed the facts, refused to give correct picture and in view of this they are guilty of the breach of privilege of the House.

It was stated in the writ petition of Shri Sharma that our land is being handed over to Pakistan which cannot be done without amending the Constitution. It has been stated in the affidavit.

It is also denied that the territory which the Tribunal has held to lie on the Pakistan side of the alignment of the boundary belonged to Kutch District of Gujarat State under the Bombay Reorganisation Act, 1960 or that it was recognised as Indian Territory by the Constitution of India. Even significance of the statements made by the Prime Minister, the Deputy Prime Minister and the Home Minister have also been lost in the affidavit. It is a strange thing. It has further been stated in the affidavit "that the statement purported to have been made by the hon'ble Union Home Minister is not material to this issue. It is denied that a very important part of territory or any territory of India is being given to Pakistan and that too for fear of war." It shows as if we have been in occupation of land of Pakistan forcibly.

श्री क० नारायण राव (बोबिली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 338 में लिखा है कि :

"किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए जो सारवान रूप में उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी है।"

प्रश्न केवल यह है कि भारत सरकार ने जो बात संसद् में बताई तथा शपथ-पत्र में उल्लिखित है उन दोनों में कुछ अन्तर है। विशेषाधिकार प्रस्ताव का भी विषय यही है। इसका अर्थ यह है कि अब विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है कि शपथ-पत्र की प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जा सकती है। मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए भाषण भी प्रकाशित हो चुके हैं। शपथ-पत्र और भाषण अब सार्वजनिक बन चुके हैं क्योंकि उनमें अब किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं है। इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It is true that speeches delivered in the House are properly of the House and a Member can raise a privilege motion thereon. Government cannot deny the quotations given from the affidavit. This House is fully competent to know as to whether it has been deliberately misled by the Prime Minister, Deputy Prime Minister and Home Minister. It is clear from the affidavit that they had said something else and done something else. In this case they have concealed the facts about Kutch affair and deliberately misled the House. I should, therefore, be permitted to beg leave of the House so that this matter could be referred to the Privileges Committee.

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। हमें न्यायाधीन मामलों पर चर्चा करने से सम्बन्धित नियमों का पालन करना चाहिए। जिस गलती का उल्लेख किया गया है उसके बारे में 1 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय में बहस हुई थी परन्तु न्यायालय ने इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल यह है कि प्रधान मन्त्री के भाषण तथा शपथ-पत्र में जो विभेद का आरोप लगाया गया है क्या यह विशेषाधिकार भंग का मामला है?

श्री गोविन्द मेनन : यह विशेषाधिकार भंग का मामला बिल्कुल नहीं है। यह लेख याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दी गयी है। दिल्ली उच्च न्यायालय

न्यायाधिकरण के निर्णय को रद्द नहीं कर सकता। फिर नियम 352 में यह उल्लिखित है कि बोलते समय कोई सदस्य किसी ऐसे तथ्य विषय का निदेश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो।

न्यायालय में भी इस प्रश्न को उठाया गया था कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र मान्य है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में न्यायालय में काफी तर्क-वितर्क हुआ था। अतः इस विषय पर बोलना नियम 352 का उल्लंघन करना होगा। अतः यह मामला विशेषाधिकार भंग का नहीं है और आपको इस प्रस्ताव की अनुमति अभी नहीं देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दोनों पक्षों के विचारों को सुन लिया है। यदि आवश्यक हुआ तो विधि मन्त्री के अतिरिक्त मैं किसी और व्यक्ति से भी कानूनी सलाह लूंगा और दोपहर के बाद में अपना निर्णय दूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राजस्व प्राप्तियां सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1968 (दो) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1968।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1267/68]

(2) "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों" के बारे में प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदन में की गई कतिपय सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों का एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1268/68]

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(3) (एक) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) ऊपर के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1269/68]

एयर इण्डिया, इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन की आय तथा व्यय के बजट अनुमान

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री डा० कर्ण सिंह) : "मैं विमान निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उपनियम (5) के अन्तर्गत निम्नलिखत पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) वर्ष 1968-69 के लिए एयर इंडिया की आय तथा व्यय के बजट अनुमानों का सारांश।

(दो) एयर इंडिया के पूंजी के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के वास्तविक आंकड़ों, वर्ष 1967-68 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1968-69 के बजट अनुमानों का सारांश।

(तीन) वर्ष 1968-69 के लिए इंडियन एयर लाइन्स की आय तथा व्यय के बजट अनुमानों का सारांश।

(चार) इंडियन एयर लाइन्स की पूंजी के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के वास्तविक आंकड़ों, वर्ष 1967-68 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1968-69 के बजट अनुमानों का सारांश।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1270/68]

भाण्डागारण निगम अधिनियम (संशोधन) नियम 1968

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : श्री गुरुपदस्वामी की ओर से मैं भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (संशोधन) नियम 1968 की एक प्रति जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 612 में प्रकाशित हुए थे सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 1271/68]

नैशनल बिल्डिंग्ज कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसकी सरकार द्वारा समीक्षा

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(एक) नेशनल बिल्डिंग्ज़ कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1966-67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बिल्डिंग्ज कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली का 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1272/68]

मजगांव डाक लिमिटेड तथा प्राग टूल्ज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : श्री ल० ना० मिश्र की ओर से मैं (7) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) मजगांव डौक लिमिटेड, बम्बई का 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद का 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1273/68)

सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(8) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 42वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 4 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 791 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 43वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 4 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 792 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य 44वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 4 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 793 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 45वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 4 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 794 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 46वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 4 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 795 में प्रकाशित हुए थे

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1274/68]

(9) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 796 की एक प्रति जो दिनांक 4 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1275/68]

(10) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों की 1966-67 के कार्य सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1276/68]

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसकी सरकार द्वारा समीक्षा

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल, के वर्ष 1966-67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल का 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय म रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1277/68]

जांच समिति (इस्पात के सौदे) का प्रतिवेदन तथा उस पर सरकारी संकल्प

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

2 (एक) इस्पात के सौदों की जांच समिति (श्री ए० के० सरकार की अध्यक्षता में नियुक्त) के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उसके परिशिष्ट।

(दो) उपरोक्त समिति के निष्कर्षों की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में सरकारी संकल्प संख्या एस० सी०-दो-14 (3)/68 दिनांक 10 मई, 1968 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1278/68]

उत्तर प्रदेश राज्य भाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, निवारक विरोध अधिनियम आदि के बारे में सांख्यिकीय जानकारी

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

उत्तर प्रदेश राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम 1968 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 10) की एक प्रति, जो दिनांक 6 अप्रैल 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1279/68]

30 सितम्बर, 1966 से 30 सितम्बर, 1967 की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के कार्यान्वयन के बारे में सांख्यिकीय जानकारी की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1280/68]

(एक) संविधान के अनुच्छेद 350ख (2) के अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 1 जनवरी, 1965 से 30 जून, 1966 तक की अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1281/68]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 761 जो दिनांक 27 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किए गए।

(दो) जी० एस० आर० 762 जो दिनांक 27 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की तीसरी अनुसूची में एक संशोधन किया गया।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1282/68]

पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति, जिनके द्वारा पश्चिमी बंगाल लोक-सेवा आयोग (राज्यपाल द्वारा परामर्श) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किए गए हैं :—

(एक) पश्चिमी बंगाल अधिसूचना संख्या 114-एफ०, दिनांक 12 जनवरी, 1967।

(दो) पश्चिमी बंगाल अधिसूचना संख्या 3246-एफ०, दिनांक 6 सितम्बर, 1967।

(तीन) पश्चिमी बंगाल अधिसूचना संख्या 3654-एफ०, दिनांक 23 अक्तूबर, 1967।

(चार) पश्चिमी बंगाल अधिसूचना संख्या 3655-एफ०, दिनांक 23 अक्तूबर, 1967।

(पांच) पश्चिमी बंगाल अधिसूचना संख्या 4300-एफ०, दिनांक 19 दिसम्बर, 1967।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1283/68]

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मुझे इस बात पर आपत्ति है कि ये पत्र इस सत्र में अन्तिम दिन को सभा-पटल पर रखे जा रहे हैं। अब हमारे पास इसमें संशोधनों के सुझाव देने का कोई समय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार आगामी सत्र में इन्हें दोबारा सभा-पटल पर रख सकती है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : फिर उन्हें आगामी सत्र में पुनः सभा-पटल पर रखने के लिए कहा जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है जिससे उन्हें आपत्ति करने या सुझाव देने का अवसर मिल सके ।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : मुझे पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने पर आपत्ति है । इन्हें विलम्ब से सभा-पटल पर रखने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और न ही कोई ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को, बाद में, इसका स्पष्टीकरण देना होगा ।

एग्रा इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क (1) के अन्तर्गत मद्रास एग्रा इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास, के 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुई अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1284/68]

दिल्ली मोटर गाड़ी (छठा संशोधन) नियम तथा सेन्ट्रल रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : श्री भक्त दर्शन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हू :—

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (छठा संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 7 मार्च, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 19 (18)/64/67 ट्रांसपोर्ट में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1285/68]

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6/9 की उप-धारा (1) के अन्तंगत सेन्ट्रल रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पुस्तकालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1286/68]

इण्डयन टूरिज्म डवेल्पमेंट का वार्षिक प्रतिवेदन

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत टूरिज्म डेवेल्पमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1287/68]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTION

कार्यवाही का सारांश

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 19वीं से 31वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

कार्यवाही सारांश

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई छठी बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देता हूं :—

"कि राज्य सभा अपनी 8 मई, 1968 की बैठक में लोक-सभा द्वारा 2 मई 1968 को पास किए गए लोक भविष्य निधि विधेयक, 1968 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।"

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

छठा प्रतिवेदन

Sixth Report

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने निम्नलिखित सदस्यों को समिति के छठे प्रतिवेदन में दिखाई गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुमति देने की सिफारिश की है :—

(1) श्री श्रीगोपाल साबू

(2) श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी

(3) श्री राम चन्द्र वीरप्पा

मैं समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हाँ ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

51वां प्रतिवेदन

श्री पे० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : मैं आयल इन्डिया लिमिटेड संबंधी पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति का 51वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 357 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION UNDER RULE 357

श्री अ० कु० सेन : (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : श्री उमानाथ ने 25 अप्रैल 1968 को औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद के समय मुझ पर यह आरोप लगाया था कि मैंने महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री को मिलकर मफत लाल ग्रुप के धोखेधड़ी में दोषी व्यक्तियों को उसी दिन रिहा करवा दिया था जिस दिन वे गिरफ्तार किए गए थे. यह भी कहा गया है कि इस मामले में कमांडर धाटे मेरे साथ थे।

मैं इन आरोपों का खण्डन करता हूं। यह आरोप झूठे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मैंने चार में से एक दोषी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील की पैरवी की थी। मैंने सर्वोच्च न्यायालय में अपना वाद-विवाद फरवरी 1967 के प्रथम सप्ताह में समाप्त कर लिया था। उसके पश्चात मैं चुनाव के सम्बन्ध में अपने चुनाव क्षेत्र चला गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला मार्च, 1967 में सुनाया था जिसमें सभी अपीलों को रद्द कर दिया गया था। जहां तक कमांडर धाटे का सम्बन्ध है मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता और न ही मैंने उसे कभी देखा है। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि मैंने कमाण्डर के साथ मिलकर महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री से कोई सौदेबाजी की थी। यह कहना भी गलत है कि सभी दोषी व्यक्तियों को उसी दिन छोड़ दिया गया था जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था क्योंकि ऐसा केवल श्री बी० एन० खाबर के मामले में ही हुआ था। जहां तक मैं जानता हूं इस व्यक्ति का फेडको कम्पनी से कोई सम्बन्ध नहीं था। अतः मेरे विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे हैं।

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टयम) : मैंने नियम 115 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या हुआ। अब श्री रेड्डी विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री नाथपाई (राजापुर) : क्या महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को रिहा करने से पूर्व भारत सरकार तथा विशेषकर औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री से परामर्श किया था। यदि हां, तो न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करना कहां तक उचित है ?

अध्यक्ष महोदय : इस अवस्था पर यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए,"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैंने आसाम विधान सभा के अध्यक्ष के निधन के बारे में एक पत्र लिखा था। मेरे विचार में सभा को भारत के इस महान् सुपुत्र के देहान्त के लिए शोक प्रकट करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनके निधन का समाचार सुनकर गहरा शोक हुआ । वह एक उपयोगी साथी थे । वह एक बहुत ही पढ़े-लिखे एवं भद्र पुरुष थे । मैंने अपनी तथा सभा की ओर से संवेदन संदेश भेज दिया है। वह एक मध्य आयु के व्यक्ति थे । उनके निधन का समाचार सुन मुझे बहुत दुख हुआ ।

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक

REQUISITION AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री जगन्नाथ राव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch Till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुई ।

[SHRIMATI TARKESHWARI SINHA *in the Chair*]

भावनगर जेल में कच्छ सत्याग्रहियों पर तथाकथित लाठी प्रहार

ALLEGED LATHI CHARGE ON KUTCH SATYAGRAHIS IN BHAVNAGAR JAIL

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I move under rule 109 that discussion on this Bill be postponed. I have just received a telegram wherein it has been stated that 88 Kutch satyagrahis including 3 MLAs have been tear gassed. Police has also charged lathi on them under the very nose and presence of District Magistrate.

It can be said that this is a matter which concerns the Gujarat Government. But I would say that this satyagrah has been launched against the policies of the Central Government. It is a matter of regret for the Country and Government to use teargas and latter on the peaceful satyagrahis. I would request you to direct the Home Minister to make a statement in the House before the House rises for the day.

Mr. Chairman : There is no bill under discussion at present. The hon. Member cannot, therefore, move under rule 109. As the hon. Member himself has said that this matter concerns the State Government. It cannot, therefore, be raised here.

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक

LOKPAL AND LOKAYUKAS BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याकरण शुक्ल) : मैं श्री चव्हाण की ओर से विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिए प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सरकार अथवा कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा की ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्यवाही के अन्वेषण के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तसत्संक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात्

श्री अगडी, श्री अबेचेजिपान, श्री फ्रैंक एन्थनी, श्रीमती ज्योत्सना चन्दा, हिज हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव, श्री चं० चुं० देसाई, श्री शिवाजीराव एस० देशमुख, श्री गंगाचरण दीक्षित, श्री समर गुह, श्री कुंवर लाल गुप्त, श्री हेमराज, श्री गुनानन्द ठाकुर, डा० कर्ण सिंह, श्री किन्दर लाल, श्री थाण्डवन किरुत्तिनन,

श्री अमीया कुमार किस्कू, श्री भोला नाथ मास्टर, श्री वि० विश्वनाथ मेनन, श्री एम० बी० राणा, श्री जी० एस० रेड्डी, श्रीमती उमाराय, श्री नारायण स्वरूप शर्मा, श्री योगेन्द्र शर्मा, श्री शशि भूषण, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री राम शेखर प्रसाद सिंह, श्री आर० के० सिन्हा, श्री श्रद्धाकर सूपकार, श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्, श्री यशवन्त राव चव्हाण; और राज्य सभा से पन्द्रह सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*].

हम इस विधेयक को बहुत महत्व देते हैं। हमने इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों से व्यापक परामर्श भी किया है। विचार-विमर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमने इस मामले को अनिश्चित रूप से स्थगित करने के बजाय इस को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपना ठीक समझा है जिसमें राज्य सरकारें, संस्थायें तथा विभिन्न व्यक्ति इस समिति के समक्ष अपने विचार रख सकते हैं । विधेयक के उद्देश्य से भी अच्छी प्रकार अवगत है और यह सभी में बांट दिया गया है । समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात हम उस पर वाद-विवाद कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक घंटे के समय में इस पर लाभदायिक चर्चा कठिन है। अतः हम इसको सीधे संयुक्त समिति को सौंप सकते हैं। प्रश्न यह है :—

"कि सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या की ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्रवाई के अन्वेषण के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात् :—

(1) श्री वी० शंकरानन्द
(2) श्री के० अंबाज़ागन
(3) श्री फ्रेंक एन्थनी
(4) श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
(5) हिज़ हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
(6) श्री सी० सी० देसाई

(7) श्री शिवाजीराव एस० देशमुख
(8) श्री गंगाचरण दीक्षित
(9) श्री गुह
(10) श्री कंवर लाल गुप्त
(11) श्री हेम राज
(12) श्री एस० एम० जोशी
(13) डा० कर्णी सिंह
(14) श्री किन्दर लाल
(15) श्री थाण्डवन किरुत्तिनन
(16) श्री अमीया कुमार किस्कू
(17) श्री भोला नाथ मास्टर
(18) श्री वी० विश्वनाथ मेनन
(19) श्री एम० बी० राणा
(20) श्री जी० एस० रेड्डी
(21) श्रीमती उमा राय
(22) श्री नारायण स्वरूप शर्मा
(23) श्री योगेन्द्र शर्मा
(24) श्री शशि भूषण
(25) श्री विद्या चरण शुक्ल
(26) श्री रामशेखर प्रसाद सिंह
(27) श्री आर० के० सिन्हा
(28) श्री श्रद्धाकर सूपकार
(29) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्
(30) श्री यशवन्त राव चव्हाण; और

राज्य सभा से 15 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

कच्छ सत्याग्रहियों पर तथाकथित लाठी का चलाया जाना

ALLEGED LATHI CHARGE ON KUTCH SATYAGRAHIS

श्री वीरेन्द्रकुमार शाह (जूनागढ़) : मैं नियम 109 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव करता हूं कि पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों पर चर्चा करने हेतु, सभा का कार्य स्थगित किया जाये । ये अत्याचार भावनगर जेल में किये गये हैं। यह मामला बहुत गम्भीर है और कलकत्ता के ब्लैकहोल की घटनाओं के समान है । अतः मेरा निवेदन है कि इस मामले पर आज चर्चा की जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधि व्यवस्था का प्रश्न है । हमारा इससे किस प्रकार सम्बन्ध है ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur) : The Kutch agitation is going on against the Central Government. The satyagrahis arrested in this agitation have been put in jail, they have been tear gassed and lathi charged. This House cannot keep silent on it.

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहा गया है कि पुलिस ने अत्याचार किये हैं । परन्तु यह मामला केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि सत्याग्रह गुजरात राज्य में हो रहा है । अतः विधि व्यवस्था बनाये रखने का काम भी गुजरात राज्य का है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय ठीक कहते हैं कि इस मामले को यहां नहीं उठाया जा सकता । हम नहीं चाहते कि ऐसी घटनाएं हों । इन घटनाओं में हमारा कोई हाथ नहीं है, गुजरात सरकार इस मामले से निपट रही है ।

SHRI MADHU LIMAYE (Monghyr) : One of the Members Shri Jyanti Lal Solanki has died in Bhuj. Is this not a serious case? Under what circumstances he has died. You should direct the Government to explain that.

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुखदायी है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : केन्द्रीय सरकार के समूची अवशिष्ट शक्तियां हैं तथा देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिये वह जिम्मेदार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपकी विवेचना को स्वीकार कर लिया जाये तो हमें प्रतिदिन किसी न किसी राज्य की विधि व्यवस्था पर चर्चा करनी होगी जो कि हम कर नहीं सकते ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-Sadar) : This is correct that law and order is the State subject. But we should not forget the background of this particular case. This agitation is going on against the Centre's decision to give 350sq. miles of Indian territory to Pakistan, which resulted in use lathi charge and tear gas on the satyagrahis. We have been discussing many things concerning states such beating of Harijans and parade of nude women on the roads, in Andhra Pradesh. So I would request you to direct the hon. Minister to make a statement in this regard also.

So far as Delhi is concerned no statement has so far been made by the hon. Minister. You should also direct the hon. Home Minister to make a statement on that score also.

उपाध्यक्ष महोदय जहां तक दिल्ली तथा उसमें होने वाली घटनाओं का सम्बन्ध है सभा उनको मान्यता दे सकती है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : प्रश्न दिल्ली की घटनाओं को मान्यता देने अथवा राज्य-सूची से कोई विषय लेने का नहीं है । वर्तमान प्रश्न देश की अखण्डता से सम्बन्धित है और इसकी ओर समूचे देश तथा संसद का ध्यान आकर्षित हो रहा है। बहुत से दल आन्दोलन कर रहे हैं। अत: कच्छ में जो कुछ हो रहा है उसका केन्द्र की समूची जिम्मेदारी से सम्बन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह मानता हूं कि कच्छ का मामला एक अखिल भारतीय मामला है और कि केन्द्रीय सरकार की समूची जिम्मेदारी है । यह ठीक है कि सत्याग्रहियों पर ज्यादती नहीं की जानी चाहिए परन्तु उन्होंने राज्य सरकार द्वारा धारा 144 के अन्तर्गत लगाये गये प्रतिबन्धों को तोड़ा है । यदि उन पर कोई ज्यादती की गई है तो उस पर केन्द्रीय सरकार का ध्यान अन्य तरीकों से दिलाया जा सकता है। दिल्ली के बारे में यदि सरकार ने स्वयं कोई जानकारी नहीं दी तो माननीय सदस्य गृह-कार्य मंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । मुझे आशा है कि सम्बन्धित मंत्री इस के लिए सहमत होंगे ।

श्री कंवर लाल गुप्ता : मैंने ध्यान दिलाने वाले सूचना तथा स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे परन्तु कार्यालय ने उनको स्वीकार नहीं किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है।

श्री वीरेन्द्रकुमार शाह : आप मंत्री महोदय को जानकारी देने के लिये कहें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ज्यादतियां की गई हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाता है तो मंत्री महोदय निश्चय ही वक्तव्य देंगे ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : कल सत्याग्रहियों के प्रति पुलिस के व्यवहार के बारे में विशिष्ट आरोप लगाये गये थे संघ क्षेत्र, दिल्ली के बारे में भी सरकार ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। भुज में जो सत्याग्रह चल रहा है उसकी जिम्मेदारी सीधे केन्द्रीय सरकार पर आती है। अत: आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए निदेश दें ।

उपाध्यक्ष महोदय जहां तक दिल्ली के बारे में लगाये गये आरोपों का सम्बन्ध है सरकार के पास जो तथ्य हैं सरकार को उन्हें सभा के समक्ष रखना चाहिये ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Today is the last session of the day. So you should direct the hon. Minister to make a statement today.

If the hon. Minister so desires he can collect the information in an hour and make a statement.

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत कठिन है । परन्तु यदि जानकारी एकत्र करना सम्भव है तो माननीय मंत्री को इसका प्रयत्न करना चाहिये ।

सड़क परिवहन कराधान जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION REGARDING FINAL REPORT OF THE ROAD TRANSPORT TAXATION ENQUIRY COMMITTEE

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : जब प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये मुझे बुलाया गया था उस समय मैं सभा में उपस्थित नहीं था। इस अनुपस्थिति के लिये मैं सभा से खेद प्रकट करता हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सड़क परिवहन कराधान जांच समिति (नवम्बर, 1967) के अन्तिम प्रतिवेदन, जिसको 13 दिसम्बर, 1967 को सभा पटल पर रखा गया था, पर विचार किया जाये।"

सड़क परिवहन कराधान समिति द्वारा उठाये गये विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर मैं सभा की राय जानने के लिए उत्सुक हूं। देश में सड़क परिवहन पर कराधान, सड़क परिवहन के विस्तार तथा सड़क परिवहन के विषयों पर दिये गये लम्बे प्रतिवेदनों में यह प्रतिवेदन अन्तिम है। इस प्रतिवेदन की प्रतियां सभी राज्य सरकारों को भेजी गई हैं। केसकर समिति द्वारा प्रस्तुत किये अन्तरीय प्रतिवेदन भी राज्य सरकारों को भेजे थे क्योंकि बहुत से मामले उन्हीं के अन्तर्गत आते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं।

मैंने 24 और 25 जून को परिवहन विकास परिषद् की एक बैठक बुलायी है। इसमें केन्द्रीय परिवहन मंत्री सहित सभी राज्यों के परिवहन मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में केसकर समिति द्वारा दिये गये प्रस्तावों के प्रति उनकी सिफारिशों पर विचार किया जायेगा। परिवहन विकास परिषद् में निर्णय किये जाने के पश्चात संयुक्त समिति में केसकर समिति की सिफारिशों को सुचारु रूप देने के लिये आवश्यक संशोधन किये जा सकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रतिवेदन पर अपनी-अपनी राय व्यक्त करें।

सड़क परिवहन को कई स्थानों पर कर देना पड़ता है। यह एक राज्य विषय है। अतः राज्यों में मोटर गाड़ी नियम बनाये जाते हैं और कर भी लगाये जाते हैं जोकि समान नहीं है। यदि किसी गाड़ी को एक से अधिक राज्यों से गुजरना पड़े तो उसको विभिन्न-विभिन्न नियमों तथा विनियमों का पालन करना पड़ता है और अनेक स्थानों पर कर देना पड़ता है।

इस सम्बन्ध में केसकर समिति ने सुझाव दिया है कि यदि विभिन्न स्थानों पर कर लेने के बजाये एक ही स्थान पर कर लिया जाये तो यह परिवहन को दक्षतापूर्ण चलाने के लिये ठीक होगा। इसलिए हमें इन विभिन्न करों को समाप्त कर एक कर की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए मैं सदस्यों के विचार जानना चाहूंगा।

जैसा कि सभी जानते हैं देश में सड़क परिवहन के विकास में चुंगी भी एक बाधा है। वास्तव में कुछ राज्यों में चुंगी नहीं है। मेरे विचार में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मद्रास, आसाम, बिहार और केरल में चुंगी को समाप्त कर दिया गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुई

(Shrimati Tarakeswari Sinha in the Chair)

कुछ राज्यों में चुंगी और उनमें चुंगी को बढ़ाने की भी प्रवृत्ति है। कुछ छोटी-छोटी नगरपालिकाओं तथा स्थानीय ग्राम संगठन भी चुंगी लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे सड़क परिवहन के निर्बाध रूप से चलाने में बाधायें उत्पन्न होती हैं। अतः केसकर समिति ने चुंगी को समाप्त करने की जोरदार सिफारिश की है। इसके साथ स्थानीय प्राधिकारियों को प्रतिकर देने के लिये कुछ अन्य तरीके निकालने होंगे। इस सम्बन्ध में नगर बिक्री कर अथवा बिक्री कर पर किसी प्रकार के अधिभार लगाने का सुझाव दिया गया है।

तीसरे मद्य-निषेध, खाद्यान्नों की तस्करी आदि के लिये अनेक जांच चौकियां हैं जो परिवहन के सुचारु रूप से वहन में बाधा डालती है। प्रत्येक चौकी पर मोटर गाड़ी को जांच पड़ताल के लिये रोक लिया जाता है। इसकी जांच पड़ताल के लिये अधिकारीगण अपना समय लेते हैं। इस सम्बन्ध में केसकर समिति ने सभी विभागों का काम चलाने वाले एक समेकित संगठन को बनाने की सिफारिश की है। सभी परीक्षण चौकियों पर वजन करने के पुलों तथा बुकिंग के लिए स्वचालित उपकरणों का होना आवश्यक है। ये चौकियां काफी दूरी पर होनी चाहिए।

अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग के बारे में यह सिफारिश की गई है कि इसको प्रशुल्क आयोग की तरह का आयोग होना चाहिये। अतः अन्तर्राज्य परिवहन आयोग को अधिक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाना चाहिये। इस आयोग को स्वतंत्र स्वायत्त निकाय अथवा अर्ध स्वायत्त निकाय बनाने की भी सिफारिश की गई है। यदि सम्भव हो तो इसका चेयरमैन एक पूरा समय काम करने वाला तथा गैर-सरकारी व्यक्ति होना चाहिये। इस आयोग को अन्तर्राज्य मार्गों तथा अन्तर्राज्य चलने वाली गाड़ियों को परमिट देने तथा कर लगाने का अधिकार भी दिया जाना चाहिये। इस आयोग को कर एकत्र करने वाली एक एजेन्सी के रूप में भी कार्य करना चाहिये। एकत्रित धन को सभी राज्यों में स्वीकृत सूत्र के अनुसार बांट दिया जाना चाहिये। हो सकता है इस बारे में संविधान में संशोधन करना पड़े।

इन सिफारिशों के अतिरिक्त अन्य अनेक सिफारिशें अर्थात सड़क परिवहन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और कि प्राथमिकता वाले उद्योगों को करों आदि में मिलने वाली समूची छूट दी जानी चाहिये, की गई हैं सड़कों तथा पुलों के निर्माण तथा रखरखाव के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने आदि के बारे में सिफारिश की गई है।

'मोटरगाड़ी कराधान' के लिये सिद्धान्त आदि बनाना एक केन्द्रीय विषय है। अतः संसद् कराधान के मामले में मोटरगाड़ियों के पालन के लिये सिद्धान्त अथवा मापदण्ड निर्धारित करने के लिये कानून बना सकती है। यदि ऐसा हो जाये तो इसका करों पर बहुत ही वांछनीय प्रभाव पड़ेगा। यदि माननीय सदस्य मेरे इस विचार से सहमत हैं तो उन्हें मापदण्डों तथा सिद्धांतों की रूप-रेखा के बारे में अपने विचार व्यक्त करने चाहिएं।

श्री रा० को० अमीन (ढ़ढ़ेका) : मसानी समिति के प्रतिवेदन, त्रिलोक सिंह समिति के प्रतिवेदन आदि पर सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मुझे आशा है कि सरकार इस प्रतिवेदन को खटाई में नहीं डालेगी और इस पर विचार करेगी।

हमारे देश में सड़क परिवहन रेलवे के साथ प्रतियोगिता भी करता है और वह रेलवे के विकास में सहायक भी है। ऐतिहासिक कारणों से रेलवे को कठिनाइयों का सामना है और इसमें अनेक दोष भी हैं। रेलवे में कोई स्टैण्डर्ड गेज नहीं है। अतः सड़क परिवहन को इन दोषों को दूर कर देश में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिये सुविधायें प्रदान करनी चाहियें।

सड़क परिवहन को न केवल निवेश के मामले में बल्कि करों से एकत्रित राशि के रूप में भी बहुत धक्का लगा है। सड़क परिवहन से वसूल होने वाले करों तथा आय को इसके विकास पर नहीं लगाया गया है। मसानी समिति ने अपने प्रतिवेदन में अपर्याप्त सड़कों, पुलों, मोटरगाड़ियों की अपर्याप्त सप्लाई, करों का बाहुल्य का उल्लेख किया है।

1950-51 से 1965-66 में जबकि परिवहन तथा संचार में 75 प्रतिशत और राष्ट्रीय आय में 110 प्रतिशत वृद्धि हुई मोटरगाड़ियों पर करों में 623 प्रतिशत वृद्धि की गई है; अतः मोटरगाड़ियों पर बहुत अधिक कर लगाये गये हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन पर करों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी परन्तु इस पर इतना धन नहीं लगाया गया था। कर प्रणाली में अन्य बातों में हुए परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन नहीं किये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अर्थ-व्यवस्था में हुए परिवर्तनों के आधार पर एक कराधान प्रणाली पर भी विचार किया जाना चाहिये।

हमें देश में समेकित सड़क परिवहन प्रणाली बनानी चाहिये ताकि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सके। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अधिक विकास, मजदूरों के हितों तथा बाजार में माल के लेन-देन को क्षति पहुंचेगी। वर्तमान आवश्यकता यह है कि समूचे देश को एक इकाई के रूप में रखा जाये। देश में तेल तथा अन्य चीजों का बड़े पैमाने पर पता लगाया गया है। अतः मोटरगाड़ियों में डीजल का प्रयोग किया जाना चाहिये।

समूचे देश में चुंगी को समाप्त किया जाना चाहिये। इसके स्थान पर यदि आवश्यकता हो, तो अतिरिक्त बिक्री कर अथवा क्रय उत्पादन पर कर लगाये जा सकते हैं।

कर प्रणाली को आसान तथा एक समान बनाया जाना चाहिये। फालतू पुर्जों आदि पर दोहरा कर नहीं लगाया जाना चाहिये।

आगामी दस वर्षों के लिये हमें सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये कि परिचालन लागत का 25 प्रतिशत से अधिक कर नहीं लगाया जायेगा। इस समय यह 45 प्रतिशत है। इसको घटा कर 25 प्रतिशत किया जाना चाहिये। लाइसैंस शुल्क में भी कमी की जानी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार के राजस्व का एक भाग सड़क परिवहन के विकास के लिये रखा जाना चाहिये । सड़क परिवहन पर लगे कर के रूप में प्राप्त होने वाली राशि को सड़कों के विकास तथा सुधार के लिये रखा जाना चाहिये ।

कर एकत्र करने के लिये एक ही प्राधिकारी होना चाहिये । करों के वितरण के मामले में फेडरल प्रणाली जैसी प्रणाली का अनुसरण किया जाना चाहिये ।

मैं माननीय मंत्री से डीजल पर कर को कम करने का भी निवेदन करूंगा ? इस प्रतिवेदन में विभिन्न सांविधिक निकायों की स्थापना की सिफारिश की गई है । परन्तु मेरा निवेदन है कि और अन्य निकाय स्थापित न किये जायें ।

रेलवे एक सरकारी वाणिज्यिक उपक्रम है अतः दोनों को प्रतिस्पर्धा के आधार पर चलाने के लिए सड़क परिवहन को गैर-सरकारी हाथों में ही रहने दिया जाना चाहिये ।

पंजाब विनियोग अधिनियमों के बारे में पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *Re* : PUNJAB HIGH COURTS, JUDGMENT ON PUNJAB APPROPRIATION ACTS

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैंने पंजाब के बारे में एक वक्तव्य देने के लिये अध्यक्ष महोदय को वचन दिया था ।

मालूम हुआ है कि पंजाब उच्च न्यायालय ने 1968 के पंजाब विनियोग अधिनियमों को संविधान के विरुद्ध घोषित किया है । इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय को 'स्टे' के लिये अपील की है और इस प्रार्थना पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में और जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इस बारे में आज प्रातः मैंने एक नोटिस दिया था अतः इस सम्बन्ध में मैं एक अथवा दो बातें कहना चाहता हूं । पंजाब में उत्पन्न हुए अभूतपूर्व संवैधानिक संकट के लिये भारत सरकार की बड़ी ज़िम्मेदारी है, यह प्रथम अवसर नहीं है जबकि यह मामला सभा में चर्चा का विषय बना है । 2 अप्रैल 1968 को ध्यान दिलाने वाली सूचना पर जब यह मामला उठाया गया था तो हमने गम्भीर स्थिति के उत्पन्न होने के बारे में श्री चव्हाण को चेतावनी दी थी ।

सर्वप्रथम हमें यह बताया गया था कि सभा के आज स्थगित होने की सम्भावना है । मैं नहीं जानता कि यदि संसद् का सत्र न हो रहा होता तो पंजाब के संकट के साथ किस प्रकार निपटा जा सकता था । इस बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जाना चाहिये कि उच्च न्यायालय 'स्टे' की अनुमति दे देगी । यह भी हो सकता है कि पंजाब उच्च न्यायालय के एकमत निर्णय को देखते हुये सर्वोच्च न्यायालय इसका अनुमोदन करदे । क्या इस संभावना पर भी गम्भीरता से विचार किया गया है । हो सकता है कि

पंजाब के राज्यपाल को बर्खास्त करना आवश्यक हो। इसके लिए राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करनी होगी। अब जो तथ्य सामने आये हैं उनसे श्री चव्हाण पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि संसद् का सत्र नहीं हो रहा होता तो वह इस संकट को किस प्रकार हल करते? क्या राज्यपाल को हटाया जायेगा जिसको संविधान के उल्लंघन के लिए पंजाब उच्च न्यायालय के पूरे बैंच द्वारा जिम्मेदार ठहराया गया है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरा काम केवल तथ्यों के बारे में बताना है। मैंने उस समय भी तथ्यों का ही उल्लेख किया था। मैं किसी बात के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहता।

जैसा कि मैंने पहले बताया है पंजाब सरकार ने 'स्टे' के लिये अपील की है। 'स्टे' के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। अतः मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 372 के अन्तर्गत मंत्री महोदय के वक्तव्य पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : वह और अधिक स्पष्टीकरण चाहते थे। इसीलिए उनको प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई।

श्री नाथ पाई : मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि मामला बहुत गम्भीर था इसलिये मैंने प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी थी।

श्रीमती निर्लेप कौर (संगरूर) : मैं यह महसूस करती हूं कि वह गृह मंत्री के रूप में कार्य नहीं कर रहे। वह एक संदेशवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मेरे विचार विनियोग विधेयक को पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है अतः राज्यपाल द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह है कि अगर 'स्टे' के आदेश दे दिये जायें तो क्या विनियोग विधेयक लागू समझे जायेंगे। मैं यह सुझाव दूंगी कि पंजाब के वर्तमान मंत्रि-मण्डल को बर्खास्त कर वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाये। संसद् द्वारा पंजाब का बजट पास किया जाना चाहिये और वहां पर मध्यावधि चुनाव कराये जाने चाहिये।

SHRI MADHU LIMAYE (Monghyr) : In case the Punjab High Court did not grant stay then serious situation would arise whereby it will become impossible for the State Government to function. Even if the President's rule is proclaimed, President cannot pass the budget and the Appropriation Bill. I would, therefore, say that the necessary rights should be given to the President before the House is adjourned.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-Sadar) : Unless the decision of the Punjab High Court is change it will remain in force and so the Appropriation Bill will remain illegal. The Governor cannot set the right at his own. A separate Bill should be introduced in the House if the expenditure already incurred and to be incurred in future is to be legalised.

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : किसी बात के बारे में कोई पूर्वानुमान लगा कर हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय को देखते हुए राज्यपाल का आदेश गैर-कानूनी दिखाई देता है । यदि सर्वोच्च न्यायालय 'स्टे' का आर्डर दे देता है तो इस अवैधता में कुछ कमी हो जायेगी । यही मेरा निवेदन है।

श्री नाथ पाई : नियम 340 के अन्तर्गत मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सभा डा० वी० के० आर० वी० राव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा को स्थगित कर पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप उत्पन्न हुए संवैधानिक संकट पर चर्चा करें ।"

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उत्पन्न होने वाली सभी सम्भावनाओं पर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करा दिया गया है। मुझे यह भी विश्वास है कि यदि गृह-कार्य मंत्री ने आवश्यक समझा तो सभा के स्थगन होने से पूर्व ही वक्तव्य देंगे ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur) : The proceedings of the House will continue until the Home Minister makes a statement. My request is that Shri Nath Pai's resolution should be considered. By doing so the Parliament will be able to discuss on the grave constitutional situation that has arisen in Punjab.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस गम्भीर स्थिति को समझता हूं । परन्तु इस समय (**व्यवधान**)

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : जहां तक मुझे विदित है पंजाब उच्च न्यायालय ने बताया है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अवैध है और विनियोग विधेयक पर उनके हस्ताक्षर उसको वैध करार नहीं दे देते। यदि यह निर्णय ठीक है तो उस अध्यादेश को लागू किये जाने से रोका जाना चाहिये था । अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में याचिका नहीं दी गई है । अतः यदि इस अध्यादेश की क्रियान्विति भी रोकी जाये तो भी अध्यादेश के अवैध होने सम्बन्धी पंजाब उच्च न्यायालय का निर्णय बना रहेगा । सभा तो केवल इस बात के बा में चिन्तित है ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : निलम्बन आदेश केवल निर्णय की क्रियान्विति स्थगित कर सकता है । इसे कानून नहीं बना सकता । यदि सभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो सरकार अध्यादेश द्वारा अपना काम चला लेगी उसकी स्वीकृति नहीं देनी चाहिये ।

हम सभा का स्थगन नहीं चाहते जिससे सरकार अपना काम चलाने के लिये अध्यादेश का सहारा ले।

श्री ही० ना० मुकर्जी : संसद् का इस विषय पर चर्चा किये बिना स्थगन किया जाना, जबकि श्री नाथ पाई द्वारा इस बारे में सूचना पहले दी जा चुकी हो, मैं उचित नहीं समझता । इतनी गम्भीर समस्या के होते हुये संसद् को स्थगित नहीं किया जाना चाहिये । अतः इस बारे में चर्चा किये बगैर संसद् को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न श्री नाथ पाई द्वारा रखे गये प्रस्ताव से सम्बन्धित है । लोक सभा के प्रक्रिया तथा

कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम के अनुसार प्रत्येक प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने के लिये 24 घंटे की सूचना की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय इस 24 घंटे की सूचना के नियम को हटा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं कोई निश्चित निर्णय नहीं ले सकता । आप मुझे पर्याप्त समय दीजिये मैंने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था (**व्यवधान**) उन्होंने जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी वह भिन्न मामले से सम्बन्धित थी ।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) हम सब इस बात से सहमत हैं कि यह गम्भीर मामला है । लेकिन यह पहला अवसर नहीं है जबकि किसी राज्य के किसी अधिनियम को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया हो । सामान्यता : जब राज्य के किसी अधिनियम को अवैध घोषित किया जाता है तो विधानमंडल या तो उसे पुनः पारित करता है या विधानमंडल का सत्र चल रहा हो तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत अध्यादेश जारी कर देता है । उस बारे में केवल दो ही रास्ते हैं या तो विधानमंडल का सत्र बुलाया जाये और विनियोग विधेयक पारित कराया जाय और इस बीच राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करके ऐसे उपबन्धों को, जो उनके विचार से तुरन्त क्रियान्वित किये जाने वाले हैं, उनमें शामिल किये जायें और शेष उपबन्धों को विधानमंडल पर छोड़ दिया जाये । यदि विधानमंडल इसे पारित नहीं कर सकता तो यह एक गम्भीरतम संवैधानिक संकट का मामला होगा तथा संसद् के लिये भी एक चिन्ता का विषय बन जाता है ।

श्री रा० ढो० भंडारे (बम्बई-मध्य) : नियम 341 के अन्तर्गत यह उल्लेख किया गया है कि :—

> "यदि अध्यक्ष की राय हो कि वाद-विवाद के स्थगन का कोई प्रस्ताव सभा के नियमों का दुरुपयोग है तो वह उस पर या तो अध्यक्ष पीठ से तुरन्त प्रश्न रख सकेगा या प्रश्न प्रस्थापित करने से इन्कार कर सकेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय : यहां नियम का दुरुपयोग किया गया है ....

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(MR. SPEAKER *in the Chair*)

श्री रा० ढो० भंडारे : मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न नियम 341 के अन्तर्गत उठाया है । इससे पहले कि वह प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा जाए, गृह-कार्य मंत्री ने इस बारे में वक्तव्य दिया ... (**व्यवधान**) उन्होंने यह वक्तव्य आपके निदेशानुसार दिया और फिर उस बारे में चर्चा आरम्भ हुई । अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में निर्णय करें ।

श्री खाडिलकर (खेड) : श्री अमीन द्वारा सड़क परिवहन कराधान जांच समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में हो रही चर्चा पर भाषण देने के बाद, गृह-कार्य मंत्री ने

सभा को पंजाब के बारे में कुछ जानकारी दी। इसके पश्चात् श्री नाथ पाई ने पंजाब के संवैधानिक संकट का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस बारे में एक स्थगन प्रस्ताव भी रखा है। अन्त में मैंने कहा कि इस बारे में सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिये।

SHRI MADHU LIMAYE (Monghyr) : Under Article 202(1) it has been said that :

> "The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of estimated receipts and expenditure of the State for that year, in this part preferred to as the 'annual financial statement.'"

The Governor has got the limited rights to give orders to the Cabinet and the Government to lay before the House the Annual Financial Statement (Budget).

It means there is no necessity to take vote on Governor's salary.

Please see also Article 203(3).

> "(3) No demand for grant shall be made except on the recommendation of the Governor."

It means that Appropriation Bill can only be introduced after grants under Article has been made under Article 203. Governor has got the powers to issue ordinance in all other respects, but Demands for Grants cannot be passed through an ordinance.

Unless we give all these rights, a constitutional crisis will arise. The Parliament is going to adjourn today therefore, we want that this matter should be decided.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : इस सभा का सत्र पिछले 3 महीने से चल रहा है। अकस्मात् ही यह घटना घटी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सभा को स्थगित कर दें और हर एक चीज कार्यपालिका पर ही छोड़ दें और जैसे उसकी मर्जी में आये वह करें। इस सभा को सरकार को परामर्श देने का अवसर ही न मिले।

एक तरीके का यह भी सुझाव दिया गया था कि वह पहले विधानमंडल को वापिस भेजा जा सकता है और वे इस पर अध्यक्ष के सहयोग से विचार कर सकते हैं। यदि किसी तरह विधान सभा इन विनियोग विधेयकों को, जो उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं और राष्ट्रपति तथा गृह मंत्री के अधिकार पर राज्यपाल द्वारा प्रमाणित रूप में, पास न कर सके तो केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रपति इसका कुछ हल निकालेंगे, वह हल क्या है हम नहीं जानते।

यह बहुत गम्भीर मामला है। भूतपूर्व विधि मंत्री भी इस बात से सहमत हैं। यदि किन्हीं कारणों से विधान सभा, को प्रस्तुत किया गया और राज्यपाल द्वारा प्रमाणित विनियोग विधेयक पारित करने में असमर्थता है तो केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रपति इस बारे में निर्णय लेते हैं और वह इस बारे में वह क्या हल किया है इसकी हमें जानकारी नहीं है।

यह बहुत गम्भीर मामला है जिसके बहुत से परिणाम हो सकते हैं और हमारे लिये यह सम्भव नहीं कि हम तत्काल इस संकट के समाधानों के बारे में विचार कर सकें अथवा उस बारे में सरकार को सलाह दे सकें। अतः यथासम्भव इस विषय पर चर्चा करने के लिये सभा को अवसर दिया जाना चाहिये।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur) : The Central Government cannot be escaped from the constitutional crisis prevailing in Punjab.

I want to draw the attention of the House towards Article 360. In that Article it has been said that "If the President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or any part of the territory thereof is threatened he may by a Proclamation make a declaration to that effect". As a result of it the Financial crisis is prevailing in Punjab. It it can be solved by adopting Article 360. The Central Government can declare financial emergency in Punjab. The Governor has not got the right how to accept Demands for Grants. It will be contrary to the Constitution. I hope the Home Minister will give his decision in this matter very soon. The House should not be adjourned till a decision in this respect is taken.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : पंजाब में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । यह कहा गया है कि सरकार अपने कानूनी सलाहकारों की सहायता से इस संकट का अध्ययन कर रही है । सरकार इन कानूनी सलाहकारों की हमें जानकारी दे । यदि संसद् का अधिवेशन चल रहा हो तो इस बारे में चर्चा की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : वहां विधान सभा में भी चर्चा की जा सकती है । संसद् के सत्र को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं ।

श्री सेझियान (कुम्बाकोनम) : पंजाब के उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से बहुत ही गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है । उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से राज्यपाल द्वारा किये हस्ताक्षर अमान्य हो गये हैं । राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के हाथ की कठपुतली है । अतः वहां जो कुछ भी हुआ है उसके लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है । इसी क्षण उसका समाधान नहीं किया जा सकता । आज सभा को स्थगित नहीं किया जाना चाहिये परन्तु हमें इस बारे में विस्तार से विचार करना चाहिये ।

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : हमें सरकार को यह अवसर नहीं देना चाहिये कि वह जो चाहे निर्णय ले जिससे कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो और फिर वह इस मामले को उस रूप में संसद् के सामने लायें । संसद् में इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिये और उसी के आधार पर हमें कोई निर्णय लेना चाहिये ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इस प्रश्न पर सभा में कई बार चर्चा की जा चुकी है । श्री चव्हाण ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि राज्यपाल को हटाया जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह सच नहीं है कि वह असंवैधानिक तरीके अपना रहा है ।

मैं आपसे अपील करूंगा कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें । इससे नियम का उल्लंघन नहीं होगा । केन्द्रीय सरकार ने कहा कि विधान सभा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया और वह उसका सत्र बुलाने से डरती है । वहां के मुख्य मंत्री विधान सभा का सत्र नहीं बुलाना चाहते । इस परिस्थिति में क्या किया जाय ?

पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पंजाब में संवैधानिक ढांचे को पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया है । केन्द्रीय सरकार और पंजाब सरकार का यह दायित्व है कि वह इस बात का प्रयत्न करे कि वहां सब कार्य संविधान के उपबंध के अनुसार किया जाय ।

पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सरकार द्वारा बनाये जा रहे अधिनियम संवैधानिक या कानूनी तौर पर वैध नहीं हैं।

जहां तक व्यय की वैधता का प्रश्न है भूतपूर्व वि मंत्री राज्यपाल को यह सलाह देना कि वह अनुदानों की मंजूरी सकते हैं, उचित नहीं था।

इस बा में हमारी जिम्मेदारी स्पष्ट है। अतः आपको मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुमति देनी चाहिये और सभा को इस पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : हमें यह नहीं भूलना चाहि कि पंजाब विधान सभा का विघटन नहीं किया गया है। वह अज भी पहले की तरह बनी हुई है। देश में उच्च न्यायालय ही सर्वोच्च कानूनी प्राधिकारी नहीं है। पीछे कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालयों के निर्णयों से भिन्न रहे हैं। हमें राजनीतिक मामलों को बीच म लाकर किसी संवैधानिक प्रश्न में गड़बड़ी नहीं डालनी चाहिये। यह एक गम्भीर मामला है अतः इस विषय पर चर्चा को स्थगित किया जाना उचित नहीं होगा।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : इस बारे में अन्तिम सूचना यह मिली है कि कार्यवाही रोक आदेश के लिये दिये गये आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है परन्तु उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दे दी गई है।

जब तक राज्य विधान मण्डल निलम्बित अथवा विघटित न कर दी जाये तब तक सरकार कार्य करती रही है। संवैधानिक स्थिति इस प्रकार है कि ऐसे मामलों में गृह मंत्री का कार्य एक पोस्ट-मास्टर के समान होता है।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि स्थिति जिस प्रकार विकसित हो रही है हम उस पर बहुत सावधानीपूर्वक और गम्भीरता से विचार करेंगे। इस बारे में दो या तीन विकल्प नजर आते हैं। प्रथम यह कि मुख्य मंत्री राज्यपाल को विधान मंडल का अधिवेशन बुलाने का परामर्श दें और सब बातों को ठीक करा लें। दूसरे यह कि वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण लें और निर्णय को विपरीत कराने का प्रयास करें अथवा निर्णय के परिणामों को भुगतना स्वीकार करें। तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि राज्यपाल भी संविधान की ओर ध्यान दें और इस बारे में संवैधानिक स्थिति के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट दें। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि अन्त में कौन से विकल्प का प्रयोग किया जायेगा। माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये अधिकांश सुझाव इस अनुमान पर आधारित हैं कि तीसरा विकल्प निकल आया है। लेकिन हमारा ऐसा विचार नहीं है।

जब तक राज्यपाल सरकार द्वारा दिये गये परामर्श को स्वीकार करता है तब तक वह संवैधानिक तरीके से कार्य करता है। यदि सरकार द्वारा दिया गया परामर्श असंवैधानिक होता है, तो उसके लिये राज्यपाल दोषी नहीं है। राज्यपाल ने सरकार के परामर्श को स्वीकार कर संवैधानिक कार्य किया है। यदि अन्त में वह परामर्श असंवैधानिक साबित होता है तो राज्यपाल उसके लिये जिम्मेदार नहीं।

मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार पंजाब के बारे में सब संवैधानिक राजनीतिक पहलूओं को ध्यान में रख कर शीघ्र विचार करेगी। यदि कल सभा की बैठक बुला भी ली

जाय और इस विषय पर चर्चा भी की जाय तो सरकार इस विषय पर अधिक कहने की स्थिति में न होगी । अतः यदि हम इस मामले को या तो पंजाब विधान मंडल द्वारा अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अथवा अन्ततः राज्यपाल द्वारा इस मामले में राष्ट्रपति को दिये गये परामर्श पर शांतिपूर्वक विचार करने के लिये छोड़ दें तो अधिक हानि नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक कल बुलाया जाना अधिक महत्त्व की बात नहीं है । परन्तु एक बात ध्यान देने योग्य है और वह यह कि राज्य विधान मंडल भी उतना ही सर्वप्रभुत्व सम्पन्न है जितनी हमारी यह सभा जब विधान सभा विद्यमान है तो मेरे विचार से संसद् को विधान सभा को चर्चा के लिये अवसर देना चाहिये । राज्यपाल को विधान सभा की शीघ्र बैठक बुलानी चाहिये और विधान सभा को इस मामले को हल करने का प्रयास करना चाहिये । यदि अपील की अनुमति दी जाती है तो स्वभावतः सर्वोच्च न्यायालय को मामला ले जाया जायेगा ।

संसद् देश के किसी भी भाग में घटने वाली घटनाओं के बारे में विचार कर सकती है । परन्तु वहां विधान सभा विद्यमान है और उसका अधिवेशन कभी भी बुलाया जा सकता है और वह इस मामले में विचार कर सकती है । वह भी इस विषय पर चर्चा करने के लिये इतने ही अधीर हैं जितने आप लोग । यह मामला केवल पंजाब से ही सम्बन्धित नहीं है । कल ऐसी स्थिति देश के अन्य राज्य में हो सकती है । अतः मेरे विचार से इस विषय पर इस समय चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा । हमें सर्वप्रथम विधान सभा को कार्यरत करना चाहिये ।

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

श्री ओंकार लाल बेरवा

अध्यक्ष महोदय : मुझे नई दिल्ली के सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट से प्राप्त दिनांक 10 मई, 1968 के एक पत्र की सूचना सभा को देनी है जिसमें बताया गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता को धारा 144 के अन्तर्गत प्रख्यापित किये गये निषेधादेशों का उल्लंघन करते हुए 10 मई, 1968 को 1.30 बजे म० प० पर पटेल चौक, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, में जलूस निकालने और नारे लगाने पर लोक-सभा के सदस्य श्री ओंकार लाल बेरवा को 10 मई, 1968 को 1.30 बजे म० प० पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें आज विचारण के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकत्तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re :—THIRTY-FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTIONS

श्री खाडिलकर : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा "संकल्पों सम्बन्धी समिति के 31वें प्रतिवेदन से, जो 8 मई, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 31वें प्रतिवेदन से, जो 8 मई, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक 1929

CHILD MARRIAGE RESTRAINT (AMENDMENT) BILL 1929

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाल-विवाह रोक अधिनियम, 1929 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि बाल-विवाह रोक अधिनियम, 1929 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री दी० चं० शर्मा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

श्री दी० चं० शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री दी० चं० शर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 226 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 226)

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद्, विधेयक—जारी

ALL INDIA AYURVEDIC MEDICAL COUNCIL BILL—*Contd.*

श्री अ० त्रि० शर्मा : (भंजनगर) स्वास्थ्य विभाग में आयुर्वेदिक को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। आयुर्वेदिक विभाग एलोपेथी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। आयुर्वेदिक के नाम पर सावजनिक निधि का अपव्यय किया जा रहा है।

आयुर्वेदिक के लिये दिये जाने वाली धनराशि का उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आयुर्वेदिक के नाम पर स्थापित अनुसंधान परिषदें, भेष-संग्रह समिति आदि आयुर्वेदिक का अहित कर रही हैं भेषज संग्रह समिति ने दो वर्षों में कोई काम नहीं किया है।

जामनगर में अनुसंधान पाठ्य-क्रम आरम्भ किया गया था। यह वास्तव में एक परीक्षण केन्द्र है।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय ने आयुर्वेदिक अनुभाग समाप्त कर दिया है लेकिन इसे स्नातकोत्तर अध्ययन आरम्भ करने के लिये कहा गया है। उन लोगों को एम० डी० पाठ्य-क्रम के लिये दाखिल कर लिया जाता है जिन्हें आयुर्वेदिक की कोई जानकारी नहीं होती।

इस बारे में उचित नियंत्रण होना चाहिये ताकि सार्वजनिक धन की बरबादी न हो। सभा के सभी ही वर्ग इस विधेयक का समर्थन करते हैं। विधेयक पर राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि भारत के लिये एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् के गठन, समस्त भारत के लिये एक आयुर्वेदिक चिकित्सा रजिस्टर रखने तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये इसे अगले सत्र के प्रथम दिन तक परिचालित किया जाये।"

श्री शिव शर्मा (विदिशा) : सरकारी विभाग जिन्हें आयुर्वेदिक पद्धति का भार सौंपा गया है इसे बिल्कुल समाप्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा संस्था ने अपने एक संकल्प में वैधों द्वारा 'डाक्टर' शब्द के प्रयोग पर ही खेद प्रकट नहीं किया है बल्कि इसने कहा है कि उन्हें अपने आप को फीजीशियन कहने की अनुमति न देनी चाहिये।

यदि इस मामले को ध्यान से देखा जाये तो हमें ज्ञात होगा कि विज्ञान के इतिहास में विश्व में पहले कभी किसी विज्ञान के निर्माण का काम ऐसे लोगों को नहीं सौंपा गया है जो उसके सम्पूर्ण उन्मूलन का मांग करते हैं । उदाहरण के लिये एक प्रमुख डाक्टर ने, जो देश में एक उच्चतम निकाय के अध्यक्ष हैं, ने कहा था कि आयुर्वेदिक प्रशिक्षार्थी अनर्ह हैं और कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिये। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि उन्हीं महानुभाव ने अपनी पत्नी का आयुर्वेदिक इलाज कराया ।

विधेयक में केन्द्र में परिषद् स्थापित किये जाने का सुझाव दिया गया है । इसको दो वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था । इसके लिये दो वर्ष तक समिति नियुक्त की गई परन्तु इस अवधि में इस समिति ने कोई कार्य नहीं किया ।

आयुर्वेद को कोई खतरा नहीं है क्योंकि जो लोग आधुनिक औषधियों से ठीक नहीं हो पाते वे अन्त में बचाव के लिये आयुर्वेद का ही सहारा लेते हैं । विधेयक में यह मांग की गई है कि आयुर्वेद का भाग्य आयुर्वेद फीजीशियन के हाथों में होना चाहिये । अतः मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से यह निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न पर पूरी तौर से विचार करे । सौभाग्य से हमारे देश में आयुर्वेद पद्धति के विशेषज्ञ हैं । अतः स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इनसे मंत्रणा कर किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंचना चाहिये न कि उन चिकित्सकों की सलाह द्वारा जिनका आयुर्वेदिक पद्धति के प्रति असहानुभूति पूर्ण रवैया है ।

श्री श्रद्धाकर सुपकार (सम्भलपुर) : इस देश के बहुत कम लोग अस्पतालों या गैर-सरकारी व्यवराग्यियों से एलोपैथिक इलाज कराते हैं । देश में औषधी की अन्य पद्धतियों का व्यवसाय करने वाले लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है । यह समय उचित है जबकि उन लोगों पर कोई प्रभावी नियंत्रण लगाया जाये जो अन्य दवाइयों का व्यवसाय करते हैं । हम यह चाहते हैं कि एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् की स्थापना की जाये जो केवल आयुर्वेदिक प्रणाली के सम्बन्ध में शिक्षा, व्यवसाय तथा अनुसन्धान की व्यवस्था करें । हमें आयर्वेदिक विशेषज्ञों की राय भी प्राप्त करनी चाहिये । यदि हम आयुर्वेदिक पद्धति का दिल से अध्ययन करें तो मुझे विश्वास है कि यदि भारत यथा समय आयुर्वेदिक पद्धति में अनुसन्धान करें तो उसे बहुत अच्छे अविष्कारों को करने का गर्व हो सकता है ।

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : In this country, out of the total amount of expenditure incurred on medical research and education 95 per cent is spent on allopathic system of medicine and 5 per cent is spent on other systems of medicine including Ayurvedic and Unani systems while only 20 per cent patients receive allopathic treatment. Had we spent 50 per cent amount on Ayurveda, the lot of patients would have improved. Ayurvedic system of medicine not only cures the disease, but it is helpful in leading a proper way of life and attaining longevity of life.

A number of committee, were appointed and all of them recommended that an Ayurvedic Medical Council should be set up. But no action has been taken so far. The condition at present is that in Universities where Ayurvedic education is impartial, there are no standard text books or courses and there is no uniformity regarding qualifications required for admission etc. Government should not further delay the Constitution of this Council for which the Bill has been moved. I fully support the Bill

श्री न० सेतुरमं (पांडिचेरी) : यह अच्छी बात है कि विधेयक में देसी दवाइयों के विकास और सुधार के लिये काफी गुंजाइश है जिसकी ओर अब तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। आयुर्वेदिक औषधियां आर्थिक और चिकित्सा की दृष्टि से हमारे लोगों के लिये बहुत ही उपयुक्त है।

अनुभव से स्पष्ट हो गया है कि आयुर्वेदिक दवाइयों से ऐसी बीमारियों का भी अच्छा इलाज हो सकता है जिनका कोई इलाज नहीं है। उदाहरण के तौर पर अमरीका में इस बात का पता लगाने के लिये अनुसंधान किया जा रहा है कि तमिल में भनाथक्कली के नाम से विख्यात जड़ी बूटी कैंसर के इलाज के लिये बहुत उपयोगी है। आयुर्वेदिक प्रणाली से परिवार नियोजन वर्ग समस्या को भी हल किया जा सकता है। सस्ती जड़ी बूटी से सस्ती गर्भ निरोधक औषधि तैयार की जा सकती है जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

आयुर्वेद के लिये एक अलग विभाग होना चाहिये। आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् में, जिसकी इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन स्थापना की जायेगी, केवल आयुर्वेदिक डाक्टरों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बनाया जाय। आयुर्वेदिक शिक्षा और उपचार के स्तर को ऊंचा करने के लिये इस ढंग से कदम उठाये जायं कि जनता इस प्रणाली का विरोध न करे।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : सरकार ने न केवल आयुर्वेद बल्कि होम्योपैथी और यूनानी को भी देश में औषधि की देसी प्रणालियों के रूप में स्वीकार किया है। सरकार ने अनेक समितियां नियुक्त कीं और इन देसी दवाइयों के बारे में अनेक सिफारिशें की गई हैं। सरकार को बताना चाहिये कि उनमें से कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है और अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय में आयुर्वेद के लिये एक सलाहकार है लेकिन उसकी सलाह को रद्द कर दिया गया। समझ में नहीं आता कि सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त औषधि की प्रणालियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है।

सरकार को विधेयक के परिचालित करने के लिये ही प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिये बल्कि यह भी देखना चाहिये कि इस प्रणाली को भी वही मान्यता मिले जो एलोपैथिक या चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली को दी जाती हैं।

यही सही है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। लेकिन उस प्रणाली का केन्द्र से नियमित किया जाना चाहिये जिसे सरकार ने मान्यता दी है। यह एक समवर्ती विषय है। प्रस्तावक ने विधेयक को पेश करके और इस पर जनमत जानने के लिये इसे परिचालित करने की मांग कर के बहुत अच्छा काम किया है। सरकार को यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये। उसके बाद इसे प्रवर समिति को भेजा जाय और वहां पर सरकार बताये कि वह सभा के सामने विधेयक में क्या संशोधन करना चाहता है। यदि सरकार इसके बारे में वास्तव में गम्भीर है, तो उसे यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये।

SHRI NATHU RAM AHIRWAR (Tikamgarh) : Government has been neglecting the Ayurvedic system of medicine. Out of the total allocation in the budget for health, 95 per cent amount is spent on allopathy.

Majority of the people live in villages. Modern medical facilities are not available there. Doctors of allopathy devot want to go to villages.

Villagers have faith in Ayurvedic system of medicine. It is a matter of regret that Government is not giving due encouragement to Ayurvedic system of medicine. Necessary financial assistance is not provided to Ayurvedic colleges. Moreover qualified vaids are not given pay scales equivalent to those of allopathic doctors.

Government should establish a directorate at the Central level for the working and inspector of all Ayurvedic institutions in the country. Government should provide more financial assistance to Ayurvedic institutions so that their working may proceed on proper line. The State Governments also should take necessary steps for proper development of Ayurvedic in the country.

श्री एस० कन्डप्पन (मैसूर) : देशी दवाइयों की आयुर्वेदिक तथा अन्य प्रणालियां पर्याप्त विकसित हैं और इन्हें बहुत पहले ही वैज्ञानिक आधार पर विकसित किया गया था ।

दुर्भाग्यवश आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति के कारण हम कुछ अच्छी चीजों को भी छोड़ देते हैं । यदि हम देशी दवाइयों का विकास नहीं करेंगे और इन दवाइयों के चिकित्सकों को समुचित सुविधा नहीं देंगे तो इससे भारत की ही नहीं अपितु सम्पूर्ण मानवता की एक बहुत बड़ी क्षति होगी अतः सरकार को देशी चिकित्सा प्रणाली को मान्यता देकर इसे कानूनी रूप दे देना चाहिये ।

विधेयक तथा इसे परिचालित करने के सम्बन्ध में पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए । सरकार को आयुर्वेद, सिद्ध तथा चिकित्सा की अन्य देशी प्रणालियों के विकास के लिये एक परिषद् की स्थापना करनी चाहिए ताकि इस सम्बन्ध में हमारा ज्ञान समाप्त न होने पाए ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : आयुर्वेदिक शिक्षा और चिकित्सा पर नियंत्रण रखने के लिये देशी दवाइयों की प्रणालियों के बारे में नियुक्त की गई सभी समितियों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् की स्थापना करने की सिफारिश की । यह खेद की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की ।

अनुभव के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि भारत में सभी देशी प्रणालियों में आयुर्वेदिक प्रणाली सर्वोत्तम है । यह केवल एक औषधि ही नहीं अपितु जीवन की एक पद्धति है। इससे वास्तविक शांति मिलती है । हरड़ के ऊपर ही एक हजार श्लोक हैं और यह मूल दवाई का काम करती है तथा बहुत से रोगों को दूर करती है ।

सरकार को देसी दवाइयों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए और आयुर्वेद का विकास करना चाहिए । जब सस्ती दवाइयों से इलाज किया जा सकता है, तो फिर डाक्टरों से महंगी दवाइयां क्यों ली जायं ।

स्वास्थ्य मंत्री को आयुर्वेदिक औषधियों को प्रोत्साहन देने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । आयुर्वेद के लिये एक संयुक्त परिषद् स्थापित की जानी चाहिए और आयुर्वेदिक प्रणाली को और अधिक सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ।

SHRI RABI RAY (Puri) : Government has not been successful so far in providing cheap medicine to the people. Government has been neglecting Ayurveda and it has paid more attention to allopathy. Consequently, no research has been made

in the field of Ayurveda and this system of medicine removed backward. Proper steps should be taken to put Ayurveda on a scientific base and thereafter there should be competition between allopathic and indigenous medicines. So that people may get cheap medicines.

The adoption of modern system of medicine does not mean that we should neglect our ancient system of medicine. We should in fact, try to modernise our medical system and should take advantage of research made in the field of alopathic in other countries.

Majority of the people of our country live in villages. These people have full faith in Ayurveda and the Ayurvedic system of medicine in comparative. Moreover, the allopathic treatment is costly and the villagers normally cannot spend much money. Therefore, it is essential to develop Ayurveda so that people may get cheap, effective and latest medicines.

Provision has been made in the Bill for the establishment of a Ayurvedic Council. This is a good suggestion and Government should accept it.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : मुख्य प्रश्न यह है कि समस्या के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया जाय । आयुर्वेदिक प्रणाली हजारों वर्षों से चली आ रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रणाली प्रभावशाली है तथा इसका वैज्ञानिक आधार है ।

वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार की यह धारणा है कि पश्चिम की सभी चीजें अच्छी हैं और हमें कुछ भी योगदान नहीं करना है। यह उचित दृष्टिकोण नहीं है। हम यह दावा नहीं करते कि आयुर्वेद में सुधार की गुंजाइश नहीं है । वास्तव में इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है क्योंकि आयुर्वेद का विकास बहुत पहले ही रुक गया था । अब यह स्थिति बदलनी चाहिए । अतः स्वास्थ्य मंत्री को इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और इस सम्बन्ध में सक्रिय कदम उठाने चाहिए । भारत की जनता का अभी आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणाली में विश्वास बना हुआ है। अतः इन चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

हमारा देश गरीब है। हमारे पास गांवों के लिए पर्याप्त डाक्टर नहीं है । हमारी जनता गरीब है और उसके पास आधुनिक औषधियां खरीदने के लिये धन नहीं है । अतः यदि हमें गांवों में कुछ ऐसे लोग मिल जायं जिन्हें आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के अतिरिक्त एलोपैथी की भी प्रारम्भिक जानकारी हो, तो यह बहुत अच्छा होगा ।

SHRI JHARKANDE RAI (Ghosi) : It was being felt since long that such Bill should be brought and the means of this Bill deserve congratulations.

There is no natural health policy of the present Government. The policy of the Government is somewhat uncertain and proper guidance is not forthcoming in this connection. Ayurveda has always been over natural system of medicine. Unani has also made some contribution in it. These two systems of medincine suit our climate and the temperament of our people. These two systems of medicine are fully active in spite of being neglected by Congress Government. It would have been desirable Ayurveda was recognised the national system of medicine and the

other system of medicine would have been supplemental to it. Unfortunately, Government has been neglecting the Ayurveda and giving encouragement to allopathy. It will be to the interest of the country if Government changes its policy in this regard as soon as possible.

SHRI SHASHI BHUSHAN BAJPAI (Khargone) : It has been argued that since Ayurveda has been in existence since centuries, it is a very good system of medicine. It is true that there are some good things in Ayurvedic system of medicine but it is not proper to remark that since this system of medicine has been in existence since centuries, this is a good system of medicine.

The Ayurvedic system of medicine is very beneficial for the poor people of our country. This system of medicine has been doing a great service to the poor people of the country.

Thousand young men have been studying Ayurveda. To provide proper employment for them, is the responsibility of the Health Ministry.

A separate university should be opened for the study of Ayurveda. Graduate in Ayurveda system of medicine should be treated as par with allopathic doctors possessing M.B., B.S. degrees. They should also be provided same facilities.

An All India Ayurvedic Medical Council should be established. I welcome this Bill.

SHRI YASHWANT SINGH KUCHWAH (Bhind) : I welcome the Bill. On the best of personal experience. I can assert that Ayurvedic medicine are more effective than allopathic medicines. Government should encourage Ayurvedic system of medicine.

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य (रायगंज) : इस विधेयक को पास कर देने से ही हम आयुर्वेद को पुनर्जीवित नहीं कर सकते । इस सम्बन्ध में हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा और तभी आयुर्वेद को पुनर्जीवित किया जा सकेगा । सरकार को किसी भी चिकित्सा प्रणाली के बारे में दकियानुसी रवैया छोड़ देना चाहिये ।

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE (Balrampur) : The hon. Speaker had postponed his decision on the question of privilege raised earlier today. When this matter was raised, many members wanted to speak on it but due to want of time, it was not possible. This matter is very important and we want to place several facts before the hon. Speaker. Therefore, I would request that the hon. Speaker should postpone the decision by the existing session.

SHRI MADHU LIMAYE (Monghyr) : I support the proposal put up by Shri Vajpayee.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष द्वारा निर्णय दिये जाने से पूर्व महा-न्यायवादी को सभा में बोलने के लिये कहा जाना चाहिये क्योंकि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें इस मामले में अन्तर्ग्रस्त है ।

श्री सं० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री नाथ पाई के सुझाव का समर्थन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य विषय पर मैंने कल ही निर्णय दे दिया था । इसलिये इस मामले में शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं है । मैंने श्री वाजपेयी का प्रस्ताव मान लिया है । अब वर्तमान विधेयक के बारे में क्या किया जाय ।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री श्री ब० सू० मूर्ति) : इसको स्थगित किया जा सकता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर आगामी सत्र के लिये विचार स्थगित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि इस विधेयक पर चर्चा स्थगित की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

संविधान संशोधन विधेयक

अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLES 74 AND 163)

SHRI MADHU LIMAYE (Monghyr) : The Congress Party, in power, has been expanding the Cabinet in order to retain his hold and now the opposition party also, who are running administration at present in many States, have not been able to resist the temptation of following this bad example. In Rajasthan, the total number of members of Vidhan Sabha is 184 while the number of Ministers out of them is 31. Likewise, there are 104 members of Vidhan Sabha in Punjab and out of them there are 16 ministers. The same situation prevails in States where non-Congress Ministries are formed. Therefore, I would like to submit that time has come to restrict the size of Council of Ministers in Centre and States by amending the Constitution. The number of members of Cabinet at the Centre and in States respectively should not be more than 1/12th of the total number of members in Lok Sabha and Vidhan Sabhas.

In some foreign countries too, there is provision to restrict the number of members of Council of Ministers. In House of commons consisting of more than 600 members, the number of members of Council of Ministers is 70. The number of such members of Council of Ministers who are paid salaries, is however, limited.

At the time of the framing of Constitution, Dr. Ambedkar had remarked :

"शुरू में ही मंत्रिमंडल के सदस्यों की एक निश्चित संख्या निर्धारित करना सम्भव नहीं है। यह हो सकता है कि प्रधान मंत्री के लिये मंत्रिमंडल में 15 से कम सदस्यों से देश का प्रशासन चलाना सम्भव हो। इसका कोई कारण नहीं है कि संविधान उन के लिये 15 मंत्रियों का रखना अनिवार्य करे जबकि वह संविधान द्वारा निश्चित संख्या नहीं चाहते। यह हो सकता है कि सरकार का काम इतना अधिक बढ़ जाये कि मंत्रिमंडल के 15 सदस्यों की संख्या बहुत कम पड़ जाये।

Dr. Ambedkar had affirmed that the Prime Minister should be empowered to revise the number of members of Council of Ministers as the time demands. But he was looking of 15 members of the Cabinet. But now the number has gone up to 54.

Moreover, we should abolish different categories of Ministers such as Cabinet Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers etc. In the Committee on Defections, the Home Minister had assured him that he agreed with my Bill in principle. But we would decide about the exact number later on. Therefore, we must restrict the

number of Ministers at the Centre as well as in States. I will not press for voting on this Bill at this stage.

अध्यक्ष महोदय : **श्री रा० ढो० भन्डारे** :

श्री रा० ढो० भन्डारे (बम्बई मध्य) : मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त से सहमत नहीं हूं। यदि वह विभिन्न संविधानों का अध्ययन करें उन्हें मालूम होगा कि मंत्रि-मंडल में अधिक सदस्यों का होना कोई नई बात नहीं है। ब्रिटिश संविधान के अन्तर्गत भी लगभग 63 मंत्री ब्रिटेन की मंत्रि-परिषद् में रहते आये हैं। हां, पहले विश्व युद्ध में संख्या घटाकर केवल 23 कर दी गई थी दूसरे विश्व युद्ध में यह संख्या बढ़ा दी गई। आजकल भी बड़े मंत्रियों की संख्या 61 और 65 के बीच में है। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात का निर्णय करने की बात प्रधान मंत्री या सभा के नेता पर छोड़ कर बहुत अच्छा किया है। श्री लिमये दल-बदल की प्रवृत्ति से चिंतित है। दल-बदल की प्रवृत्ति का मूल कारण है भारत की परिवर्तनशील राजनैतिक स्थिति। मेरे विचार से संविधान के अनुच्छेद 74 और 163 में संशोधन करने मात्र से दल-बदल की प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता। साथ ही, लोकतंत्रात्मक शासन में मंत्रियों की संख्या देश की जनसंख्या के अनुसार कम और अधिक होनी स्वाभाविक है मंत्रि-मंडल में भी अधिक-से-अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप अगले अवसर पर इस विषय पर बोल सकते हैं। अब हम आधे घंटे की चर्चा लेंगे।

दिल्ली की क्षेत्रीय योजनाएं

ZONAL PLANS IN DELHI

SHRI BALRAJ MADHOK (South Delhi) : Mr. Speaker, I like to draw the attention of the House towards the Master Plan of Delhi the capital of our country. Delhi is expanding with the tremendous speed. In 1951 its population was 26.50 lakhs while now it has a population of 40 lakhs. So the estimates of population and other things on which the Master Plan for Delhi was prepared, have proved wrong, because of the speedy expansion of Delhi. The framers of the Master Plan, while formulating the Plan, worked on the maxim that Delhi's population by 1980 will be about 40 lakhs. But as I have already said that its population has gone up to 40 lakhs even in 1968. In the circumstances the implementation of the existing Master Plan does not seem feasible. In the Master Plan of Delhi certain areas were marked as green belt, which were excluded from the area to be used for residential purposes.

At the time of framing of the Master Plan there were about 15-20 residential colonies in this green belt but the framers of the Plan did not pay attention to this fact. Though the framers of the Plan admitted that there is a backlog of 50,000 houses in Delhi and about 30,000 houses should be constructed to meet the housing needs of the increasing population of Delhi. But nothing has been done since then as regards the construction of houses. With the result about 103 so-called unauthorised colonies came into being, which have not so far been regularsied. On behalf of Government it is often said that these colonies will be demolished. Several lakhs of people are living in these colonies and a considerable amount of money has been

**आधे घंटे की चर्चा। Half an hour discussion.

invested in them. So the question of their demolition is a serious one. Government should think over this problem within a human approach and all such colonies should be regularized instead of demolishing them. However, for making provisions of community centres, schools and dispensaries land should be acquired and compensation may be paid to the owners.

About 100 villages have been declared as urban areas by Delhi Development Authority, the body entrusted with the responsibility of the implementation of Master Plan. But even basic amenities have not been provided to the people of those villages. As the Master Plan itself has become obsolete in view of the expeditiously increasing population, similarly the zonal plans of Delhi have become unfit for implementation. To sum up, I can say that the whole Master Plan should be recasted and revised to suit the needs of the expanding Delhi.

In the end I would like to give some suggestion for better development of Delhi. First of all I want to suggest that the so-called unauthorised colonies should be regularised and arrangements should be made to provide basic amenities like school and dispensary etc. in them. Secondly, a committee should be constituted which should consist of representatives of D.D.A., Delhi town planner, M.Ps. from Delhi and the representatives of satellite town of Delhi like Ghaziabad and Faridabad. This committee should revise the Master Plan and zonal plans of Delhi, thirdly, a housing problem should be set up to deal with the housing problem of Delhi. Moreover, the Municipal Councillors and Metropolitan Councillors of a particular area should be associated with the implementation of the development work of that area. If my suggestions are accepted, the development work of Delhi will expeditiously proceed in better and expansive way.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Sir, the Master Plan of Delhi is a imaginery and it is not based on practical considerations. In other words it a bottleneck to the systematic development of Delhi. Not even a single target fixed therein has so far been achieved, though a period of 9 years have elapsed since the formulation of the said Plan. Out of 39 only 22 zonal plans have been prepard. The Plan was prepared on the assumption that Delhi's population will be 45 lakhs by 1981. But now, it appears that it will be about 60 lakhs by that time. So the Master Plan should also be accordingly revised.

A committee constituted for the proper development of the satellite towns has completely failed. So a law should be passed to create a regional authority to take care of the development of these satellite towns. I also oppose the acquiring of the land, which is fertile for residential or industrial purposes. The barren land should be utilized for this purpose. I also suggest that a Housing Board of non-official nature should be constituted to cater the housing needs of Delhi. It should consist of the Members of Parliament from Delhi and the representatives of Delhi Administration, Delhi Development Authority and Municipal Corporation. This Board should review the whole Plan and should revise it in view of the grievances of the people.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : देहली नगर में गन्दी बस्तियां झोंपड़ियों आदि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों नगर के विकास के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई, यद्यपि इस नगर के लिये 'मास्टर प्लान' तैयार की जा चुकी है। सभा में जब इस सम्बन्ध में चर्चा होता है तो तथ्यों को छिपाने का प्रयत्न किया जाता है। इस बारे में विकास की ओर कोई प्रगति नहीं की जा रही ।

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के हाथ काफी शक्ति होते हुए भी वह दिल्ली को भारत की गौरवमय नगरी क्यों नहीं बना सकते ? दूसरे पानी की सप्लाई तथा गन्दे

पानी की नालियों से सम्बन्धित समस्याओं की जांच क्यों नहीं की जाती ताकि ये फिर से न उभरें ?

दिल्ली में आने वाले किसी भी व्यक्ति का ध्यान यहां की भव्य इमारतों की अपेक्षा यहां की झुग्गी-झोंपड़ियों अथवा गन्दी बस्तियों की ओर बबंस खिंच जाता है, क्योंकि शहर का प्रत्येक क्षेत्र अपने ही ढंग से बढ़ता जा रहा है। देखने से ऐसा आभास होता है, मानों कोई योजना अस्तित्व में ही नहीं है और शहर का विकास योजनाबद्ध नहीं है। अत: मैं पूछना चाहता हूं कि बृहत योजना के होते हुए भी शहर में योजनाबद्ध विकास क्यो नहीं हो रहा है। दूसरे शहर में पेय जल की सप्लाई और गन्दी नालियों की समस्या ज्यों की त्यों क्यों बनी हुई है ?

SHRI PRAKASHVIR SHASTRI (Hapur) : Mr. Speaker, the development of Delhi is becoming a source of obstacle in the development of other adjacent areas belonging to other States *viz.*, Haryana and U.P. The hon. Minister while replying, may also please clarify why the difficulties put forth before the Centre by the Haryana and U.P. States in this regard have not so far been resolved.

There is always a huge crowd of people, who come from Ghaziabad, Faridabad, Meerut, Gurgaon etc. and work in Delhi offices, resulting in a heavy rush in trains. If those people are provided with adequate transport facilities, it can help in reducing the heavy rush of population in the capital. So, while preparing a development programme for Delhi, the adjacent areas should not be ignored.

The road connecting the bridge near Wazirabad ends near Shahadara. Had it been ended near Mohan Nagar or Ghaziabad, it would have facilitated the traffic from Karnal-Panipat at least. The Ministry of Health may please see to it.

The hon. Health Minister may also please state whether the menace of flies and insects is increasing owing to his Departments inactiveness.

SHRI RABI RAY (Puri) : The present planning of various big cities in India is leased on imperialistis system, prevalent since the British rule in India, of having cantonments, civil lines, the residences of bureaucrat ministers and millioners etc. on one side; and the ordinary public, slums, jhuggies-jhonparies etc. on the other. The Master Plan has no meaning if it is unable to change this sort of things.

Besides, every city should have adequate arrangements of water-supply and lavatries. Government should take necessary steps to reduce the house-rents in the capital. Also there should be a provision that nobody, whether a rich man or a poor should have more than one house in the city.

In view of this the Master Plan should be revised. This would benefit not only the Delhi people but the whole country also.

श्री रा० डो० भण्डारे : मास्टर प्लान के तहत पहले यहां से झुग्गी-झोंपड़ियां उठायी गई थीं वहां फिर, उससे गन्दी बस्तियां बनती जा रही है। यदि आप मास्टर प्लान में परिवर्तन कर रहे हैं तो झुग्गी-झोंपड़ी वालों के लिये पानी, बिजली, सफाई आदि की भी व्यवस्था कीजिये और यदि यह मास्टर प्लान संशोधित नहीं की जा रही तो फिर आप इस सम्बन्ध में क्या-क्या सुविधायें प्रदान करेंगे तथा इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : (स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कुछ आलोचना प्रस्तुत की तथा जिन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार करने की मांग की। सभा की जानकारी के लिये मैं कहना चाहूंगा कि मास्टर प्लान के अन्तर्गत 800 वर्ग मील के क्षेत्र को लाने का विचार किया गया था। यह भी सोचा गया था कि हरयाणा में फरीदाबाद, बल्लबगढ़, बहादुरगढ़ और गुड़गांव; उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद तथा दिल्ली में नरेला जैसी विंग बस्तियों का विकास और निर्माण किया जाये। परन्तु दुर्भाग्य से राज्यों ने इस योजना को सच्चे दिल से नहीं कार्यान्वित किया तथा हमसे इस कार्य के लिये धन की मांग की। परन्तु न तो हम उन्हें धन दे सके, और, धन ही की कमी के कारण, न हम ही इन विंग बस्तियों का निर्माण कर सके। अतः कई कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं जिन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण विचार कर रहा है।

यह मास्टर प्लान वर्ष 1960 में बनी थी तथा इस सम्बन्ध में बनाई गई एक तदर्थ समिति ने लगभग 600 व्यक्तियों से भेंट करके तथा अनेक आवश्यक स्थानों का निरीक्षण करके सारी योजना और शिकायतों की जांच की।

यदि आप एक शब्द में उत्तर चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि कोई भी योजना मानारपद नहीं होती। परिस्थितियों के अनुसार यह परिवर्तनशील होती है अतः इस सम्बन्ध में जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उन पर पूरा विचार किया जायेगा उनके अनुसार इसका प्रतिरूप बनाया जायेगा।

हर क्षेत्रीय योजना पहले नगर आयोजन संगठन द्वारा तैयार की जाती है। इसके बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण इसकी जांच करता है और फिर इसे राजपत्र में प्रकाशित करके इस बारे में आपत्तियों और सुझाव भेजने को कहा जाता है। तब जांच समिति इसकी जांच करती है। इसके पश्चात इस योजना को निगम, छावनी बोर्ड तथा नई दिल्ली नगरपालिका समिति के विचारार्थ भेजा जाता है। वहां सब लोग इस पर वाद-विवाद करते हैं, सुझाव देते हैं।

अतः यह कहना ठीक नहीं कि जो लोग वातानुकुलित कमरों में रहते हैं, उन्होंने यह योजना बनाई है। नहीं। इसके हर पहलु को जनता के सामने रखा जाता है तथा इस सम्बन्ध में सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं।

इसके बाद यह सारी योजना सारे संसद् सदस्यों के सामने भी पेश हुई। अब यह कहना कि इसका मसौदा तैयार नहीं किया या इसे छोड़ दीजिये, मेरी समझ में नहीं आता। मैं इसे सम्भव नहीं समझता।

जो माननीय सदस्य, जैसे श्री बलराज मधोक, श्री गुप्त तथा श्री राम इस विषय पर बात करने को मैं आमंत्रित करता हूं तथा वह बतायें कि कहां गलती है और कहां क्या कमी-बेशी हो सकती है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि यह योजना अविज्ञ व्यक्तियों द्वारा बनाई गई है।

मोतीबाग और नटराज छविग्रह के बारे में जो कहा गया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसकी जांच करूंगा।

सदस्य द्वारा निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य और उसका मंत्री द्वारा उत्तर

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 AND MINISTERS REPLY THERETO

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, जब औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पर बातचीत चल रही थी उस समय अपने प्रस्ताव में श्री रबी राय "और 24 अप्रैल, 1968 को" शब्द भूल से छोड़ गये जिसका सहारा लेकर मंत्री महोदय ने यह कहा कि इस प्रस्ताव में उनके 24 अप्रैल, 1968 को दिये गये वक्तव्य के बारे में नहीं पूछा गया है। क्योंकि वह अपने विरुद्ध मुख्य आलोचना से बचना चाहते हैं, मैं सभा का ध्यान 24 अप्रैल, 1968 को, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दिये गये उनके वक्तव्य की ओर दिलाता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि श्री थैकर को कुछ भ्रम हुआ है तथा वह भी अधिक समय तक नहीं रहना चाहिये था आरम्भ से ही वह श्री थैकर को स्पष्ट करते रहे हैं कि समिति का सभापति पद तथा बैंक के निदेशक पद में परस्पर कोई मेल नहीं है।

और फिर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रो० थैकर ने अमरीका जाने से पूर्व उनसे तीन बार भेंट की। यदि उन्हें स्वीकृति प्राप्त हो चुकी होती तो वे बार-बार क्यों आते, वह बैंक निदेशकों से तीन-चार सप्ताह का समय क्यों मांगते तथा मुझ से तुरन्त मिलने के सचिव यह पत्र लिखने को क्यों कहते कि पद का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है।

अब प्रो० थैकर द्वारा 21 मार्च, 1968 को मंत्री महोदय को भेजे गये पुष्टि-पत्र, जांच समिति के सचिव श्री राठी द्वारा औद्योगिक विकास विभाग के सचिव श्री वांचु को भेजे गये पत्र, तथा सचिव की श्री वांचु के साथ हुई बातचीत के रिकार्ड से यह स्पष्ट होता है कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने श्री थैकर को जांच समिति का सभापति न बने रहने के साथ-साथ बैंक आफ इन्डिया के निदेशक-पद को स्वीकार करने की अनुमति दे दी थी। सच तो यह है कि 20 मार्च को जब मंत्री महोदय ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की थी और 27 मार्च को जब मंत्री महोदय और प्रो० थैकर के बीच दूसरी भेंट हुई थी तो इसी अवधि के दौरान समिति के एक सदस्य श्री मोहन कुमार मंगलम को प्रो० थैकर द्वारा निदेशक-पद को स्वीकार किये जाने के निर्णय तथा इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय के सहमत हो जाने का पता चल गया और उन्होंने प्रो० थैकर के जांच समिति में बने रहने के बारे में विरोध प्रकट किया था। बाद में, जब डा० परांजपे ने भी इस बारे में अपना विरोध प्रकट किया तो मंत्री महोदय को यह अनुभव हुआ कि उन्होंने प्रो० थैकर को अनुमति देकर अनुचित कार्य किया है और जब यह बात सब को मालुम हो जायेगी तो संसद् तथा जनता उन्हें दोषी ठहरायेगी, इसलिये उन्होंने अपने विचार बदल दिये तथा प्रो० थैकर पर यह दबाव डालने का प्रयत्न किया कि या तो वह निदेशक का पद स्वीकार

न करें या फिर जांच समिति के पद से त्याग-पत्र दे दें। प्रो० थैकर से हुई तीसरी भेंट में मंत्री महोदय ने यह विचार प्रकट किया। अत: मंत्री महोदय ने केवल सत्य छुपाने और झूठ बोलने के दोषी हैं अपितु लोक सभा को तथा जनता को, 24 अप्रैल, 1968 के गुमराह करने के उद्देश्य से जान-बूझ कर झूठा वक्तव्य देने के भी दोषी हैं जैसा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दिये गये उनके वक्तव्य से साफ सिद्ध होता है।

सभ्यता तो यही कहती है कि औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री जान-बूझ कर दिये गये अपने असत्य भाषण के लिए क्षमा मांगे।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं अपने माननीय मित्र श्री मधु लिमये के वक्तव्य को पूरे आदर से सुना तथा यह दुर्भाग्य की बात है यह प्रश्न एक बार फिर उठाया गया क्योंकि इससे पूर्व भी इस विषय पर दो बार विस्तार से चर्चा हो चुकी है। पहले ही मैं इस सम्बन्ध में तथ्य प्रस्तुत कर चुका हूं तथा इससे पूर्व जो कुछ भी मैंने सभा में कहा है मैं उस पर दृढ़ हूं।

जैसा कि मैंने सभा को सूचित किया था, प्रो० थैकर से मेरी भेंट तीन बार दिनांक 20, 27 तथा 29 मार्च, 1968 को हुई तथा इन भेंटों में बैंक द्वारा किये प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जब मुझे श्री थैकर ने अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया जो कि बैंक द्वारा दिये गये आमंत्रण को स्वीकार करने के संदर्भ में आड़े आती थी, तब मैंने समिति के महत्व और प्रतिष्ठा पर अधिक महत्व दिया था तथा और कहा था कि इसके हितों को देखते हुए दोनों पद एक साथ बनाये रखना संगत नहीं है। प्रो० थैकर ने बताया कि उन्होंने अभी कोई निर्णय नहीं किया है तथा फिर मैंने भी इस बारे में निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया। अपनी ओर से मैंने प्रो० थैकर को यह जता दिया था कि एक साथ दोनों पदों पर बने रहना असंगत है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रो० थैकर मेरी बात को ठीक से नहीं समझे और इसी कारण दिनांक 21 मार्च को मुझे पत्र लिखा।

इस आधार पर, श्री लिमये द्वारा यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं कि प्रो० थैकर दोनों पदों पर बने रहें यह मैंने स्वीकार कर लिया है। और न ही इसकी पुष्टि मेरे मंत्रालय के किसी पत्र से ही हो सकती है। अपने साथ दिनांक 27 मार्च को हुई बैठक में मैंने प्रो० थैकर को बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि उनका दोनों पदों पर बना रहना असंगत होगा। समिति के सभापति-पद पर रहना तथा साथ ही बैंक के नियंत्रण में रहना ये दो बातें साथ-साथ नहीं चल सकतीं।

माननीय सदस्य का कहना है कि प्रो० थैकर के कुछ सहयोगियों द्वारा की गई आपत्ति का ज्ञान होते ही बैंक के पद सम्बन्धी मेरे विचार बदल गये थे। मैंने यह कभी भी नहीं माना था कि समिति की सभापति रहते हुए प्रो० थैकर बैंक के निदेशक-पद को भी सम्भालें। यदि ऐसा होता तो फिर श्री थैकर को इस विषय में अपने सहयोगियों से सलाह करने की आवश्यकता होती ? जब उन्होंने समिति के सदस्यों से इस मामले में चर्चा की तब भी उन्होंने मेरे साथ 26 अप्रैल यानी एक मास से भी अधिक समय बाद इस प्रश्न पर आगे बातचीत करना स्वीकार किया। इस सम्बन्ध में मेरे निश्चित और दृढ़ दृष्टिकोण जो कि मैंने 27 तथा 29 मार्च की बैठकों में स्पष्ट किया, के कारण भी, उन्होंने 30 मार्च को बैंक के पद को अस्वीकार करने के अपने

निश्चय के बारे में मुझे बताया यद्यपि उन्हें 26 मार्च को अपने सहयोगियों के इस बारे में बात-चीत करनी थी।

दक्षिण भारत में अधिवेशन से सम्बन्धित समिति की नियुक्ति के बारे नें वक्तव्य

STATEMENT REGARDING APPOINTMENT OF COMMITTEE REGARDING SESSION IN THE SOUTH

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : दक्षिण में संसद् का अधिवेशन बुलाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति के सदस्य ये हैं:—

श्री शिव राम रंगो राने (सभापति), श्री हनुमन्तय्या, श्री द्वैपायन सेन, गु० सि० ढिल्लो, श्री साम्बसिवम, श्री जो० ना० हजारिका, श्री अम्बझगन, श्री रविराय, श्री बलराज मधोक, श्री नाथपाई, श्री कृ० मा० कौशिक और श्री प्रकाशवीर शास्त्री लोक-सभा से; तथा कर्नल बी० एच० जैदी, श्री ओम मेहता, श्री आर० एल० डूंगर, श्री अच्युत मेनन, श्री के० पी० सुब्रह्मण्य मेनन और श्री कोता पुनय्या राज्य-सभा से।

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : The Minister for Parliamentary Affairs forgot to say whether this committee is Parliamentary Committee or a Departmental Committee?

श्री अध्यक्ष महोदय : निस्सन्देह ही यह एक विभागीय समिति है।

अब सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है।

(इसके बाद लोक सभा अनिश्चित काल के लिए सथगित हो गई)।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

L 32 LSS(CP)/68—GIPF